विषय सूची

		पृष्ठ सं.
अध्याय -I	अ) बोर्ड के सदस्य	4
	ब) लक्ष्य एवं उद्देश्य	8
	स) बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक रिपोर्ट	9
अध्याय-II	वित्तीय सहायता	
	क) ऋण	24
	ख) अनुदान	30
अध्याय –III	अन्य गतिविधियां	73
अध्याय –IV	तेल उद्योग विकास बोर्ड–एक परिदृश्य	80
अध्याय –V	वार्षिक लेखे	82
अध्याय –VI	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट	111
अध्याय -VII	आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे	120
अध्याय –VIII	परिशिष्ट	158

अध्याय - I

अ) बोर्ड के सदस्य

ब) लक्ष्य एवं उद्देश्य

स) बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक रिपोर्ट

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

1. **श्री एस सुन्दरेशन**
   सचिव,
   पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सदस्य

2. **श्री बिजॉय चटर्जी,**
   सचिव,
   रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग
   (01.01.2011 तक)
3. **श्री एम रमन**
   सचिव,
   रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग
   (01.01.2011 से आगे)
4. **श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन**
   विशेष सचिव (व्यय).
   वित्त मंत्रालय
5. **श्री पी.के. सिन्हा,**
   विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार,
   पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6. **श्री डी एन नरसिम्हा राजू**
   संयुक्त सचिव,
   पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
7. **श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव**
   महा निदेशक,
   हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय
8. **श्री बी एम बंसल**
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
   (30.09.2010 तक)

9. **श्री आर.एस.बुटोला**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(28.02.2011 से आगे)

10. **श्री बी. सी. त्रिपाठी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

11. **श्री आर.एस. शर्मा,**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(31.01.2011 तक)

12. **श्री ए. के. हजारिका**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.02.2011 से आगे)

13. **श्री अशोक सिन्हा,**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(18.08.2010 तक)

14. **श्री आर के सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(08.12.2010 से आगे)

15. **श्री अरूण बालाकृष्णन,**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(31.07.2010 तक)

16. **श्री रॉय चौधरी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.08.2010 से आगे)

17. **श्री आनन्द कुमार,**
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(30.06.2010 तक)

18. **डॉ0 आर. के. मल्हौत्रा**
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.07.2010 से आगे)

सदस्य–सचिव

19. **श्री अरूण कुमार,**
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	श्री अरूण कुमार
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री टी.एस. बालासुबामण्यिन
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स iii) कार्पोरेशन बैंक iv) इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II,मुम्बई
बोर्ड का कार्यालय(पंजीकृत)	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
कॉर्पोरेट कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, तेउविबो भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं0–2, सैक्टर–73, नोएडा–201 301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं0	011–23413540 (दिल्ली कार्यालय) 011–23414692 0120–2594602 (नोएडा कार्यालय) 0120–2594627
फैक्स	011–23414882 (दिल्ली कार्यालय) 0120–2594630 (नोएडा कार्यालय)
ई–मेल	oidb-mopng@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्य

एस सुन्देरेशन

बिजॉय चटर्जी

एम रमन

विलासिनी रामाचन्द्रन

पी. के. सिन्हा

डी एन नरसिम्हा राजू

सुनील कुमार श्रीवास्तव

बी एम बंसल

आर. एस. बुटोला

बी. सी. त्रिपाठी

आर. एस. शर्मा

ए. के. हजारिका

अशोक सिन्हा

आर. के. सिंह

अरूण बालाकृष्णन

रॉय चौधरी

आनन्द कुमार

आर. के. मल्होत्रा

अरूण कुमार

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन ।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना ।

  निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण सहायता देना :–

  - कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाओं का निर्धारण एवं अन्वेषण ।
  - प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने वाली परियोजनाएं ।
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन एवं विपणन।
  - हाईड्रोकार्बन की मितव्ययिता के लिए संरक्षण ।
- तेल उद्योग के सतत् विकास हेतु शोध एवं विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना ।
- देश में तेल क्षेत्र के उपकरणों और उसकी सेवाओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना ।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध करना।

1. प्रस्तावना

1973 के आरंभ से कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में आनुक्रमिक तथा तीव्र वृद्धि के कारण पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल में प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को अनुभव कर तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 बनाया गया। ते.उ.(वि.) बिल 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित किए गए:

(i) पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए तीव्रता से कार्यक्रम बनाना।

(ii) ऐसे कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को निश्चित करना।

(iii) तेल उद्योग (विकास) निधि के गठन हेतु कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर उपकर लगाना।

(iv) इस निधि से केवल उन्हीं संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो तेल उद्योग के विकास कार्यक्रमों में संलग्न हैं।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से इंगित है कि अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक बोर्ड का गठन करना है और इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर उत्पाद कर लगाना है।

2. बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य

तेल उद्योग विकास बोर्ड को तेल उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 13 जनवरी, 1975 को तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित किया गया था इसके संगठनात्मक ढाँचे में निम्न शामिल हैं:–

1. अध्यक्ष 2. सदस्य और 3. सचिवालय,

तेल उद्योग विकास बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बोर्ड के कार्यों को ते.उ.वि. अधिनियम की धारा–6 में परिभाषित किया गया है।

बोर्ड, तेल उद्योग के विकास हेतु निम्नलिखित उपायों के लिए सहायता प्रदान कर सकता है :–

(क) भारत के भीतर या बाहर खनिज तेल की संभावनाओं का पता लगाने या अन्वेषण के लिए,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, रखरखाव, भण्डारण और परिवहन के लिए सुविधाओं को स्थापित करने हेतु,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण तथा विपणन के लिए,

(घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण तथा विपणन के लिए,

(ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी हों,

(च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या मार्गदर्शी अध्ययन के लिए,

(छ) तेल उद्योग के कार्मिकों को भारत या विदेश में प्रशिक्षण के लिए।

कोई भी तेल उद्योग प्रतिष्ठान या अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश में तेल उद्योग के कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, बोर्ड से वित्तीय तथा अन्य सहायता प्राप्त करने का पात्र हैं।

अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों को मानने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है।

3. बोर्ड के संसाधन

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क के रूप में उपकर संग्रह करने की व्यवस्था है। समय–समय पर कच्चे तेल पर लिये जाने वाले उपकर की दरें निम्नानुसार हैः–

60/–रूपये प्रति टन	23 जुलाई, 1974 से प्रभावी
100/– रूपये प्रति टन	13 जुलाई, 1981 से प्रभावी
300/– रूपये प्रति टन	15 फरवरी, 1983 से प्रभावी
600/– रूपये प्रति टन	1 मार्च, 1987 से प्रभावी
900/– रूपये प्रति टन	1 फरवरी, 1989 से प्रभावी
1800/– रूपये प्रति टन	1 मार्च, 2002 से प्रभावी
2500/– रूपये प्रति टन	1 मार्च, 2006 से प्रभावी

एन ई एल पी ब्लॉक से कच्चे तेल उत्पाद पर किसी प्रकार के उपकर की उगाही नहीं की जाती है।

केन्द्रीय सरकार ने जनहित में उत्पादन सहभागिता करार के अन्तर्गत आने वाले 26 चिन्हित क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 900 रूपये प्रति टन सीमित कर दिया है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा–15 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क की प्राप्ति पहले भारत की संचित निधि में जमा की जाती है और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोजन को इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे प्राप्ति में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनन्य उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो वह ठीक समझे।

तदनुसार बोर्ड की स्थापना से 31.03.2011 तक केन्द्रीय सरकार ने संग्रहित कुल उपकर राशि रूपये 95320 (लगभग) करोड़ में से रूपये 902 करोड़ की राशि तेल उद्योग विकास बोर्ड को दी है **(संलग्नक)**।

केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यकृत विनियोजन किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो

केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे। हालांकि तेउविबो को अब तक कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया गया है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड अपने आंतरिक संसाधनों का उत्सर्जन तेल क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को दिये गये ऋणों एवं अधिशेष निधियों को सावधि जमा में अल्पावधि निवेश पर ब्याज प्राप्ति के माध्यम से भी करता है। इन आंतरिक प्राप्तियों के साथ उपकर प्राप्तियों को मिलाकर 31 मार्च, 2011 तक तेल उद्योग (विकास) निधि में लगभग रूपये 10175 करोड़ की राशि एकत्रित हो गयी है।

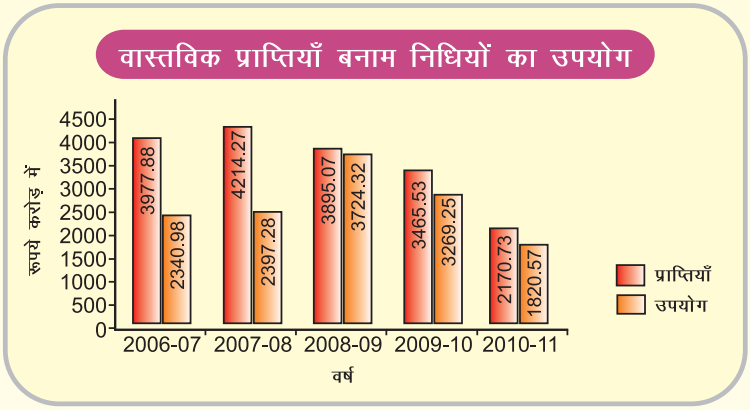

4. तेल उद्योग को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड को ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योगों के विकास में साधक हो, वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है :–

(i) तेल उद्योग प्रतिष्ठानों को ऋण देना,

(ii) तेल उद्योग विकास के लिए जरूरी अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए अनुदान वितरण

(iii) तेल उद्योग इकाईयों के स्टॉक तथा शेयर में सहभागिता।

बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संविदा प्रकोष्ठ पर होने वाले खर्च के लिए भी निधि उपलब्ध करवाता है।

5. निधियों का विनियोजन

तेउविबो ने अन्वेशण, उत्पादन, परिष्करण, विपणन, अनुसंधान व विकास आदि से संबंधित कार्यक्रमों तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदत्त की है। तेल उद्योग विकास बोर्ड अपनी स्थापना से लेकर 31.03.2011 तक तेल उद्योग के विकास में सहायक विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तेल कंपनियों को 30,174 करोड़ रूपये की ऋण सहायता एवं विभिन्न

संस्थानों/कम्पनियों को 1577 करोड़ रूपये के अनुदान प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त तेउवबो द्वारा 31 मार्च, 2011 तक अपनी निधियों का निवेश मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बी एल एल) तथा आई.एस.पी.आर.एल. की इक्विटी में क्रमशः रूपये 17.58 करोड़ तथा रूपये 341.24 करोड़ के लगभग किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने उत्पाद सहभागिता करार के अन्तर्गत पहले एवं द्वितीय चरण में खोले गए क्षेत्रों के संबंध में राजस्व स्थिरता के अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा ठेकेदारों को अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान किया। तेल उद्योग विकास बोर्ड ने अब तक राज्य सरकारों /ठेकेदारों को इस मद 31 मार्च, 2011 तक लगभग 93.86 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। ऋण सहायता का एक बड़ा भाग तेल कम्पनियों को योजित परियोजनाओं के पूंजीगत परिव्यय को पूरा करने के लिए दिया गया है। 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति को क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है:

31.03.11 तक का क्षेत्रवार संवितरण

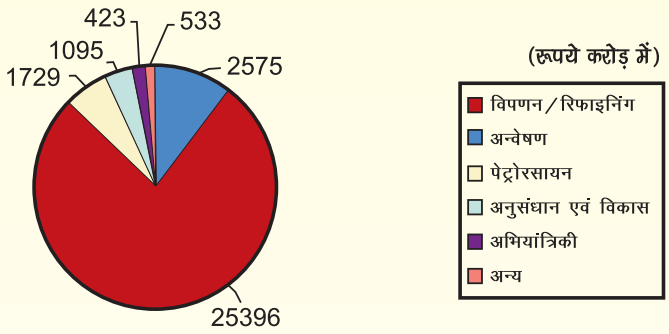

6. तेउविबो ऋण हेतु निबंधन एवं शर्तें

ते.उ.वि. बोर्ड तेल कम्पनियों द्वारा ऋण प्राप्ति के लिए शर्तें एवं निबंधन का निर्धारण समय–समय पर तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों के अन्तर्गत परियोजना(ओ) के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुरूप करता है। एक स्वतंत्र परियोजना आंकलन प्रकोष्ठ ते.उ.वि. बोर्ड ऋण सहायता की पात्रता की समीक्षा करता है। इस प्रकोष्ठ की संस्तुति पर ते.उ.वि. बोर्ड विभिन्न तेल कम्पनियों को ऋण सहायता देने पर विचार करता है।

ते.उ.वि.बो. ऋणों पर ब्याज समीक्षा

ते.उ.वि.बो. ने ते.उ.वि.बो ऋणों पर ब्याज दरों की समय–समय पर समीक्षा हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया है जो बोर्ड को बाजार में चल रही ब्याज दरों के दृष्टिगत विविध कार्यकालों के लिए ते.उ.वि. बो. ऋणों पर ब्याज दरों पर संस्तुति देती है। समिति हर तीन महीने में एक बार बैठक कर ते.उ.वि.बो. ऋणों पर ब्याज की समीक्षा करती है।

ते.उ.वि.बोर्ड के ऋणों पर वसूल किए जाने वाले ब्याज दरों के लिए सूत्र निम्नानुसार हैं:–

क) विभिन्न रेजीडूयल परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नवीनतम मासिक बुलेटिन में उपलब्ध माह–अंत की नवीनतम ब्याज दरें ते.उ.वि.बो. की विभिन्न अवधियों के ऋणों के लिए ब्याज दरों की गणना हेतु बैंचमार्क ली जाती हैं।

ख) इनकॉर्प (INCORP) पृष्ठ (कोट एएए आई एन बी एम के) पर उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों के AAA रेटेड बॉड पर उस माह के मार्जिन के 50 प्रतिशत को बैंचमार्क दर में जोड़ा जाता है।

छूट :–

समिति की संस्तुतियों के आधार पर ते.उ.वि. बोर्ड ऋणों पर ब्याज की दरों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए छूट भी दी जाती है, जैसे कि:–

- कार्यनीतिक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं जिनका देश की उर्जा सुरक्षा के साथ सीधे संबंध हों, आदि के लिए प्रभावी ब्याज दरों पर 100 आधार अंकों की छूट दी जाती है।
- पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं तथा विशेष क्षेत्रों जैसे– पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य आदि की परियोजनाओं पर प्रभावी ब्याज दरों पर 50 आधार अंकों की छूट दी जाती है।

तदनुसार अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक ते.उ.वि. बोर्ड ऋणों पर निम्नलिखित ब्याज दरें वसूली गई:–

तेल उद्योग विकास बोर्ड के ऋणों पर देय ब्याज की दरें (वित्त वर्ष 2010–11)

(प्रतिशत) प्रति वर्ष

माह	ऋण की अवधि			
	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष
अप्रैल 2010	6.08	7.02	7.70	8.05
मई 2010	5.71	7.14	7.98	8.29
जून 2010	5.41	7.01	7.70	8.24
जुलाई 2010	5.58	6.74	7.60	8.04
अगस्त 2010	5.88	6.82	7.63	8.00
सितम्बर 2010	6.24	6.98	7.66	8.05
अक्टूबर 2010	6.81	7.38	7.91	8.24
नवम्बर 2010	7.14	7.56	8.06	8.29
दिसम्बर 2010	7.22	7.59	8.02	8.20
जनवरी, 2011	7.42	7.82	8.13	8.36
फरवरी, 2011	8.02	8.07	8.18	8.29
मार्च, 2011	8.26	8.35	8.31	8.37

7. अधिशेष निधियों का निवेश

अपनी गतिविधियों के संचालन के दौरान निधि की उपलब्धता तथा तेल कंपनियों/अनुदानी संस्थाओं द्वारा निधि के आहरण के बीच समय अन्तराल के कारण ते.उ.वि.बो. में नकदी का अधिशेष होता है। ते.उ.वि.बो. के नियमानुसार बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किस तरह तथा कहां अपनी अधिशेष निधियों को जमा करें यद्यपि यह निधि निम्न बैंकों या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में ही जमा करायी जा सकती है:–

क. भारतीय स्टेट बैंक
ख. राष्ट्रीयकृत बैंक

जनवरी 2008 में वित्त मंत्रालय द्वारा यह निदेश दिया गया कि थोक जमा के लिए तुलनात्मक निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया तत्काल इस आधार पर समाप्त होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रमुख बैंकों के बीच अनपेक्षित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जमा दरों में अस्थाई बढोत्तरी होती है। वित्त मंत्रालय द्वारा आगे सुझाव दिया गया कि संगठन द्वारा थोक जमा को उन्हीं बैंकों में रखा जाना चाहिए जिससे वह नियमित कारोबार करते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह निदेश ते.उ.वि.बो. पर भी लागू होंगे। तदानुसार ते.उ.वि.बो., वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन कर रही है तथा अपनी अधिशेष निधियों को उसके पास रख रहा है जिससे वह अपने नियमित लेन देन कर रहा है।

8. प्रमुख गतिविधियाँ

(i) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक विशेष प्रयोजन व्यवस्था के माध्यम से स्ट्रेटेजिक कच्चे तेल भंडारों का निर्माण

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एस पी वी) के माध्यम से 5 एमएमटी कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। भंडारण संस्थापन के लिए तीन स्थान चुने गए हैं– विशाखापट्टनम (1.00 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी)। इस स्ट्रेटेजिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत सितम्बर 2005 के अनुसार 2397 करोड़ रूपये आँकी गई है तथा परिचालन और रखरखाव की लागत 90 करोड़ रूपये आँकी गई है। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2011 को क्रमशः 1000 करोड़ रूपये व 341.24 करोड़ रूपये है। तेउविबो ने आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता (जिसमें 620.65 करोड़ रूपये के शेयर आवंटन बाकी हैं) के प्रति 961.89 करोड़ रूपये का योगदान दिया है। 31.3.2011 तक उपरोक्त तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

क) विशाखापट्टनम

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक 68 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार से इसका अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है ।

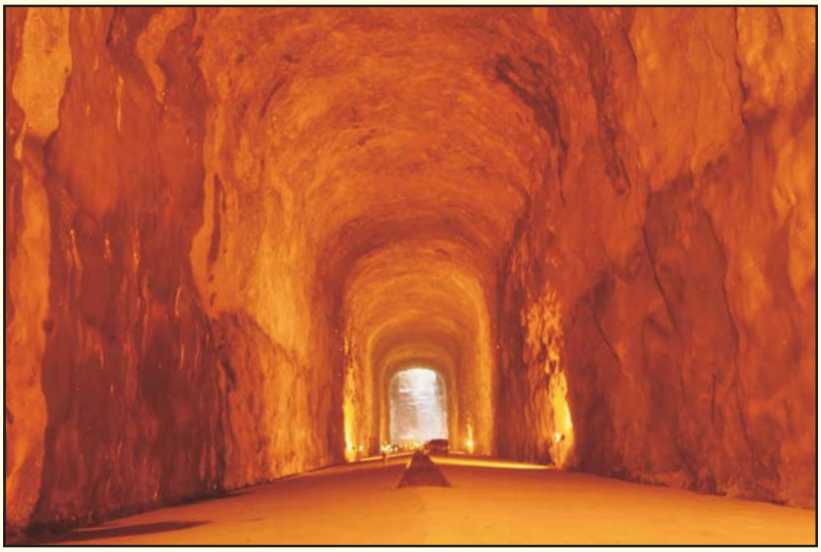

विशाखापट्टनम में निमार्णाधीन कच्चे तेल की कैवर्न

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक 18.74 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। भूतल से ऊपर की भूमि संबंधी कार्य दिनांक 30.11.2009 को मैसर्स आईओटीआईईएसएल को दिया गया था। दिनांक 31.03.2011 को कच्चे तेल की क्रूड सबमर्सिबिल पंपों एवं सीपेज वाटर पंपों आदि जैसे प्रमुख संवेदनशील मदों की खरीदी के लिए आदेश दे दिया गया है। साईट पर सामग्री पहुंचना आरंभ हो गई है तथा स्थल ग्रेडिंग काम प्रगति पर है। दिनांक 31.03.2011 को परियोजना की कुल प्रगति 74.1 प्रतिशत है। परियोजना के यांत्रिक (मैकेनिकल) कार्य को पूरा करने की अनुसूचित तिथि अक्टूबर, 2011 है और कमीशन करने की तिथि अप्रैल 2012 है। पंरतु, कैवर्न ए में वेज फेलयुअर की घटना होने से कार्य पूरा करने के निर्धारित समय पर प्रभाव पड़ा है। मरम्मत/एवं पूर्व अवस्था में लाने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

ख) मैंगलौर

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। मैंगलोर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 100

एकड़ भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहित कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली गई है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्स एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटीजेवी) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक कुल 22.65 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई कार्य में से कुल 3.04 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया है जो कुल 8.6 किलो मीटर सुरंग कार्य में से 3.9 किलो मीटर सुरंग कार्य के अनुरूप है। नियोजित 232.4 मीटर में से कुल 45 मीटर शाफ्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि के ऊपर के कार्य के लिए, 4 निविदाकारों को तकनीकी वाणिज्यिक (टेक्नो कमर्शियल) आधार पर स्वीकार्य पाया गया और उनकी प्राइज्ड बिड 3 फरवरी, 2011 को खोली गईं। चूंकि मूल्यांकन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक भारतीय निविदाकार ने दो मुद्राओं में अपनी दरें दर्शाई थीं, इसलिए 31.03.2011 तक टेंडर को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका। यांत्रिक कार्य का समापन भूमि के ऊपरी कार्य के लिए अवार्ड देने पर निर्भर करेगा। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 33.6 प्रतिशत रही है ।

MSEZ के भीतर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (**FTWZ**) के सह–विकासक के रुप में मैंगलोर परियोजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन 12 अगस्त, 2010 को प्राप्त हुआ।

ग) पादुर

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2008 में कर्नाटक सरकार पादुर/हेरुरु ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर चुकी है। पादुर में लगभग 182 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें से 101.815 एकड़ भूमि का कब्जा मई 2010 में कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था ।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया है। भाग ए का कार्य मैर्स एचसीसी को 374.66 करोड़ रुपये में तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को 375.92 करोड़ रुपये में दिनांक 29.12.2009 को 36 माह की अवधि में पूरा करने के लिए सौंपा गया। चूंकि, 29 मई, 2010 को केआईएडीबी द्वारा जमीन आईएसपीआरएल को सौंपी गई और इसलिए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29 मई, 2010 मान ली गई। ईआईएल द्वारा भूमि के ऊपरी कार्य के टेंडर को अंतिम रुप दिया गया और कार्यआदेश शीघ्र ही प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर हैं। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 26 प्रतिशत रही है ।

मैंगलोर–पादुर पाइपलाइन के लिए प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, डीसी, मैंगलोर तथा डीसी, उडुप्पी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (**SLAO**), कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया है। आरओयू अर्जन का काम

केआईएडीबी के द्वारा किया जा रहा है और जनवरी 2011 में 3(1) अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्येक भूस्वामी को सूचना भेज दी गई है।

(ii) स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के द्वितीय चरण का पूर्वव्यवर्हायता अध्ययन

तेल उद्योग विकास (ओआईडी) बोर्ड ने 3 अगस्त, 2009 को हुई अपनी 77वीं बैठक में इस पर सैद्धान्त रूप में अनुमोदन किया था और केंद्र सरकार ने 12 फरवरी, 2010 के अपने पत्र के माध्यम से स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण– II हेतु पूर्व व्यवर्हायता अध्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

इस संबंध में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 235 लाख रुपये कर सहित शुल्क पर तकनीकी रूप से उपयुक्त साइटों का पता लगाने और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य सौपा गया।

पीएफआर के कार्यक्षेत्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों दोनों के लिए भंडारण सुविधाएं बनाने हेतु साइटों के चयन के साथ–साथ भंडारण की प्रकृति तथा प्रत्येक चुनिंदा साइट में भंडारण की अधिकतम संभावित क्षमता का कार्य शामिल है। इन भंडारण सुविधाओं के लिए तीन अलग–अलग भंडारण प्रणालियों अर्थात भूमिगत अनलाइन्डस रॉक कैवर्न, सोल्यूशन माइन्ड साल्ट कैवर्न और भूमिगत कंक्रीट टैंकों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में देश में कार्यान्वयन हेतु नई भंडारण प्रौद्योगिकियां अपनायी जा रही हैं।

ईआईएल द्वारा कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं संबंधी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का ड्राफ्ट 30 अगस्त, 2010 को सौंप दिया गया तथा उत्पाद भंडारण सुविधाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट 30 सितंबर, 2010 को सौंपी गई।

iii) राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी) की स्थापना

सरकार ने ऐसे एकल प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए राजीव गाँधी पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया था, जो मौजूदा उद्योग को निपुण तकनीकी व प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान कर सके तथा जो भारत और विदेश में उभरती हुई माँग को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर भविष्य के मानव संसाधन तैयार करने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र में विश्व स्तरीय बहुविषयक तकनीकी प्रबंधन एवं शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध करा सके। प्रारंभ में सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए इस संस्थान को दिसम्बर 2007 में संसद द्वारा पारित आरजीआइपीटी अधिनियम (2007 का अधिनियम 54) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्ता वाले संस्थान के रूप में घोषित कर दिया था। इस अधिनियम को 01.06.2008 से लागू किया गया।

जयास परिसर, रायबरेली

क) इस संस्थान का एक केंद्र, रायबरेली के जयास में 685 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर स्थापित किया गया। जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। इसमें से 150 करोड़ रूपये की राशि का वहन तेउविबो द्वारा किया जाएगा, जिसमें भूमि की लागत (45 करोड़ रूपये) एवं पूँजीगत

लागत (105 करोड रूपये) शामिल हैं। संस्थापक सार्वजनिक तेल इकाईयाँ तथा ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान कर पश्चात् अर्जित लाभ के अनुपात में विन्यास कोष के लिए 250 करोड़ रूपये की शेष राशि को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार की बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा। परियोजना की लागत को संशोधित कर दिया गया है।

आरजीआइपीटी ने आईओसीएल के एक संयुक्त उद्यम इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के साथ अनुबंध कर जयास में 47.50 एकड़ भूमि को खरीद व उसका अधिग्रहण कर लिया है। UPSIDC से 95 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान ने राय बरेली के अस्थाई परिसर में अपना शैक्षणिक सत्र जारी रखा है तथा वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद एवं रिजर्वर तथा पेट्रोलियम रिफाइनिग में बीटैक के दो कार्यक्रम तथा पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में एक एमटैक कार्यक्रम, पेट्रोलियम एवं उर्जा प्रबंधन में एमबीए का एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

परिसर के चरण के निर्माण का कार्य सभी आवश्यक वैद्यानिक अनुमोदनों के पश्चात अगस्त 2010 में आरम्भ हो चुका है। परियोजना परामर्श सलाहकार के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को नियुक्त किया गया है। परिसर के प्रथम चरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.5 लाख वर्गमीटर का निर्माण जिसमें संकाय तथा कार्मिकों के लिए आवसीय ब्लॉक, छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा, शैक्षिणक भवन जिसमें संकाय खंड तथा व्याख्यान कक्ष, आगन्तुक छात्रावास, चिकित्सा यूनिट तथा वाणिज्यिक केन्द्र आदि शामिल हैं।

परियोजना 30.4.2013 तक पूरी की जानी है 180 करोड़ रूपये की लागत से प्रमुख सिविल तथा अवसंरचना कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च 2011 तक कुल प्रगति 24.5 प्रतिशत रही। विद्युत, सीविल फिनिशिंग तथा अन्य संबंधित कार्यो जैसे आग से बचाव, प्लम्बिंग, वातानुकूलित आदि का निविदा दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

ख) राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का असम केन्द्र

राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का एक अन्य केन्द्र असम में स्थापित किया गया। इस केन्द्र को स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग रूपये 330 करोड़ होगी। रूपये 182 करोड़ का सम्पूर्ण विनियास चुनी हुई तेल कम्पनियों (ओएनजीसी, गेल, ओआईएल, आईओसीएल, ईआईएल तथा एनआरएल) द्वारा बांटी जाएगी। 143 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय तेउविबो तथा चुनी हुई तेल कम्पनियों में 65 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत की दर से वहन की जाएगी। रूपये 5 करोड़ के आरंभिक खर्चों का तेउविबो द्वारा वहन किया जाएगा।

आरजीआईपीटी के असम केन्द्र का प्रमुख उद्देश्यः सर्टिफिकेट,डिप्लोमा तथा एडवांस डिप्लोमा स्तर, हायर टैकनिकल मैन पावर के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है।

डिप्लोमा कार्यक्रम में यांत्रिकी इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी तथा संयंत्र प्रौद्योगिकी शामिल होंगे। एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रम में ड्रीलिंग प्रौद्योगिकी, पाइपलाइन इंजीनियरिंग तथा पेट्रोलियम प्रचालन होंगे।

आरजीआईपीटी ने 2010 में शिवसागर में सरकारी जमीन में से 100 एकड की भूमि खरीदी है। असम केन्द्र परिसर का निर्माण कार्य 24 महीने की समयावधि में पूरा करने लिए परियोजना परामर्श सलाहकार के रूप में मैसर्स ईआइएल कार्य कर रहा है। परिसर निर्माण कार्य में निम्नलिखित कार्य किया जा चुका है।

- साइट सर्वेक्षण कार्य तथा भू प्रौद्योगिकी जांच का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- चरण–I की साइट ग्रेडिंग मार्च 2011 में आबंटित की जा चुकी है।
- 3.671 लाख वर्ग फिट में सिविल तथा संरचना निर्माण कार्य की निविदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। जिसमें 1.19 लाख वर्ग फिट का शैक्षिणक खण्ड, 0.69 लाख वर्ग फिट का संकाय खण्ड, 0.78 लाख वर्ग फिट का छात्रावास परिसर तथा शेष क्षेत्र प्रशासनिक केन्द्र, राजीव गांधी प्लाजा, ऑडोटोरियम तथा एमैनीटीज़ के लिए होगा।

(iv) हाइड्रोजन कॉर्पस फंड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस गतिशील क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से तथा लगातार संयोजन के साथ काम करना होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों/तेउविबो के निम्नलिखित अंशदान से 100 करोड़ रूपये का हाइड्रोजन कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है :

1. तेउविबो	40 करोड़ रूपये
2. ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रूपये प्रत्येक
3. एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल.	6 करोड़ रूपये प्रत्येक

तेउविबो निधि खाते का रखरखाव करती है। तेउविबो ने अब तक कॉर्पस में 20 करोड़ रूपये की राशि का अंशदान किया है। मैसर्स आईओसीएल एवं ओएनजीसी, ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ पहले ही प्रारंभ कर चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों को रूपये 41.51 करोड़ की अनुमानित लागत

की 9 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का अनुमोदन वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा किया गया। मार्च 2011 तक इसके लिए एचसीएफ से 1.29 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

मार्च 2011 के अंत में हाइड्रोजन कॉपर्स फंड का 87.32 करोड़ रूपये था।

(v) राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम विश्व के गहरे सागरों की तलहटियों तथा अत्यधिक जमे हुए क्षेत्रों के नीचे के ठोस पदार्थों से मीथेन का उत्सर्जन करके उसे भविष्य के वैकल्पिक ऊर्जा–स्रोतों के रूप में उपयोग करने हेतु गैस हाइड्रेट की व्यवस्था करने के लिए है। भारत में इस कार्यक्रम का आरंभ एनजीएचपी की एक संचालन समिति तथा तकनीकी समिति के द्वारा 1997 में किया गया था। तकनीकी समिति द्वारा भूकंपीय आँकड़ों के पूर्वावलोकन के आधार पर भारतीय जल क्षेत्रों की पहचान आगे के अनुसंधान और विकास कार्य के लिए "नमूना प्रयोगशाला क्षेत्र" के रूप में की गई है। जिनमें एक पूर्वी तट पर तथा दूसरा पश्चिमी तट पर स्थित है। भारतीय अपतटों के केजी, महानदी एवं अंडमान अपतटीय जलीय क्षेत्रों में हाइड्रेट की उपस्थिति की स्थापना और गैस हाइड्रेट से मिथेन के अन्वेषण एवं उपयोग में रूचिकर वाणिज्यिक व्यवहार का पता लगाने के बाद, एनजीएचपी ने गहरे जलीय क्षेत्र केजी पर संकेन्द्रित करने के लिए तथा गैस हाइड्रेट से मीथेन के व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर बल देने के लिए एक रणनीति को अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए केजी अपतट पर गैस हाइड्रेट के संसाधन आकलन को प्राथमिकता दी गई है। डी जी एच इस कार्यक्रम का समन्वयक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का पूर्वावलोकन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित संचालन समिति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए एनजीआरआई, ओएनजीसी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा की परियोजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं। अब तक एनजीएचपी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए तेउविबो द्वारा लगभग 147 करोड़ रूपये की कुल राशि दी गई है। जिसमें तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयों द्वारा मार्च 2011 तक दी गई 54 करोड़ रूपये की राशि सम्मिलित नहीं है।

(vi) राज्य सरकारों को रॉयल्टी

उत्पाद सहभागिता करार के अन्तर्गत पहले एवं द्वितीय चरण में खोले गए क्षेत्रों के संबंध में राजस्व स्थिरता के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने तेउविबो निधि से राज्य सरकारों को अतिरिक्त रॉयल्टी देने का निर्देश दिया। तेउविबो ने राज्य सरकारों/ठेकेदारों को रायल्टी के रूप में 31 मार्च 2011 मे 216.08 करोड़ रूपये की राशि जारी की।

(vii) तेउविबो के अपने कार्यालय तथा अपने नियमित अनुदानी संस्थाओं के लिए नोएडा में भवन निर्माण

तेउविबो सैक्टर 73 नोएडा में 16000 वर्ग मी. भूमि पर अपने कार्यालय एवं अपने समानुषंगी संस्थान इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) तथा अपने अनुदानी संस्थानों, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के कार्यालयों हेतु एक भवन का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना के लिए मैसर्स इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तथा मैसर्स राजेन्द्र कुमार एसोसिएट्स को वास्तुविद् के रूप में नियुक्त किया गया है। तेउविबो द्वारा ठेकेदारों के चयन से संबंधित मामलों की देख–रेख तथा निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया था। जिसमें सचिव तेउविबो, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नामित व्यक्ति एवं अध्यक्ष, ईआईएल, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। तेउविबो भवन निर्माण की अनुमानित लागत 140 करोड़ रूपये है। तेउविबो भवन दो खंडों में बना है – G+3 ब्लॉक एवं G+9 ब्लॉक। G+9 तथा G+3 दोनो ब्लॉक तैयार हो चुके है तथा फरवरी 2010 में इस नए भवन में तेउविबो व आईएसपीआरएल के कार्यालय स्थानांतरित कर दिए गए थे तथा डीजीएच, सीएचटी और ओआईएसडी ने अगस्त 2011 के G+9 ब्लॉक में स्थानांतरित कर लिया है। तेउविबो द्वारा इस परियोजना पर मार्च 2011 तक 139.86 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

ओआईडीबी भवन, नोएडा

अध्याय - II

वित्तीय सहायता

क) ऋण

ख) अनुदान

9. वर्ष 2010–11 के दौरान संवितरित ऋण

तेल कंपनियों को वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का संगठनवार विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं	संगठन का नाम (योजना परियोजना ऋण)	संवितरित निधियां (2010-11)
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	105.00
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एचपीसीएल)	300.00
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(बीपीसीएल)	77.00
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	484.00
5.	गेल गैस लिमिटेड	74.41
6.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	65.00
7.	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पोलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)	283.00
	योग	**1388.41**

9.1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड – रूपये 105.00 करोड का ऋण

मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2010–11 के दौरान तेउवि बोर्ड से निम्न परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण हेतु 105.00 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्राप्त की।

(क) गुवाहाटी रिफाइनरी में मोटर स्प्रिट गुणवत्ता सुधार परियोजना : रूपये 54.00 करोड़ का ऋण

स्वतः ईधन नीति (यूरो–III) विशिष्टताओं के अनुसार मोटर स्प्रिट गुणवत्ता को पूरा करने के उद्देश्य से गुवाहाटी रिफाइनरी में मोटर स्प्रिट गुणवत्ता सुधार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में गुवाहाटी रिफाइनरी में BS–III गुणवत्ता वाली मोटर स्प्रिट के उत्पादन के लिए आइसोमराइजेशन यूनिट लगाना परिकल्पित है। परियोजना निम्न धारा के साथ संकल्पित है:–

क) स्ट्रीम शेयरिंग के अन्तर्गत डिगबोई को रिफार्मर फीड नफथा की आपूर्ति तथा बदले में गुवाहाटी के लिए MS बलैंडिग के लिए उच्च आक्टेन की प्राप्ति करना।

ख) बेंजिन–रिच, हार्ट–कट के अलगाव के लिए इन्डमैक्स गैसोलीन का संस्थापन तथा उसके पश्चात् आइसोमराइजेशन यूनिट में उसकी प्रोसेसिंग करना।

ग) बाहरी स्त्रोतों से पी वाई गैस रिटर्न स्ट्रीम (NRS)

परियोजना दिसम्बर 2010 में पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के लिए तेउविबो ने वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 54.00 करोड़ की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी थी।

(ख) डिगबोई रिफाईनरी में मोटर स्प्रिट गुणवत्ता सुधार परियोजना : रूपये 51.00 करोड़ का ऋण

सरकार द्वारा डा. आर.ए.माशेलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की स्वतः ईंधन पोलिसी मार्ग मानचित्र संस्तुति के अनुसार डिगबोई रिफाइनरी को अपनी सम्पूर्ण एमएस की मात्रा को यूरो III के समकक्ष (बीएस III) मानदंडों के अनुसार उत्पादित करना था।

इस परिदृश्य को पूरा करने के उद्देश्य से एमएस गुणवत्ता सुधार परियोजना डिगबोई रिफाईनरी में कार्यान्वित की जा रही है। बीएस III गुणवत्ता वाले एम एस के उत्पादन के लिए डिगबोई रिफाईनरी में आइसोमराइजेशन यूनिट स्थापित करने हेतु परियोजना डिगबोई रिफाईनरी में लगाई गई है। स्ट्रीम साझेदारी के तहत डिगबोई रिफाईनरी द्वारा गुवाहाटी रिफाइनरी को रिर्फोमेंट की आपूर्ति गुवाहाटी से डिगबोई की आपूर्ति मात्रा के अनुपात में होगी।

परियोजना दिसम्बर 2010 में पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के लिए तेउविबो ने वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 51.00 करोड़ की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी थी।

9.2 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडः 300 करोड़ रूपये का ऋण

मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) डाउनस्ट्रीम कंपनी है। जो पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन तथा विपणन में कार्यरत है। वर्ष 2010–11 के दौरान तेउविबो ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रूपये की कुल ऋण सहायता प्रदान की है।

(क) विशाखापट्टनम में सिंगल पाइंट मूरिंग परियोजना : रूपये 50 करोड़ का ऋण

सिंगल पॉइंट मूरिंग परियोजना का उद्देश्य विशाखापट्टनम में अति विशाल क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) से लगभग 300,000 मैट्रिक टन आकार के बड़े क्रूड पार्सलों की ढुलाई करना है। ड्राफ्ट संबंधी दिक्कतों के कारण अति विशाल क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) को वर्तमान क्रूड प्राप्ति जेट्टियों में नहीं लाया जा सकता है।

सिंगल पॉइंट मूरिंग फरवरी 2011 में आरंभ हो चुकी है। सिंगल पॉइंट मूरिंग ढुलाई की लागत व वारफेज प्रभार को कम करती है और जिससे रिफाइनरी की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है। परियोजना की कुल लागत रूपये 643 करोड थी। परियोजना के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान तेउविबो द्वारा रू 50 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई।

विशाखापट्टनम में सिंगल पॉइंट मुरिंग परियोजना

(ख) विशाख रिफाईनरी में डीजल हाइड्रोट्रीटर परियोजना : रूपये 150 करोड़ का ऋण

डीजल के यूरो– IV विनिर्देशों को प्राप्त करने के लिए एचपीसीएल द्वारा विशाख रिफाईनरी में 2.2 एमएमटीपीए की डीजल हाइड्रोट्रीटर सुविधाएं स्थापित करने के लिए यह परियोजना आरंभ की गई। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 3597 करोड़ है और इसके मार्च 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है। तेउविबो द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए रूपये 150 करोड़ की राशि जारी की गई।

विशाख रिफाईनरी में डीजल हाइड्रोट्रीटर परियोजना

ग) मुबंई रिफाइनरी में डीजल हाइड्रोट्रीटर परियोजना : रूपये 100 करोड़ का ऋण

डीजल के यूरो– IV विनिर्देशों को प्राप्त करने के लिए एचपीसीएल द्वारा मुबंई रिफाईनरी में 2.2 एमएमटीपीए की डीजल हाइड्रोट्रीटर सुविधाएं स्थापित करने के लिए डीएचटी परियोजना आरंभ की गई। परियोजना की कुल लागत रूपये 3284 करोड़ है और इसके मार्च 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है। तेउविबो द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए रूपये 100 करोड़ की राशि जारी की गई।

9.3 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड – 77 करोड़ रूपये का ऋण

बीपीसीएल एक संगठित तेल कम्पनी है जो कच्चे तेल के परिशोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों एवं पेट्रोरसायन फीडस्टॉक के विपणन में संलग्न है। कंपनी ने भारत तथा विदशों में अपनी गतिविधियों को अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेल तथा गैस के अन्वेषण की ओर भी बढाया है। वर्ष 2010–11 के दौरान तेउविबो द्वारा कंपनी को निम्न परियोजनाओं के लिए रूपये 77 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाए गए।

निरन्तर उत्प्रेरक जनित रिफॉर्मर (कंटिन्युअस कैटेलिटिक रिजनरेशन रिफॉर्मर), (सीसीआर) मुंबई रिफाइनरी

परियोजना की स्थापना निम्न सुविधाओं की परिकल्पना के साथ की गईः–

(क) सीसीआर, आइसोमराइजेशन यूनिट तथा स्लक्टिव गेसोलाइन हाइड्रोट्रीटर की स्थापना से MS का उन्नयन। इस सुविधा से एफसीसी गैसोलाइन में ओक्टेन संख्या में सुधार, ओलेफिन्स में गिरावट तथा सल्फर में कमी होगी।

(ख) हाइड्रोक्रेकर के सुधार तथा नये एकीकृत आसुत/वैक्युम गैस ऑयल हाइड्रोट्रीटर की स्थापना से एचएसडी का उन्नयन। इस सुविधा से आसुत स्ट्रीम का उपचार, उच्च सल्फर डीजल स्ट्रीम का यूरो– III/ यूरो– IV HSD में उन्नयन तथा उच्च सल्फर कूड का उच्च अनुपात में प्रसंस्करण संभव होगा।

परियोजना की कुल लागत रूपये 825 करोड है। तेउविबो द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए रूपये 77 करोड़ की राशि जारी की गई।

9.4 गेल (इंडिया) लिमिटेड : रुपये 484 करोड़ का ऋण

गेल (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना 1984 में देश में गैस के बाजार के निरन्तर विकास के लिए गैस क्षेत्र का बुनियादी ढॉचा तैयार करने के लिए की गई। प्राकृतिक गैस परिवहन (8000 कि.मी. पाइपलाइन नेटवर्क) के साथ–साथ गेल ने अपने प्रचालन का विस्तार गैस, प्रसंस्करण, पेट्रोरसायन, तरल पेट्रोलियम गैस, गैस ट्रांसमिशन तथा दूरसंचार में भी किया है। गेल ने इक्विटी व संयुक्त उद्यम द्वारा पावर, लिक्विीफाइड प्राकृतिक गैस का पुनः गैसीकरण, शहर गैस वितरण तथा अन्वेषण एवं उत्पादन में अपनी उपस्थिति में विस्तार किया है।

गेल ने पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में बाजारों/उपभोक्ताओं तक पहुँच सक्षम करने के लिए प्राकृतिक गैस स्रोतों की एक पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना के लिए शानदार योजना से शुरूआत की है। इन राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा क्लीनर ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए कम उर्जा क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवा रहा है। गेल एकीकृत पाइपलाइन प्रणाली की परियोजना विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत मौजूदा दहेज विजापुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) एवं दहेज–विजयवाडा क्षेत्रीय पाइपलाइन (जीआरइपी) प्रणाली की संवर्धन क्षमता बढ़ाने के साथ, चौनसा–झाझर–हिसार पाइपलाइन(सीजेएचपीएल) और दादरी–बवाना–नांगल पाइपलाइन (डीबीएनपीएल) द्वारा इन राज्यों के विभिन्न स्थानों पर, उपभोक्ताओं तक गैस आपूर्ति के लिए प्रेरक लाइन तैयार करना शामिल है।

पाइपलाईन प्रणाली की स्थापना

डीवीपीएल–जीआरइपी पाइपलाइन प्रणाली की क्षमता क्रमानुसार तरीके से संबद्धित करने का प्रस्ताव है। जिसे चौनसा–झाझर–हिसार पाइपलाइन और दादरी–बवाना–नांगल पाइपलाइन के मार्ग में उपभोक्ताओं के लिए पुनर्निर्मित एलएनजी/एनजी की बिक्री व वितरण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह प्राथमिक रूप से पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के पॉवर, उर्वरक, औद्योगिक, ऑटोमोबाइल, वाणिज्यिक/सिटी गैस परियोजनाओं तथा घरेलू क्षेत्रों में गैस की मध्यावधि एवं दीर्घावधि माँग को पूरा करेंगी। चौनसा–झाझर–हिसार पाइपलाइन तथा दादरी–बवाना–नागंल पाइपलाइन का एक बड़ा भाग पूरा हो चुका हैं। हालांकि, CJHPL तथा DBNPL की लाइन बिछाने संबंधी परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए तेउविबो ने गेल को रू 484 करोड़ की राशि जारी की है।

9.5 गेल गैस लिमिटेड : रूपये 74.41 करोड़ का ऋण

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसका गठन 27 मई 2008 को देश में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य के साथ किया गया। गेल गैस को चार शहरों अर्थात् सोनीपत, कोटा, देवास और मेरठ में सीजीडी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। सभी चार शहरों में इस परियोजना की सभी गतिविधियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। गेल गैस दिसम्बर 2009 में सोनीपत में तथा सितम्बर 2010 में देवास में सीएनजी स्टेशन स्थापित कर चुकी है। औद्योगिक इकाईयों को गैस आपूर्ति देवास, सोनीपत तथा कोटा में क्रमशः दिसम्बर 09, मई तथा जनवरी 11 से आरंभ हो गई। गेल गैस द्वारा इन शहरों में घरेलू ग्राहकों के लिए भी गैस आपूर्ति आरंभ हो गई है। मेरठ शहर में विभिन्न खंड के लिए गैस सप्लाई जून 2011 से सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) स्थापित करने के साथ–साथ आरंभ करना निर्धारित किया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए तेउविबो द्वारा 74.41 करोड रूपये की राशि जारी की गई।

9.6 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड : रूपये 65.00 करोड़ का ऋण

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने भारत सरकार की ऑटो ईंधन नीति के अनुसार अपने संयंत्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है ताकि रिफाइनरी में यूरो IV ग्रेड ईंधन का उत्पाद हो सके। एनआरएल द्वारा हाइड्रोक्रेकर यूनिट की क्षमता 1.10 एमएमटीपीए से 1.45 एमएमटीपीए करने, हाइड्रोजन यूनिट की क्षमता 0.380 एमएमटीपीए से 0.486 एमएमटीपीए करने, और सल्फर रिकवरी ब्लॉक की क्षमता 4.79 टीएमटीपीए से 6.4 टीएमटीपीए करने का निर्णय लिया गया ताकि किफायती पूंजी निवेश से यूरो IV ग्रेड ईंधन का उत्पादन हो सके। 434.94 करोड रूपये की अनुमानित लागत से डीजल गुणवत्ता प्रोन्नयन परियोजना (डीक्यूयूपी) पूरा करने का अनुमोदन निदेशक मंडल से लिया जा चुका है। इस अभिनव मार्ग को अपनाने से एनआरएल को अनुकूल निवेश द्वारा वांछित परिणाम मिल पाएगा जो अपने आप में एक बडी उपलब्धि होगी।

अनुमोदित लागत में ही परियोजना पूरी हुई और एनआरएल उत्तर पूर्व की यूरो ग्रेड 4 ईंधन उत्पादन करने वाली पहली रिफाइनरी बन गई। वर्तमान में एनआरएल पूर्व भारत ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी न केवल स्वयं बल्कि अपनी होल्डिंग कम्पनी बीपीसीएल की यूरो 4 और यूरो 3 ग्रेड के ईंधनों की मांग को पूरा कर रही है। वर्ष 2010–11 के दौरान तेउविबो ने रूपये 65 करोड का ऋण जारी किया।

9.7 ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पोलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल): रूपये 283.00 करोड़ का ऋण

मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पोलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), असम सरकार, ऑयल इंडिया लिमिटेड (आईओएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) द्वारा गठित भारत सरकार का उपक्रम है। जिसमें गेल द्वारा 70 प्रतिशत और अन्य तीन प्रमोटरों में प्रत्येक की 10 प्रतिशत इक्विटी की हिस्सेदारी है। वर्तमान में बीपीसीएल ने असम गैस क्रैकर परियोजना कार्यान्वित की है जो कि सीसीईए द्वारा अप्रैल 2006 में 5,460.61 करोड़ रूपये की स्थाई लागत के अनुमान के साथ अनुमोदित की गई है।

अपनी सीमित क्षमता को जो क्षेत्र में सीमित प्रभरण स्टॉक की उपलब्धता की विवशता के कारण है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, परियोजना को 2138 करोड़ रूपये की सब्सिडी के वित्त पोषण से परिकल्पित की गई है। शेष निधि 2:1 के अनुपात में ऋण इक्विटी के रूप में प्राप्त की जाएगी। ऋण मांग तेउविबो द्वारा आशिंक रूप से वहन की गई है जो कि 327 करोड़ है, जिसमें से अब तक 283 करोड़ रूपये दिए जा चुके हैं। ऋण का परियोजना गतिविधियों में उपयोग किया जा चुका है।

मार्च 2011 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 35% हुई है। प्रभरण स्टॉक करार पर ओएनजीसी, ओआईएल द्वारा 6 एमएमएससीएमडी की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, ओएनजीसी द्वारा 1 एमएमएससीएमडी की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा एनआरएल द्वारा 160,000 एमटी नैपथा की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर हो चुके हैं। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस परियोजना में अभियांत्रिकी तथा परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। गेल, प्रमुख प्रोमोटर, द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के विपणन का कार्य किया जा रहा है। मार्च 2011 तक 2176 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय तथा 6949 करोड़ रूपये की वित्तीय प्रतिबद्धता की कुल पूंजीगत लागत आई है।

10. अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार बोर्ड तेल उद्योगों के लिए उपयोगी वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 में इसी बात का उल्लेख है कि जिन क्षेत्रों में अन्वेषण नहीं हुआ है या फिर कम हुआ है वहां ते.उ.वि. उपकर एवं नये–नये माध्यमों से साधन एकत्रित कर अन्वेषण हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जाएं।

(क) नियमित अनुदानी संस्थाएं

पेट्रोलियम संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पहलूओं पर कार्य करने के लिए सरकार ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी),

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआइएसडी) तथा पेट्रोलियम योजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी), नामक पांच संगठनों की स्थापना की है। सरकार के निदेशानुसार इन संगठनों के प्रशासनिक व्यय सहित इनकी गतिविधियों को तेउविबो द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है।

अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्रों से संबंधित तेउविबो के संबंध में, संयुक्त सचिव (अन्वेषण), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सचिव, ते.उ.वि.बोर्ड तथा डी जी एच, ओ एन जी सी, तेउविबो द्वारा गठित ओआईएल के प्रतिनिधियों के एक पीयर ग्रुप का गठन किया गया जो प्रथम परिदृश्य में इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है एवं अपनी सिफारिशें देती है। ग्रुप की सिफारिशों को ते0उ0वि0 बोर्ड के समक्ष उचित निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान जारी करने से पहले तेल उद्योग (विकास) नियम 24 के अनुसार ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा अनुमोदित वे परियोजनाएं जिनकी लागत 25 लाख रूपये से अधिक होती हैं, केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। प्रारंभ से तेउविबो/केन्द्र सरकार ने 119 से ज्यादा परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो गई हैं एवं इससे तेल उद्योग को तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा अन्वेषण के लिए नए क्षेत्रों की पहचान आदि में बहुत लाभ हुआ है।

परियोजनाओं की समीक्षा

तेउविबो द्वारा गठित पीयर ग्रुप जिसमें संयुक्त सचिव (अन्वेषण) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सचिव (तेउविबो) तथा डीजीएच, ओएनजीसी तथा ओआईएल के प्रतिनिधि शामिल हैं, समय–समय पर अपनी बैठकों में तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा अपस्ट्रीम क्षेत्र में पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन दक्षता से किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

डाउनस्ट्रीम सैक्टर

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देती हैं। यह परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित होती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समिति का कार्यकाल दो वर्षों का है जिसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है।

ग) तकनीकी संस्थाओं/सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों यथा आई आई टी दिल्ली, सीपेट चैन्नई, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट, एन.जी.आर.आई हैदराबाद, आई आई पी देहरादून इत्यादि को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता देता है ताकि ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चला सकें।

11. ते उ वि बो / भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनदुान / परियोजनाओं पर व्यय

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने वर्ष 2010–11 के दौरान अनुदान/योजनाओं एवं भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है :–

करोड़ रूपये में

क्र.सं.		अनुदायी संस्थान का नाम	रूपये
	क	**नियमित अनुदायी संस्थाओं को अनुदान**	
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)	51.35
2.		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)	18.58
3.		उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)	11.98
4.		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)	8.20
5.		पेट्रोलियम योजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी)	10.95
		कुल (क)	**101.06**
	ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**	
6.		तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)	0.29
7.		भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (आईआईपी)	0.56
8.		भारतीय तकनीकी संस्थान, बोम्बे (आईआईटी)	1.80
9.		भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडू	0.50
10.		उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी) (पूर्व में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला)	0.11
11.		इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	2.77
12.		नेशनल जिओफोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद (एनजीआरआई)	3.05

13.		सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चैन्नई (सिपेट)	2.75
		कुल (ख)	**11.83**
	ग	**तेउविबो/भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाएं**	
14.		हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)	10.00
15.		राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), राय बरेली	0.75
16.		राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम	2.93
17.		ईआईएल द्वारा पूर्व साध्यता अध्ययन	2.20
		कुल (ग)	**15.88**
		कुल (क+ख+ग)	**128.77**

भारत सरकार / तेउविबोर्ड द्वारा चलित परियोजनाओं को जारी अनुसंधान संबंधी संवितरण

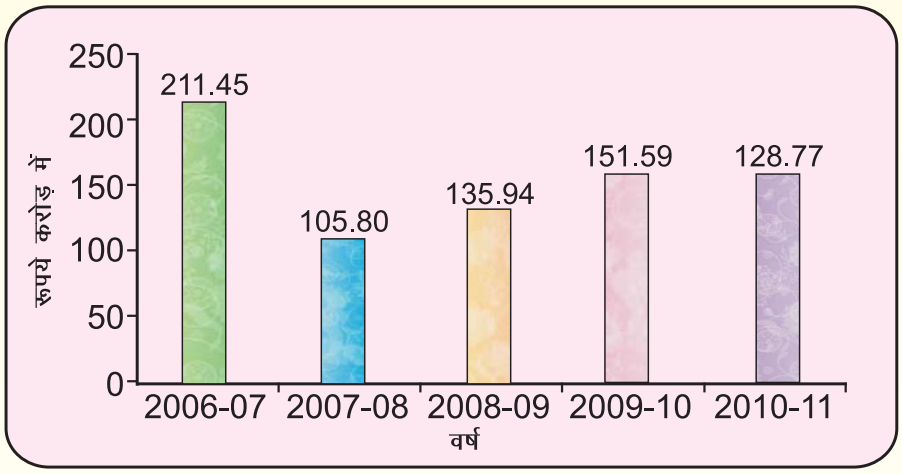

11.क. नियमित अनुदानी संस्थानों को अनुदान

11.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) – रूपये 51.35 करोड़ का अनुदान

हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), का गठन पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से सन् 1993 में एक सरकारी संकल्प के माध्यम से किया गया था। इस उद्देश्य के अनुसरण में डीजीएच ने नये/गैर अन्वेषित या अल्प अन्वेषित क्षेत्रों को भविष्य में अन्वेषण हेतु नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दौरों के लिए नये क्षेत्रों को खोलने के लिए उनकी पहचान करने का कार्य तथा उससे संबंधित डाटा पैकेजों और बेसिन डाकेटों के निर्माण का कार्य करता है। भंडारों के पुनर्वलोकन एवं बड़े तेल क्षेत्रों के निष्पादन मूल्याकंन, के अतिरिक्त डीजीएच उत्पादन हिस्सेदारी करार के अंतर्गत निजी तथा संयुक्त कंपनियों को प्रदत्त अन्वेषित ब्लॉक तथा खोजे गए क्षेत्रों का संविदा प्रबंधन करती है। निदेशालय ने अभिलेखागार प्रणाली एवं राष्ट्रीय अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी डेटा बेस तैयार किया है।

डीजीएच की सम्पूर्ण गतिविधियाँ तेउविबो द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान तेउविबो ने डीजीएच को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 51.35 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया :

1) भावी अन्वेषण के लिए नए क्षेत्र खोलना :

(i) मैसर्स पीजीएस द्वारा अंडमान सागर में सैद्धान्तिक 2डी सेस्मिक सर्वेक्षण :
परियोजना को 7240.725 एलकेएम 2डी सेस्मिक डाटा के साथ पूरा किया गया।

(ii) इंडिया स्पैन–2 के तहत मैसस जीएक्स टेक्नोलाजी द्वारा भारत के पूर्व व पश्चिमी तटों में सैद्धान्तिक 2डी सेस्मिक सर्वेक्षणः

परियोजना को 9632.5 एलकेएम 2डी सेस्मिक डाटा के साथ पूरा किया।

(iii) मैसर्स स्पेक्ट्रम जिओ लि. द्वारा अंडमान द्वीप में 2डी सेस्मिक डाटा की सैद्धान्तिक डाटा की पुनर्प्रसंस्करण।

10,756 एलकेएम 2डी सेस्मिक डाटा की पुनर्प्रसंस्करण परियोजना को पूरा किया।

(iv) ओएनजीसी द्वारा कच्छ के भू–बेसिन पर 2डी सेस्मिक डाटा की प्रोसेसिंग।

कच्छ के भू–बेसिन पर 2डी सेस्मिक डाटा का संस्करण (एनजीआरआई द्वारा अधिग्रहित) जिओपिक, ओएनजीसी, देहरादून में 690.6 जीएलके पर कार्य चल रहा है।

(v) भारत में कच्छ की खाड़ी में एनजीआरआई द्वारा एमएस एंड एमएमटी सर्वेक्षण।

एनजीआरआई ने कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में एमएस एंड एमएमटी सर्वेक्षण किया। कुल 133.984 एलकेएम मैरीन सेस्मिक डाटा तथा मैरीन एमटी के 13 स्टेशन स्वीकार कर लिए गए।

(vi) डाटा आर्काइव जॉब्स

मैसर्स केस्ट्रेल आईडीएम लिमिटेड, यूके के माध्यम से 12000 कार्टिरिज का भू–भौतिकीय डाटा आर्काइवल कार्य प्रगति पर है।

(vii) भू–तल जिओकेमिकल सर्वेक्षण

कावेरी बेसिन, सतपुड़ा–रीवा–दामोदर – कुल 1000 नमूने एकत्रित किए गए।

2) नेल्प का कार्यान्वयन – नेल्प–9 राउंड (2010–11)

भारत सरकार ने 15 अक्तूबर 2010 को नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्प–9) के नौवें दौर को लॉंच किया था। इस दौर के तहत 34 ब्लॉक्स ऑफर किए गए थे जिसमें लगभग 0.88 लाख किलोमीटर का सेडिमेंटरी क्षेत्र कवर होता है। इन ब्लॉकों में 08 गहरे आबंटित पानी के ब्लॉक्स, 7 उथले पानी के ब्लॉक्स तथा 19 आनलैंड ब्लॉक्स हैं। मुंबई, मास्को, सिंगापुर, पर्थ, कैलगरी तथा हॉस्टन में रोड शोज का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर फिजीकल डाटा व्यूइंग रूम्स स्थापित किए गए। दिनांक 28 मार्च 2011 को नेल्प–9 के लिए निविदा प्राप्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑफर किए गए 34 ब्लॉकों में से 33 के लिए कुल चौहत्तर (74) निविदाऐं प्राप्त हुईं। निविदाओं का मूल्यांकन कार्य चल रहा है तथा इन्हें जल्द ही आबंटित कर दिया जाएगा।

3) उत्पादन भागीदारी संविदाओं की निगरानी :

भारत सरकार ने अन्वेषण तथा विकास के लिए 28 खोजे गए फील्ड्स, 33 सीबीएम ब्लॉक्स तथा 235 ब्लॉक्स के लिए निजी/संयुक्त उद्यमों/राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ संविदाएं की हैं। इनमें से 185 अन्वेषण ब्लॉक्स, 28 सीबीएम ब्लॉक तथा 27 खोजे गए फील्ड्स की संविदाओं पर परिचालन कार्य चल रहा है। डीजीएच भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन कार्य की निगरानी करती है जिसके लिए प्रत्येक ब्लाक के लिए प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। इस कार्य में शामिल हैं – वार्षिक वर्क प्रोग्राम की गहन समीक्षा, प्रोजेक्ट की निगरानी(विशेषकर अतिरिक्त समय व लागत की), रिजर्व तथा उत्पादन प्रोफॉइल की गणना, फील्ड का सिमुलेशन मॉडल तैयार करना, विकास योजना की समीक्षा तथा उसका अनुमोदन, बजट तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। मार्च 2011 तक कंपनियों ने अन्वेषण तथा उत्पादन पर लगभग 25,556 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के तहत लगभग 9.68 एमएमटी आयल तथा 26.77 बीसीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ, जो वर्ष के दौरान तेल व गैस का देश के कुल उत्पादन का क्रमशः लगभग 26% तथा 51% है।

4) राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नामांकन आधार पर धारित पट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसिज की निगरानी :

डीजीएच ने राष्ट्रीय तेल कंपनी (ओएनजीसी तथा ओआईएल) द्वारा धारित पट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसिज(पीईएल) की 74(63 ओएनजीसी तथा 11 ओआईएल) अन्वेषण गतिविधियों की प्रगति की अर्ध–वार्षिक तथा दिए गए वर्क प्रोग्राम के आधार पर समीक्षा की। राष्ट्रीय तेल कंपनी से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा अवधि के दौरान डाटा की जांच पड़ताल की गई तथा प्रत्येक मामले के आधार पर पीईएल अवधि में विस्तार, पीईएल को पेट्रोलियम माइनिंग लीज(पीएमएल) में ट्रांसफर करने तथा आवश्यकता होने पर कतिपय पीईएल एरिया को छोड़ने संबंधी मुद्दों पर सिफारिश की गई हैं।

5) वर्ष 2010–11 के दौरान क्षेत्रीय विकास, भंडार तथा उत्पादन की निगरानी

डीजीएच विकास गतिविधियों की निगरानी करती है जिनमें – वर्क प्रोग्राम तथा उत्पादन भागीदारी संविदाओं जैसे मंगला, डी–1 व 3, एमए, पन्ना–मुक्ता, ताप्ती, राव्वा, खारसंग, लक्ष्मी, गौरी, पीवाई–3, पीवाई–1, असजोल, बाकरोल, इंदरोरा, लोहार, बाओला, ढोल्का, एनएस–ए, एन. बालोल, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, सरस्वती, दीन दयाल वेस्ट, ईईयू–1, तथा कामेश्वरी (वेस्ट) का बजट शामिल हैं। डीजीएच खोजों, वाणिज्यिकता की घोषणा से संबंधित अन्वेषण ब्लॉक्स तथा भंडार इंजीनियरिंग से संबंधित आरंभिक विकास योजना इत्यादि गतिविधियों का कार्य करती है।

6) उन्नत आयल रिकवरी/संवर्धित आयल रिकवरी(आईओआर/ईओआर) परियोजनाएं तथा एनओसीज के क्षेत्रों की उपलब्धियों की निगरानी

डीजीएच 15 प्रमुख आईओआर/ईओआर प्रोजेक्ट्स की उपलब्धियों के विषय में ओएनजीसी की विभिन्न संपदाओं के कार्मिकों से निरंतर वार्तालाप करती रहती है। उपलब्ध कराए गए डाटा की समीक्षा तथा आपसी बातचीत के आधार पर क्षेत्र के कार्यान्वयन तथा रिकवरी में सुधार संबंधी सिफारिशें की जाती हैं।

डीजीएच में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के सभी उत्पादन फील्ड्स (230 से भी अधिक) की विस्तृत उत्पादन परफारमेंस निगरानी की गई। क्षेत्रों से डाटा संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाया गया तथा इस संबंध में एनओसीज से अनुरोध किया गया। असेट्स/फील्ड्स पर तैनात राष्ट्रीय तेल कंपनियों के कार्मिकों से डीजीएच की टीम संपर्क करती है ताकि बेसिक फील्ड डाटा ऐतिहासिक तथा मासिक

आधार पर एकत्रित किए जा सके। प्राप्त डाटा के विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ अर्ध–वार्षिक समीक्षा की जाएगी ताकि उत्पादन परफारमेंस में सुधार लाया जा सके।

7) वर्ष 2010–11 के दौरान जी एंड जी ग्रुप द्वारा कार्यान्वित कार्य

पीएससी ब्लॉक्स/निजी क्षेत्र के फील्ड्स से संबंधित अवधि के दौरान डीजीएच द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

- अन्वेषण ब्लॉक्स तथा विकास फील्ड्स में अन्वेषण, मूल्यांकन तथा विकास स्थलों के अनुमोदन संबंधी 114 प्रस्तावों की जांच समीक्षा की गई।
- इंटीग्रेटिड इंटरप्रीटेशन, पेट्रोलियम सिस्टम मॉडलिंग, जिओलाजिकल विकास से संबंधित विभिन्न आपरेटरों द्वारा प्रस्तुत 55 टेक्नीकल रिपोर्टों की जांच की गई तथा प्रभावी अन्वेषण तथा विकास रणनीतियों से संबंधित आयोजना तथा अपनाने के बारे में भंडार डाटा रिपोर्टों की तर्कसंगत जांच की गई।
- 23 स्थानों के कुल 12 मूल्यांकित कार्यक्रमों की तर्कसंगत जांच एवं समीक्षा की गई।
- 8 वाणिज्यिक घोषणाओं(डीओसी) की समीक्षा की गई।
- 3 उत्पादन फील्ड्स के लिए 6 विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई जिनके नाम हैं :– कामेश्वरी–डब्ल्यू, तारापुर–जी, मिरोली–1 व 6 तथा 2 ब्लॉक्स–बीके–सीबीएम–2001/1, सीबी–ओएनएन–2000/1(इंगोली)
- बेसिक व्याख्या, की लेवल की मार्किंग, बेसमेंट असेसमेंट तथा ऑफर किए गए 34 नेल्प–9 ब्लॉक्स के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पूर्वानुमान तथा दृश्य सहायता के लिए डाकेट तैयार करने संबंधी कार्य किए गए।
- 192 लाइन सेस्मिक डाटा कलेक्शन तथा 33 वेल डाटा ईसी बेसिन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट संबंधी कार्य किया गया तथा क्वालिटी कंट्रोल कार्य चल रहा है।
- सरकार तथा यूनाईटेड स्टेट्स जिओलाजिकल सर्वे(यूएसजीएस) द्वारा स्थापित शैल गैस के संयुक्त प्रोजेक्ट के लिए 5 सेडिमेंटरी बेसिंस से संबंधित 281 कुओं का लोडिंग, कंपोजिट लॉग तैयार करना तथा स्ट्रेटीग्राफिक मार्कर्स प्लेस करना/शैल टारगेट होराइजन पूरा करना।

8) नेशनल डाटा रिपाजिटरी (एनडीआर)

वर्ष 2010–11 दिनांक 31.03.2011 तक वास्तविक भौतिक कार्यनिष्पादन

एनडीआर से अभिप्राय है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन डाटा को दीर्घावधि तक सुरक्षित एवं पुनःप्रयोग के लिए उचित रूप से स्टोर करना तथा उसका रखरखाव करना ताकि उनको स्टेकहोल्डर्स को उपलब्ध कराया जा सके। टेंडर दस्तावेज में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पांच टेक्नीकल निविदाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 17.05.2010 को पूरा किया गया। तकनीकी तौर पर तीन निविदाओं को स्वीकार किया गया तथा उनकी मूल्य बिड्स को दिनांक 21.05.2010 को खोला गया। निविदाओं का टेक्नो–कमर्शियल मूल्यांकन दिनांक 19.07.2010 को पूरा किया गया तथा एनडीआर संविदा अवार्ड करने संबंधी प्रस्ताव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) को दिनांक 29.07.2010 को भेजा गया। डीजीएच ने प्रस्ताव के संबंध में मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों में से नवीनतम स्पष्टीकरण दिनांक 15.03.2010 को भेजा गया। दिनांक 31.03.2011 को उक्त प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

9) कोलबेड मिथेन (सीबीएम)

भारत सरकार ने देश में उपलब्ध सीबीएम का भरपूर उपयोग करने के लिए वर्ष 1997 में एक सीबीएम पालिसी का निर्माण किया था। सीबीएम पालिसी को परिचालित करने में डीजीएच ने सराहनीय कार्य किया है। पालिसी द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों को सीबीएम के अन्वेषण तथा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं।

मई 2001 में देश में पहली बार, सीबीएम ब्लॉक्स को देश में अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया के तहत आफर किया गया। अभी तक सरकार ने सीबीएम के 3 राउंड्स के तहत 33 सीबीएम ब्लॉक्स को नेशनल, प्राइवेट तथा संयुक्त उद्यमी कंपनियों को आफर किया गया है। लगभग 17327 किमी2 के क्षेत्र में अवार्ड किए गए 33 ब्लॉक्स में सीबीएम संसाधनों की कुल मात्रा लगभग बीसीएम (63.9 टीसीएफ) है। अवार्ड किए गए ब्लॉक्स में पिछले 5 वर्षों के दौरान 200 से अधिक कोर होल्स, 45 टेस्ट वेल्स तथा 100 पायलट/उत्पादन वेल्स की खुदाई की जा चुकी है। तीन ब्लॉक्स में अन्वेषण कार्य पूरा किया जा चुका है जो विकास के चरण में प्रवेश कर गया है। कुछ ब्लॉक्स में प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्धक हैं।

रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक में कमर्शियल उत्पादन शुरु हो गया है जिसका परिचालन जीईईसीएल द्वारा किया जा रहा है तथा इसमें वर्तमान में 1,60,00 एम3/डी का उत्पादन हो रहा है। रानीगंज (पूर्व) तथा झरिया दो ब्लाकों में क्रमशः 30,000 एम3/डी तथा 5000 एम3/डी की दर से गैस का इंसीडेंटल उत्पादन हो रहा है।

अनेक सेडिमेंटरी बेसिन में आयल/गैस तथा सीबीएम दोनों के पाए जाने की संभावना है। इस संबंध में एमओपीएनजी के साथ गहन परामर्श करके सीबीएम तथा आयल/गैस का एक साथ परिचालन करने हेतु पालिसी का मसौदा तैयार किया गया। सीबीएम तथा आयॅल/गैस का ड्राफट पलिसी के एक साथ परिचालन करने हेतु एक सहविकास करार पालिसी का मसौदा तैयार किया गया। परिचालन संबंधी मामलों के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसमें एमओपीएनजी, कोयला मंत्रालय, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन

इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआई) तथा डीजीएच के अधिकारी शामिल थे। समिति ने सीबीएम तथा आयल/गैस के एक साथ परिचालन के लिए रिपोर्ट तथा सह–विकास करार के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान किया।

10. अनिवार्यता प्रमाणपत्र

वर्ष 2010–11 के दौरान, डीजीएच ने कुल 13065 अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए जिनका सीआईएफ मूल्य 42304 करोड़ रुपए था।

11. नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम (एनजीएचपी)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा तकनीकी रूप से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय(डीजीएच) द्वारा संचालित, एनजीएचपी नेशनल ई एंड पी कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा आयल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसन टेक्नोलाजी (एनआईओटी) का संयुक्त उद्यम है।

एनजीएचपी अभियान 01, 2006

एनजीएचपी के अंतर्गत 28 अप्रैल 2006 से 19 अगस्त 2006 के दौरान चार भारतीय समुद्री क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट कोरिंग/ड्रिलिंग/एलडब्ल्यूडी/एमडब्ल्यूडी परिचालन कार्य किए गए जिसमें स्पेशलाइज्ड ड्रिलशिप जेओआईडीईएस रिजोल्यूशन का प्रयोग किया गया। एनजीएचपी अभियान 01 का यूनाइटेड स्टेट्स जियोलाजिकल सर्वे(यूएसजीएस) मुख्य तकनीकी सहभागी था।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में गैस हाइड्रेट अन्वेषण के लिए एनजीएचपी प्रयासों के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दिया गया :

- पैसिव कांटिनेंटल मार्जिन तथा मैरीन एक्रीशनरी वेज सेटिंग्स में गैस–हाइड्रेट–बियरिंग मैरीन सेडिमेंट्स के विस्तृत विश्लेषण किए गए।
- अनेक जटिल जियोलाजिक सेटिंग्स में गैस हाइड्रेट खोजे गए तथा असंभावित संख्या में गैस हाइड्रेट कोर(21 साइटों तथा 39 होल्स से 2800 मीटर) एकत्रित किए।
- विश्व में अभी तक खोजे गए सबसे बहुमूल्य मैरीन गैस हाइड्रेट भंडारों में एक (कृष्णा गोदावरी बेसिन) की रूपरेखा तथा नमूना प्रस्तुत किया।
- एक सघन तथा अति गहरे गैस हाइड्रेट की उपलब्धता की खोज (अंडमान द्वीप) जिससे पता चला है कि समुद्री तल के नीचे 600 मीटर गहरे में गैस हाइड्रेट–बियरिंग–वोल्कानिक एश लेयर्स मौजूद हैं।

- बंगाल की खाड़ी के महानदी बेसिन में एक पूरी तरह से विकसित गैस हाइड्रेट सिस्टम की स्थापना की।

सेडिमेंट कोर का विश्लेषण

आनबोर्ड जोआइड्स रिजोल्यूशन जैसे जियोकेमिस्ट्री/क्ले मिनरालॉजी, सेडिमेंटोलाजिकल, जियोकेमिकल तथा आइसोटॉपिक स्टडीज आफ ओथजेनिक कार्बोनेट्स, माइक्रोबायोलाजी, रॉक–फिजिक्स माडलिंग आफ शैलो मैरीन सेडिमेंट्स, सेस्मिक अटेन्युशन स्टडीज आफ शैलो मैरीन सेडिमेंट्स, गैस केमिस्ट्री के सेडिमेंट कोर कलेक्ट किए तथा उनका विश्लेषण एवं अध्ययन किया गया।

भारतीय समुद्र में गैस हाइड्रेट्स संसाधनों का अनुमान

भारतीय समुद्र के केजी महानदी तथा अंडमान सागर के गहरे पानी में हाइड्रेट की उपलब्धता का पता चलने तथा गैस हाइड्रेट में मीथेन के अन्वेषण व दोहन के वाणिज्यिक हित को देखते हुए, एनजीएचपी ने भारतीय समुद्र में केजी के गहरे पानी पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीति अपनाई है तथा हाइड्रेट से मीथेन के वाणिज्यिक दोहन के लिए टेक्नोलाजी के विकास की आर एंड डी पर बल दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केजी समुद्री पानी में गैस हाइड्रेट्स संसाधन के अनुमान को प्राथमिकता दी जा रही है।

एनजीआरआई, हैदराबाद कृष्णा–गोदावरी समुद्री क्षेत्र में गैस हाइड्रेट्स का हवाई परिमाण तथा मात्रात्मक निर्धारण का कार्य कर रहा है। जबकि एनआईओ, गोवा ने सेस्मिक अटेन्युएशन स्टडीज का प्रयोग करते हुए हाइड्रेट डिपाजिट्स का स्थानिक परिमाण की गुणवत्ता अनुमान के प्रोजेक्ट पर कार्य संभाला है। इसके अलावा यह विभिन्न स्रोतों की फ्रिक्वेंसीज के लिए गैस हाइड्रेट्स के बिखरे क्षेत्रों की बीएसआर माडलिंग का कार्य कर रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद संसाधन अनुमान गणना से हमें केजी एरिया में उपलब्ध गैस हाइड्रेट संसाधनों की मात्रा की जानकारी मिलेगी। मिलने वाली इस जानकारी को एनजीएचपी अभियानों को आगे जारी रखने के लिए एक अहम बिंदु के रूप में पहचान की गई है।

एनजीएचपी अभियान 02 के लिए तैयारी

एनजीएचपी अभियान 02 के लिए 40 स्थानों की पहचान की गई है जिनका उद्देश्य रेत संभावित साइट्स की खुदाई करना है चूंकि वहां पर उत्पादन परीक्षण आसानी से किए जा सकेंगे। उक्त 40 स्थानों में से आरआईएल ने केजी महानदी क्षेत्र के गहरे पानी में अपने पहचान क्षेत्र में 13 साइटों का पता लगाया है जबकि ओएनजीसी ने पूर्वी तट के गहरे पानी में अपने परिचालन क्षेत्र में 27 स्थानों की पहचान की है।

इन साइटों के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलाजिकल सर्वे(यूएसजीएस), यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट आफ एनर्जी(यूएसडीओई) तथा यूनाइटेड स्टेट्स मिनरल्स मैनेजमेंट सर्विस(यूएसएमएमएस), के साथ चर्चा की। इन साइटों के मूल्यांकन पर कार्रवाई की जा रही है।

12) ऑयल शैल 2010–11

फेज–1 का अध्ययन पूरा हो चुका है। फेज–2 शुरु करने पर कार्रवाई की गई है।

13) शैल गैस कार्य योजना 2010–11

डीजीएच ने शैल गैस अन्वेषण के भावी क्षेत्रों की पहचान करने तथा अतिरिक्त जियो–साइंटिफिक डाटा का अधिग्रहण करने, शैल गैस अन्वेषण के लिए पालिसी बनाने तथा वर्ष 2011 के अंत तक प्रथम शैल गैस राउंड लांच करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पिछले अनेक वर्षों के देश में तेल/गैस के पारंपारिक अन्वेषण से संबंधित उपलब्ध डाटा के आधार पर फेज–1 के तहत शैल गैस की दृष्टि से कैम बे बेसिन, गोंडवाना बेसिन, केजी बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडो–गंजेटिक बेसिन, आसाम अराकन बेसिन से काफी संभावनाएं हैं।

तथापि, तेल/गैस के पारंपारिक अन्वेषण के दौरान जुटाए गए जियो–साइंटिफिक डाटा का अन्य बेसिन के लिए भी विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है ताकि शैल गैस के भावी क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

- एमओपीएनजी ने गोंडवाना बेसिन में सीबीएम के दो ब्लाकों (रानीगंज नार्थ तथा नार्थ करणपुरा) में शैल गैस के अन्वेषण के लिए ओएनजीसी को आर एंड डी प्रोजेक्ट के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है। ओएनजीसी की शैल गैस से संबंधित डाटा प्राप्त करने के लिए 4 पायलट वेल्स खोदने की योजना है। दो कुओं की खुदाई की गई है तथा सीबीएम ब्लॉक रानीगंज(नार्थ) के पहले कुएं (आरएनजी–1) में गैस पाई गई है।

- एमओपीएनजी ने उपलब्ध डाटा सेट का विश्लेषण करने तथा भारत में शैल गैस विकास की प्रणाली का सुझाव देने के लिए डीजीएच, ओएनजीसी, ओआईएल, गेल की एक बहु संगठनीय टीम(एमओटी) बनाई है।

- डिपार्टमेंट आफ स्टेट्स के निमंत्रण पर भारतीय तकनीकी शिष्टमंडल(डीजीएच, ओएनजीसी, गेल) ने वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल शैल गैस इनिशिएटिव(जीएसजीआई) कांफ्रेंस में भाग लिया तथा 23–25 अगस्त 2010 को शैल गैस साइट का दौरा किया।

- डिपार्टमेंट आफ स्टेट्स, यूएसए तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (डीजीएच के माध्यम से) दिनांक 06.10.2010 को निम्नलिखित के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं :

  ए) भारत में उपलब्ध शैल गैस संसाधनों का निर्धारण

  बी) भारत के लोगों को प्रशिक्षण देना

  सी) रेगुलेटरी ढ़ांचें में सहायता प्रदान करना

- यूएसजीएस टीम द्वारा दिनांक 5–7 जनवरी 2010 को इंडियन बेसिंस के संसाधन निर्धारण पर दिल्ली में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

14. सलाहकार परिषद का कार्य

डीजीएच की सलाहकार परिषद की सलाह पर तकनीकी मामलों/वैज्ञानिक परियोजना डीजीएच द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परिषद, डीजीएच द्वारा की गई प्रमुख तकनीकी अध्ययनों तथा कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी करता है।

11.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) : रूपये 18.58 करोड़ का अनुदान

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में 1978 में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, परिवहन एवं घरेलू और वाणिज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हुई है। यह सरकार को पेट्रोलियम संरक्षण के संबंध में योजनाएं एवं कूटनीतियां बनाने में सहायता करती है जिससे कि देश की तेल आवश्यकताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम हो। गत वर्षों में पीसीआरए ने ऊर्जा के विभिन्न साधनों के उपयोग में उत्पादकता में सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा निरंतर विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु अपनी भूमिका को और व्यापक किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड ने पीसीआरए को विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन तथा प्रशासनिक खर्चो के लिए 18.58 करोड़ रूपये जारी किए। वर्ष के दौरान पीसीआरए द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों की झलक नीचे दी गई है :

पीसीआरए की गतिविधियाँ –एक समीक्षा

वर्ष के दौरान, पीसीआरए ने ऊर्जा दक्ष उत्पाद प्रक्रियाओं इत्यादि के विकास हेतु परियोजनाओं को प्रायोजित कर ऊर्जा ऑडिट, ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी कार्यशालाओं एवं सेमिनार तथा अनुसंधान व विकास जैसी अपनी विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के सफल उपयोग तथा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया।

क्षेत्रीय गतिविधियाँ

क्षेत्रीय गतिविधियाँ पीसीआरए के प्रमुख क्रियाकलापों में से एक हैं। सेक्टर संबंधी क्षेत्र गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए अभियंता तथा इसके बाह्य विषेशज्ञ अपने नवीन ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के साथ लक्षित समूह तक पहुँचते है। ये गतिविधियाँ हमारे देश के औद्योगिक, परिवहन, घरेलू, कृषि तथा वाणिज्यि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूपरेखा के एक विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए अभिकल्पित की गई है। वर्ष 2010–11 के दौरान, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान को नई ऊँचाई पर ले जाने के नए मानक को निर्धारित किया गया, जो कि पीसीआरए के द्वारा की गई कुल गतिविधियों में प्रतिबिंबित होता था। यह वर्ष 2010–11 की गतिविधियों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक थी। पिछले वर्ष की 5122 क्षेत्रीय गतिविधियों की उपलब्धि की तुलना में, वर्ष 2010–11 के दौरान देश भर में पीसीआरए द्वारा 6387 क्षेत्रीय गतिविधियाँ पूरी की गईं।

औद्योगिक क्षेत्र

- **ऊर्जा ऑडिट**

वर्ष 2010–11 के दौरान, पीसीआरए ने औद्योगिक क्षेत्र में 687 ऊर्जा कार्यक्षमता अध्ययनों का संचालन किया, जिसमें लघु–स्तरीय उद्योगों में ऊर्जा ऑडिट(364), ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन(167) तथा वॉकथरू ग्राफ ऑडिट (156) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, पीसीआरए ने आन्ध्रप्रदेश में विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल में माहेस्तला और गुवाहटी, तिनसुकिआ, जोरहाट, राँगिया, तेजपुर, असम के देखियाजुली व रंगापारा के नगरीय स्थानीय निकायों हेतु माँग प्रबन्धन परियोजनाओं का भार सँभाला। एसएमई क्षेत्र में पीसीआरए ने पाली टेक्स्टाइल क्लस्टर, गुजरात डेरी क्लस्टर, बैंगलोर मशीन क्लस्टर तथा जोरहाट टी क्लस्टर की परियोजनाओं का कार्यभार सँभाला। इन अध्ययनों के माध्यम से 497796 केएलओई (1493 करोड़ रूपये) की बचत हुई तथा पिछ्ले वर्ष जिन ग्राहकों के लिए समान ऊर्जा कार्यक्षमता अध्ययन किए गए थे, उनके फॉलो–अप अध्ययन से 19430 केएलओई (58 करोड़ रूपये) की बचत हुई।

- **सेमिनार**

तकनीकी सेमिनार प्रौद्योगिकियों में नवीनतम विकास के प्रचार–प्रसार के लिए तथा ऊर्जा कार्यक्षमता को सुधारने के लिए परिचालन कार्यों में सुधार हेतु भी एक प्रभावी उपकरण है। इस दिशा में वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में लाभ हेतु देश के विभिन्न भागों में 105 सेमिनार–तकनीकी बैठक आयोजित की। इन सेमिनारों के दौरान, उस क्षेत्र में ऊर्जा कार्यक्षमता अध्ययनों का संचालन करने के, पीसीआरए के अनुभव को ऐसी अध्ययन प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया गया है, जिसमें आवश्यक निवेश तथा ऊर्जा कार्यक्षमता उपायों के उपयोग से उपार्जित लाभों को दर्शाया गया है।

- **प्रदर्शनियाँ**

पीसीआरए द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ नवीनतम ईंधन की बचत अभियान/सलाह के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु उचित एवं उत्कृष्ट माध्यम हैं और पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जनता को जागरूक करने का अवसर प्रदान करती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने 108 प्रदर्शनियाँ आयोजित की या उनमें भाग लिया। प्रमुख प्रदर्शनियॉ पेट्रोटेक–2010 तथा 30वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से पीसीआरए ने अपनी आंतरिक क्षमताओं तथा विषेज्ञताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पूर्वक दी गई सेवाओं के अध्ययन को प्रदर्शित किया।

- **संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम(आइटीपी) एक ऐसी गतिविधि है जिसमें प्राथमिक रूप से, औद्योगिक ऑडिट के दौरान पीसीआरए द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों को बाँटा जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य उद्योग के सदस्यों में संरक्षण अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा कराना होता है जो कि संयत्र में ऊर्जा ऑडिट द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार के 363 औद्योगिक प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

- **औद्योगिक कार्यशालाएँ**

पीसीआरए ने 298 कार्यशालाएँ आयोजित की जिसमें पीसीआरए द्वारा उद्योगों में ईंधन एवं ऊर्जा बचत की युक्तियों के बारे में तैयार की गई फिल्मों और क्लिपिंग की स्क्रीनिंग के साथ–साथ ऊर्जा एवं ईंधन बचत पर व्याख्यान दिए गए।

परिवहन क्षेत्र

परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादो की खपत देश की कुल खपत का प्रायः 50 प्रतिशत तक होती है। अध्ययन यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में तकरीबन 20 प्रतिशत की बचत होने की गुंजाइश है। इस बचत संभावना को बताने के लिए पीसीआरए राज्य सड़क परिवहन निगमों निजी परिवहन, प्रचालकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए बेहतर रखरखाव परिपाटियों, बेहतर ड्राइविंग आदतों, माडल डिपों के अध्ययन, इमीशन अवेयरनस कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, क्लीनिकों आदि के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहकों व ग्रीस के कार्यक्षम उपयोग को बढ़ाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है।

- **ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों और मेकैनिकों को ड्राइविंग की अच्छी आदतें सिखाना और रखरखाव की अच्छी कार्यविधियां बताना है, ताकि परिवहन क्षेत्र में ईंधन प्रयोग की

कार्यकुशलता को बढ़ावा मिल सके। इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ड्राईवर इस ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य परिवहन इकाई के ड्राइवरों, सेना, बीएसएफ, तेल कंपनियों और निजी वाहकों को उनकी ड्राइविंग क्षमताओं के साथ ईंधन की पर्याप्त मात्रा की बचत को सुधारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 768 डीटीपी का आयोजन किया तथा 13230 ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया। जिनको मिलाकर 1985–86 से अब तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 167148 ड्राईवरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीसीआरए का ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम केएमपीएल के सुधार में एक प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। पीसीआरए ने निरन्तर इंटरेक्शन व अच्छी ड्राईविंग सलाह अपनाने के प्रयास से राज्य परिवहन ईकाई (एसटीयू) और अन्य परिवहन के क्षेत्र के प्रति किलोमीटर ईंधन खपत (केएमपीएल) के एक बड़े भाग में वृद्धि हुई।

- **मॉडल डिपो परियोजना (एमडीपी)**

  मॉडल डिपो परियोजना पीसीआरए द्वारा प्रदत्त एक अद्वितीय सेवा है। यह एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य सड़क परिवहन यूनिटों और अन्य परिवहन आपरेटरों जिनकी किलोमीटर प्रति लीटर की दर (केएमपीएल) कम है, की डिपो और कार्यशालाओं की मौजूदा व्यवस्था, आधारभूत ढांचे और रखरखाव प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में डिपों के सभी ऐतिहासिक अभिलेखों का विस्तृत विश्लेषण करना और वाहनों की वर्तमान हालत की जांच करना और सिस्टम को सुधारने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाना शामिल है। वर्ष 2010–11 में इस प्रकार के कुल 121 अध्ययन किए गए।

- **एक दिवसीय परिवहन कार्यशाला**

  इस कार्यशाला ने ऑपटिमल ईंधन की खपत को प्राप्त करने के लिए उचित अनुपालन तथा रखरखाव एवं प्रयासों के बारे में ड्राइवरों तथा वैज्ञानिकों के बीच बडी सूचना अभाव को दूर करने के लिए एक सेतू का काम किया। वर्ष 2010–11 के दौरान इस तरह की 609 कार्यशालाएं पीसीआरए द्वारा आयोजित की गई। ऑडियों विजुअल एड्स तथा पीसीआरए द्वारा प्रकाशित सामग्री से चालकों तथा मैकेनिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करने तथा सुगठित ड्राइविंग अभ्यास के बारे में उनकी जागरूकता को बढ़ाया गया।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र में पीसीआरए के प्रयास वाहनों द्वारा प्रचार, बायो डीजल पर कार्यशालाओं, किसान मेलों और प्रदर्शनियों पर केन्द्रित रहते हैं। वर्ष के दौरान पीसीआरए ने 60 किसान मेलों में भाग लिया और 525

कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें ईंधन की बचत के बारे में सुझाव, आईएसआई चिन्हित फुट वाल्व के प्रदर्शन तथा बायो डीजल के बारे में पीसीआरए द्वारा बनाई गई क्लिपिंग और फिल्मों को दिखाया गया।

घरेलू क्षेत्र

- **एलपीजी/केरोसीन की बचत पर कार्यशाला**

वर्ष के दौरान पीसीआरए की गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु महिलाओं को बेहतर खाना बनाने की आदतों के बारे में शिक्षित करने पर रहा, जिसका लक्ष्य रसोई गैस, मिट्टी तेल के संरक्षण, ईंधन कुशल स्टोवों और हल्के उपकरणों के प्रयोग, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि सौर, बायो गैस आदि का प्रयोग करने पर रहा। यह सब पीसीआरए द्वारा प्रस्तुत फिल्मों की स्क्रीनिंग के माध्यम से किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने 746 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया।

- **युवाओं के लिए कार्यक्रम**

पीसीआरए, स्कूलों में जा–जाकर युवाओं के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जिसमें प्रश्नोत्तरी, निबन्ध, वाद–विवाद तथा चित्रकला प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। पीसीआरए का उद्देश्य युवाओं को ऊर्जा संरक्षण की सम्स्याओं से अवगत कराना तथा उन्हें अपने घरेलू जीवन और व्यावसायिक जीवन के व्यापक क्षेत्र में तेल संरक्षण के उद्देश्य को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2010–11 के दौरान, पीसीआरए ने देश के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में 1322 युवा कार्यक्रमों का आयोजन किया।

<u>नेटवर्किंग</u>

- **<u>अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग</u>**

तेल एवं गैस के क्षेत्र में जापान के साथ सहकारिता हेतु, भारत सरकार के एक उपक्रम के भाग के रूप में, पीसीआरए ने 28 जून 2006 में दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण केन्द्र जापान(ईसीसीजे) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन की वैद्यता, पीसीआरए एवं ईसीसी के बीच सहकारिता को वर्ष 2010–11 तथा उसके बाद तक जारी रखने के उद्देष्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- पीसीआरए, तेल क्षेत्र तथा जापान के लोहा एवं इस्पात उद्योग, डेयरी, टेक्सटाइल और लुगदी और कागज उद्योग से भारतीय प्रतिनिधियों को ऊर्जा संरक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षण।
- 2 से 4 मार्च 2011 तक एक अटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जापानी वस्त्र उद्योग तथा पीसीआरए द्वारा निर्धारित भारतीय समकक्ष के सदस्यों द्वारा उर्जा ऑडिट

मैनुअल के विकास पर विचार विमर्श हुआ। भारतीय वस्त्र उद्योग के लाभ के लिए विकसित मैनुअल की सितम्बर 2011 में जारी होने की संभावना है।

- ईसीसीजे ने 8 से 10 फरवरी 2011 में पूर्वी एशिया के लिए टोकियो में आयोजित 5 वीं उर्जा संरक्षण सहयोग कार्यशाला में भाग लेने के लिए पीसीआरए को आमंत्रित किया।

- **घरेलू नेटवर्किंग**

वर्ष के दौरान, सेमिनार, तकनीकी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा ऊर्जा ऑडिट जैसी गतिविधियों को संयुक्त रूप से करने के लिए ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के महासंघ (फिक्की), भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोकैम), पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (पीएचडीसीसीआई) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बिट्रा), दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान (सिट्रा) आदि, जैसे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय उद्योग निकायों के साथ पीसीआरए सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। ये संयुक्त कार्यक्रम लक्षित दर्शकों हेतु ऊर्जा कार्यक्षमता की समस्याओं को प्रभावशाली ढ़ंग से सम्बोधित करने के प्रति बहुत उपयोगी साबित हुए।

- **पीसीआरए एवं बीईई के बीच सहयोग (ईंधन आधारित उपकरणों की ताराँकन रेटिंग)**

ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई) ने, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के साथ संयुक्त रूप से एलपीजी स्टोवों के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों तथा लेबलों को तैयार करने हेतु बाजार में उपलब्ध एलपीजी स्टोवों की कार्यक्षमता का मूल्याँकन करने के लिए एक अध्ययन की शुरूआत की।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए बाजार से आइएसआइ एवं गैर–आइएसआइ चिन्हित वाले एक,दो, तीन तथा चार बर्नर की श्रेणियों से बने घरेलू एलपीजी स्टोवों के नमूने खरीदे गए। यह उष्मीय कार्यक्षमता परीक्षण बीआइएस,एनएबीएल अधिकृत प्रयोगशाला में कार्यान्वित किया गया। परीक्षण के परिणाम के आधार पर स्टोव घरेलू एलपीजी मानकीकरण एवं लेबलिंग के लिए पीसीआरए तथा बीईई द्वारा संयुक्त कारवाई की पहल की गई।

घरेलू एलपीजी स्टोव के लिए स्वैच्छिक लेबलिंग कार्यक्रम पहले ही आरंभ हो चुका है तथा बीईई की वेवसाइट पर कार्यक्रमों का विवरण उपलब्ध है।

पीसीआरए तथा बीईई द्वारा दूसरे ईंधन आधारित उपकरण जैसे डीजल जेनरेटिंग सेट तथा डीजल चालित कृषि पम्प सेट के मानक विकसित करने हेतु पहल की गई। पीसीआरए ने इन उत्पादों के उपकरणों के प्रारंभिक डेटा एकत्रित करने हेतु बाजार सर्वेक्षण भी करवाया।

- **संरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र**

पीसीआरए, संरक्षण भवन, नई दिल्ली का संरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीटीसी) उर्जा सक्षम उत्पाद तथा प्रौद्योगिकी हेतु एक नवीनतम स्थाई प्रदर्शन केन्द्र है। सीटीसी की स्थापना से आम जनता के लिए उर्जा कुशल उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर प्रभावी सूचना प्रसार की खाई को भरने का काम किया गया।

प्रदर्शित कुछ उर्जा कुशल उत्पादों में औद्योगिक उपकरण जैसे मोटर्स और लाइटिंग श्रम साध्य अनुसंधान द्वारा जन खपत वाले उत्पाद जैसे मिट्टी के तेल का लैंप तथा स्टोव, अभिनव निर्माण सामग्री तथा उर्जा संरक्षण वाले पदार्थो तथा उर्जा दक्षता ब्यूरों के बैंच मार्क वाले स्टार लेबल वाले उत्पाद शामिल हैं। परिवहन क्षेत्र में बायोडीजल तथा फ्यूल ऐकिंशेंसी की नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रतिबिम्ब है।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पीसीआरए की एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां पीसीआरए के उर्जा संरक्षण प्रयासों को मजबूती प्रदान करती है, जिनका लक्ष्य ऐसे नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का विकास करना होता है जिसमें उर्जा बचत, पर्यावरण गुणवत्ता, उर्जा सुरक्षा और सतत विकास की संभावनाएं निहित हैं।

भारतीय उद्योग अत्यधिक ऊर्जा प्रगाढ़ है। भारत में कुल वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत की खपत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा की जाती है तथा संपूर्ण ऊर्जा खपत में से 7.5 प्रतिशत बचत करने वाले क्षेत्र में 15–20 प्रतिशत बचत की गुंजाइश है। अतः चमड़ा, शीतागार, संघानशालाओं तथा टेक्स्टाइल इत्यादि जैसे ऊर्जा प्रगाढ़ औद्योगिक समूहों के विकास के लिए दवाब डाला गया है।

पीसीआरए के क्रियाकलापों के लिए जारी किये गये आदेश के अनुसार, संगठन ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को गतिशील करने वाले प्रयासों को प्रोत्साहन देने और कार्यनीति बनाने वाली नवीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित किया ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में उर्जा की कार्यकुशलता बढ़ सके।

पीसीआरए की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की झलक नीचे दी गई है :

क्र.सं.	विवरण	परियोजनाओं की संख्या	पीसीआरए का योगदान (रूपये लाख में)
1	वर्ष 2010–11 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	2	22.21
2	वर्ष 2010–11 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं	10	147.55

शिक्षा अभियान

- **पीसीआरए राष्ट्रव्यापी जन–जागरूकता अभियान का दूसरा चरण**

पीसीआर के 'ईंधन की बचत यानि पैसे की बचत' अभियान के दूसरे चरण के प्रभाव निर्धारण सर्वेक्षण के अनुसन्धान परिणामों से ज्ञात हुआ कि इस अभियान से देश के हर क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के 3.1 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रति उत्तर में 85 प्रतिशत लोगों में पीसीआरए द्वारा आयोजित इसी तरह के शिक्षा अभियानों में शामिल होने की इच्छा प्रकट की।

- **बाह्य प्रचार**

तेल तथा गैस संरक्षण का संदेश जन साधारण में पहुंचाने का आउटडोर मीडिया एक प्रभावशाली साधन है। सभी अभियानों की मुख्य थीम आम जनता के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए पीसीआरए आउटडोर विज्ञापनों के लिए विभिन्न साधन जैसे होर्डिंग, एलईडी प्रदर्शन, बस पैनल, बस स्टॉप, यूनीपोल, कियोस्क ट्रेन कोच के अन्दर विज्ञापन, स्तंभ रैप आदि का उपयोग कर रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने भारत के 362 शहरों, कस्बे अपने अभियान में शामिल किये जो कि वर्ष 2009–10 में 200 शहर व कस्बे में जिसमें, पीसीआरए के शैक्षिक अभियान देश के हर कोने में पंहुच सके।

- **मुद्रित साहित्य**

पीसीआरए ने विगत वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद प्रयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं सलाह का संरक्षण संबंधी एक विस्तृत साहित्य परिकल्पना तथा उसे विकसित किया है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में यह साहित्य उपभोक्ताओं को मुफत में वितरित किया जाता है "युवाओं को जगाओ" के विचार के साथ पीसीआरए स्कूली बच्चों के लिए साहित्य वितरित एवं प्रदर्शित करता है। ताकि वे अपने जीवन में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता को अपना सके।

पीसीआरए ने थर्मल और विद्युत उर्जा बचत पर उचित कीमत पर तकनीकी पुस्तिकाओं के दो सेट संकलित किए हैं। इसके अतिरिक्त पीसीआरए ने दो पुस्तकें **"ए प्रैक्टिकल गाइड टू ऐनर्जी कंजरवेशन** इन डेयरी इन्डस्ट्री" तथा **"एनर्जी सेविंगस इन इंडस्ट्री–रीयल लाइफ केस स्टीज"** भी प्रकाशित की है जो उर्जा संरक्षण उपायों के लिए एक रेडी रैकनर है। वर्ष 2010–11 के दौरान पीसीआरए ने पेट्रोलियम संरक्षण पर 28 विभिन्न प्रकार के पत्रक, पुस्तिकाएं, पर्चे, स्टिकर, पोस्टर हिन्दी, अंग्रेजी, असमी बंगाली, उडिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगू, कन्नड तथा मलयालम

में 7.67 लाख प्रतियां साहित्य प्रकाशित की ये प्रकाशित साहत्य ओजीसीएफ 2011 के दौरान बडे पैमाने पर विभिन्न लक्षित समुह के मध्य वितरित किए गए ।

तेल और गैस संरक्षण पखवाड़ा 2011

तेल और गैस संरक्षण पखवाड़ा 2011 (ओजीसीएफ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष पीसीआरए तथा पब्लिक सेक्टर तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से 15 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाता है।

15 जनवरी 2011 में ओजीसीएफ 2011 ने देश की राजधानी तथा सभी राज्यों की राजधानियों में एक प्रभावी उद्घाटन समारोह की शुरूआत की. इस वर्ष का विषय था –

'ईंधन की बचत यानि पैसे की बचत'

ओजीसीएफ 2011 नई दिल्ली के उद्घाटन समारोह में द्वीप प्रज्वलित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री मुरली देवरा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पूर्व केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री मुरली देवरा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं श्री जतिन प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की गणमान्य उपस्थिति में, दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 19 जनवरी 2011 को विज्ञान भवन में किया गया।

उदघाटन समारोह के दौरान राज्य–स्तरीय संयोजकों (एसएलसी), क्षेत्रीय स्तर पर संयोजकों (आरएलसी), राज्य सरकार, अपस्ट्रीम क्षेत्र को ओएनजीसी 2010 के दौरान उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए माननीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, सर्वोत्तम प्रदर्शन पुरस्कार वितरित किए गए। कक्षा 10 से लेकर स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में राष्ट्रीय स्तर

पर हुई निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं तथा अखिल भारतीय स्तर पर हुई चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरूस्कार प्रदान किए गए।

उदघाटन समारोह के दौरान माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा माननीय राज्य मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पीसीआरए द्वारा जारी "डेयरी उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यवहारिक गाइड" तथा "रियल केस लाइफ अध्ययन–उद्योग में ऊर्जा बचत" पुस्तकों का विमोचन किया।

ओजीसीएफ 2011 के दौरान पीसीआरए तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा देशभर में परिवहन, औद्योगिक, कृषि, घरेलू एवं वाणिज्यिक नामक बड़े उपभोज्य क्षेत्रों में तेल व गैस संरक्षण संदेशों के प्रचार हेतु जन रैली, साइकिल रैली, मैराथन, जन श्रृंखला, तकनीकी सेमिनार, परिसंवाद, निबन्ध, प्रश्नोत्तरी तथा चित्रकला प्रतियोगिता एवं एलपीजी क्लीनिक इत्यादि जैसी कई गतिविधियाँ देश भर में आयोजित की गई।

11.3 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) – 11.98 करोड़ रूपये का अनुदान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय(एमओपीएण्डएनजी) द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना 1987 में तेल उद्योग की विशिष्ट एजेंसी के रूप में की गई थी ताकि रिफाइनरी प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादों, योजकों, भण्डारण, कच्चे तेल, उत्पादों और गैस हैण्डलिंग और परिवहन के क्षेत्रों में अधिग्रहण, विकास और उन्नयन के लिए भावी प्रौद्योगिकी आवश्यकता का पता लगाया जा सके।

सीएचटी भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यो में (क) स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) के कार्यकलापों का समन्वय करना (ख) बैचमार्किंग तथा लक्षित अध्ययनों, उर्जा लेखा–परीक्षा और निष्पादन मूल्यांकन, हाइड्रोकार्बन हानि, सर्वेक्षण आदि के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष उर्जा निष्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में रिफाइनरियों की सहायता करना (ग) रिफाइनरियों के प्रचालन संबंधी निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए डिस्टीलेट उत्पाद में सुधार, प्रचालन लागत में कमी तथा सकल रिफाइनरी मार्जिन में वृद्धि करना (घ) अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों, प्रचालन रूझानों, विशिष्ट प्रचालन समाधानों, सर्वेक्षण एवं लेखा–परीक्षा, प्रौद्योगिकी विकास, डिजाइन मानकों तक पहुंच उपलब्ध कराना (ड) रिफाइनरी प्रचालनों/पाइपलाइनों, रिफाइनरी प्रौद्योगिकी सम्मेलनों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कार्यकलाप समितियों का आयोजन करके समग्र सुधार हेतु रिफाइनरियों में सूचना का प्रचार–प्रसार और आदान–प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराना।

तेउविबो सीएचटी के कार्यकलापों का प्रारंभ से ही वित्त पोषण कर रही है। वर्ष 2010–2011 के दौरान सीएचटी को रूपये 11.98 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें रूपये 3.041 करोड़ की धनराशि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए थी।

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र की वर्ष 2010–11 की प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं :–

1. **मैसर्स शैल ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल (शैल जीएसआई) द्वारा "एकीकृत परिशोधन" व्यवसाय सुधार कार्यक्रम–चरण 1 :**

   चार रिफाइनरियों अर्थात् बीपीसीएल– कोचि, आइओसीएल मथुरा, सीपीसीएल मणाली व एचपीसीएल विशाख में शैल जीएसआई के सहयोग से एकीकृत परिशोधन व्यवसाय सुधार चरण–I प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा चुका है तथा यह कार्यक्रम 2 रिफाइनरियों बीपीसीएल– कोचि तथा आइओसी मथुरा में पूरा हो चुका है जबकि यह सीपीसीएल–मणाली और एचपीसीएल –विशाख में पूरा होने वाला है। सभी चारों रिफाइनरियों में कार्यक्रम के कार्यान्वित होने पर प्रतिवर्ष 50 मिलियन अमेरिकी डालर का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। पूरे कार्यक्रम के वर्ष 2011 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

2. **मैसर्स शैल ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल (शैल जीएसआई) द्वारा "एकीकृत परिशोधन" व्यवसाय सुधार कार्यक्रम–चरण 2 :**

   रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी) को आईआरबीआईपी चरण–1 के अन्तर्गत शामिल न की गई अन्य रिफाइनरियों के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए वैश्विक ईओआई आमत्रिंत की गई थी और तत्पश्चात ठेका प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। फरवरी 2011 को आयोजित 16वीं आरटीएम के दौरान सीएचटी द्वारा 17.02.2011 को शैल जीएसआई के साथ एचपीसीएल–मुंबई, बीपीसीएल–मुंबई और एमआरपीएल–मैंगलोर में कार्यान्वित किए जाने वाली इस कायक्रम के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2011 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कार्यकम की कुल अवधि 36 माह की अवधि के लिए होगी जिसका लक्षित लाभ प्रतिवर्ष 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।

3. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन–रिफाइनरी प्रौद्योगिकी सम्मेलन (आरटीएम) :**

   उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र ने द ओबराय ग्रांड, कोलकाता में 17–19 फरवरी, 2011 के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 16वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी सभा (आरटीएम) का आयोजन किया था। सम्मेलन का विषय "ऊर्जा व्यवस्था–रिफाइनिंग में नए आयाम" था। सम्मेलन का उद्घाटन

श्री एस.वी. नरसिम्हन, अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा श्री एल.एन. गुप्ता, आई.ए.एस, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें भारत और विदेशों से हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए वरिष्ठ कार्यपालक प्रतिनिधि आमंत्रित, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं/लाइसेंसधारियों/सेवा प्रदायक शामिल थे। सम्मेलन में रिफाइनिंग प्रक्रिया को अधिकतम बनाने, उन्नयन और एकीकरण करने के लिए मूल्य वर्धन पर विशेष बल देते हुए वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, पर्यावरण, रिफाइनिंग प्रक्रिया तथा अवसरों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया तथा रिफाइनरियों, प्रौद्योगिकी प्रदायकों आरएण्डडी संस्थानों आदि में विचारों का आदान–प्रदान और बातचीत करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया।।

4. पाइपलाइन स्थानांतरण में गुणवत्ता का निम्न स्तर :

सीएचटी ने पाइपलाइन स्थानांतरण में गुणवत्ता के निम्न स्तर (क्यूजीए) को दूर करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित छः कार्य दलों की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय किया। अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं जिनका क्यूजीए को घटाने में सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

5. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन्स पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति(एसएसी):

सीएचटी ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की पहचान तथा उनके वित्त पोषण के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय किया। इस अवधि के दौरान, एचपीसीएल चैन्नई में मई 2010 में तथा होटल जनपथ, नई दिल्ली में दिसम्बर 2010 में दो बैठकों का आयोजन किया गया था। इन बैठकों के दौरान गेल की तीन हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा आईआईपी की नीडल कोक/कार्बन फाइबर पर एक आरएण्डडी परियोजना की समीक्षा करने के अलावा हाइड्रोजन कॉर्पस फंड के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु चार हाइड्रोजन परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा की गई।

6 हाइड्रोजन कॉर्पस निधि :

हाइड्रोजन कॉर्पस निधि (एचसीएफ) की संचलन समिति ने 26 अक्तूबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में 705.2 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एचसीएफ के अंतर्गत वित्त–पोषण हेतु निम्नलिखित चार हाइड्रोजन परियोजनाओं को अनुमोदित किया था:

i) आईओसी (आरएण्डडी) और बीएचयू द्वारा 70.62 लाख रूपये की अनुमानित लागत से सौर उर्जा का इस्तेमाल करके पानी/एच2एस को पृथक करके हाइड्रोजन उत्पादन हेतु मॉडुलर रिएक्टरों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर फोटो–कैटेलैटिक प्रक्रिया का विकास किया गया था।

ii) बीपीसीएल (आरएण्डडी) द्वारा 415 लाख रूपये की अनुमानित लागत से प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन करने हेतु हाइब्रिड–सॉर्पशन ने वाष्प में सुधार किया।

iii) एचपीसीएल और गीतम विश्वविद्यालय, विशाख द्वारा हाइड्रोजन के भण्डारण के लिए कारगर भौतिक संपत्तियों के साथ धातु–ऑर्गेनिक ढांचा सामग्री का 77.95 लाख रूपये की अनुमानित लागत से डिजाइन एवं निर्माण किया गया।

iv) एचपीसीएल और टीईआरआई द्वारा 141.63 लाख रूपये की अनुमानित लागत से संयुक्त डार्क और फाटो फर्मेटिव प्रक्रिया के जरिए जैव हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया।

7. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं :

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, गैस प्रासेसिंग, परिवहन, भंडारण तथा कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण तथा रखरखाव के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करता है।

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान ते.उ.वि.बोर्ड निधियां जारी की गई और वर्तमान आरएण्डडी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है –

7.1 पूर्ण परियोजनाएँ :

7.1.1. औद्योगिक फीडस्टॉक (आईआईपी) में C+7 हाइड्रोकार्बन्स के आइसोमेराइजेशन के लिए फीडस्टॉक के लिए उत्प्रेरक का विकास (IIP)

इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक फीडस्टॉक (आईआईपी) में C+7 हाइड्रोकार्बन्स के आइसोमेराइजेशन के लिए जियोलाइट आधारित उत्प्रेरक विकास का करना था ताकि गैसोलीन मिश्रण के लिए उपयुक्त उत्पाद प्राप्त हो सके। सीएचटी ने वर्ष 2010–11 के दौरान परियोजना के लिए 4.17 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी (कुल जारी 60.71 लाख रूपये) परियोजना पूरी कर ली गई है।

7.1.2. गैसोलीन मिश्रण (आईआईपी) के रूप में एल्काइलेट्स बनाने के लिए एल्केन्स के साथ आईसोबुटेन्स के एल्काइलेशन के लिए ठोस एसिड उत्प्रेरक का विकास (आईआईपी)

इस परियोजना का उद्देश्य गैसोलीन मिश्रण के रूप में एल्काइलेट्स बनाने के लिए एल्केन्स के साथ आईसोबुटेन्स के एल्काइलेशन के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक का विकास करना है। अनुसंधान कार्य से स्वदेशी उत्प्रेरक का सफलतापूर्वक विकास हुआ जो मानक उत्प्रेरक की तुलना में बेहतर निष्पादन और उच्चतर एल्काइटस उत्पाद को बेहतर दर्शाता है। सीएचटी ने परियोजना के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 21.02 लाख की राशि (कुल जारी राशि रूपये 51.60 लाख) जारी की थी। परियोजना पूरी हो चुकी है।

7.1.3 ट्रिकल बेड रिएक्टर प्रौद्योगिकी : (ईआईएल/आईओसीएल–आरएण्डडी/आईआईटी दिल्ली) के विकास के लिए वर्धित सुविधाएँ

परियोजना का उद्देश्य हार्डवेयर डिजाइन के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए ट्रिकल बेड रिएक्टर (टीबीआर) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यापक व्यास कॉलम में अनुसंधान कार्य और अध्ययन हाइड्रोडायनामिक्स करना था। परियोजना सितम्बर 2010 में पूरी हो गई है तथा अनुसंधान कार्य से डिस्ट्रीब्यूट प्रणाली का स्वदेशी डिजाइन और डीएचडीटी एवं एफजीएच इकाइयों के वाणिज्यिक रिएक्टरों में अन्य आंतरिक उपकरण का विकास हुआ है। सीएचटी ने वर्ष 2010–11 के दौरान 32.72 लाख रूपये जारी की है (कुल जारी राशि 114.45 लाख रूपये)।

7.2 चल रही परियोजनाएं :

7.2.1 नवीकरणीय फीड स्टाक (आईआईसीटी,आईओसीएल–आरएण्डडी, एनएएल, जीटीआरई और सेमिलैक) से कृत्रिम हवाई लुब्रीकैंटस (एसएएल) के लिए प्रौद्योगिकी का विकास :

परियोजना का उद्देश्य टर्बो प्रोप एवं टर्बो जेट एयर क्राफ्ट सहित वायुयान इंजनों और सहायक प्रणालियों के लिए कृत्रिम हवाई लुब्रीकैंट प्रौद्योगिकी का विकास करना है।

परियोजना की अनुमानित लागत रूपये1732.28 लाख है जिसमें से सीएचटी/ओआइडीबी द्वारा रू0. 844.90 लाख, डीआरडीओ द्वारा रूपये 188.40 लाख, सीएसआई आर द्वारा रूपये 150.00 लाख तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा रूपये 548.98 लाख का अंशदान शामिल है। सीएचटी ने परियोजना के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 100.73 लाख की राशि जारी की है। (कुल जारी राशि रूपये 755.47 लाख है) आईआईसीटी, हैदराबाद में प्रायोगिक सयंत्र से उत्पादित एसवीएस 11 तथा एस वी एस–21 को आईओसी (आरएण्डडी) केन्द्र में विकसित किया गया था। और यह परीक्षण अनुसूची में निर्धारित सभी विशेषताओं को पूरा करता है। यह ऑयल एन.ए.एल. बैंगलोर में वहन परिक्षण को सफलतापूर्वक पास कर चुका है। इंजन परीक्षण सफल रहा है और प्राप्त परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। परियोजना के अब जून 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

7.2.2 ईआईएल (अनुसंधान एवं विकास) तथा बीपीसीएल (अनुसंधान एवं विकास) द्वारा कोयले से तरल प्रौद्योगिकी विकास

इस परियोजना का उद्देश्य एफटी प्रक्रिया की साइन गैस स्वच्छता और विकास करना था। हाँलाकि गैसीकरण प्रौद्योगिकी का विकास इस परियोजना का हिस्सा नहीं था। साइन गैस सृजन के लिए 60 किग्रा./प्रति घंटा क्षमता के गैसीफॉयर खरीदा जाना था। लेकिन गैसीफायर की खरीद में कठिनाईयों के कारण कार्यक्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता थी ताकि गैसीफायर विकास चरण को शामिल

किया जा सके, जिसे निजी कम्पनी के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के जरिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

परियोजना की अनुमानित लागत 33.00 करोड़ रूपये है। जिसमें सीएचटी/ओआइडीबी तथा भागीदार संगठनों द्वारा 50:50 का वित्तपोषण किया जा रहा है। सीएचटी ने परियोजना के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान 119.33 लाख रूपये जारी की है (कुल जारी राशि 181.209 लाख रूपये)।

7.2.3 कमरे के तापमान के आयोनिक तरल पदार्थ का संश्लेषण तथा पेट्रोलियम फीडस्टॉक से सल्फर, नाईट्रोजन और सुगंधित घटकों के विकास के अपने प्रयोग का अध्ययन करना :

इस परियोजना का उद्देश्य कमरे के तापमान के आयोनिक तरल पदार्थ में संश्लेषण स्थापित करना तथा पेट्रोलियम फीडस्टॉक से सल्फर, नाईट्रोजन और सुगंधित घटकों के निष्कासन के लिए उनके प्रयोग का अध्ययन करना।

इस परियोजना को 65.40 लाख रूपये की अनुमानित लागत से आईआईपी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सीएचटी ने वर्ष 2010–11 के लिए परियोजना हेतु 11.92 लाख रूपये की राशि जारी की थी (कुल जारी राशि 56.26 लाख रूपये)।

7.2.4 आईआईटी मद्रास और बीपीसीएल द्वारा कोयला और पेट्रोलियम कोक के मिश्रण के गैसीफायरों का प्रोटोकॉल विकसित करना :

इस परियोजना की कुल लागत रू 50.81 लाख है जिसमें से सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा तीन वर्षों में रू 37 लाख की राशि तथा बीपीसीएल द्वारा रू. 13.81 लाख का अंशदान दिया जाएगा। वर्ष 2010–11 के दौरान सीएचटी/ओआईडीबी में 6.57 लाख रूपये की राशि जारी की थी। सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा परियोजना के लिए 31.3.11 तक कुल 11.64 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी।

7.2.5 डीजल (आईआईपी, आईओसीएल–आरएण्डडी तथा आईआईटी–दिल्ली) के डी – सल्फराइजेशन के लिए जैव–उत्प्रेरक प्रक्रिया का विकास

परियोजना का उद्देश्य हाइड्रो द्वारा उपचारित डीजल के उपचार हेतु बायो डी–सल्फराइजेशन प्रक्रिया का विकास करना है। तथा सल्फर के स्तर में कमी के लिए क्रैक्ड डिस्टीलेट्स में 2500 पीपीएम को घटाकर 100 पीपीएम करना है।

अनुमानित परियोजना लागत रूपये 122.59 लाख है, जिसमें सीएचटी/ओआइडीबी द्वारा रूपये 89.59 लाख तथा आईओसीएल–आरएण्डडी केन्द्र द्वारा रूपये 33.00 लाख का अंशदान शामिल है। वर्ष

2009–10 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं, चूँकि कोई प्रगति नहीं हुई थी। तथापि सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा 31.3.10 तक ने 80.25 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी।

8. कार्याकलाप समिति की बैठकें

विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डिस्टीलेशन पाइपलाइनों, फलूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग, विद्युत सृजन/वितरण, बॉयलर प्रचालनों/रखरखव, विसब्रेकर/डिलेड कोकर, कैटेलिटिक रिफार्मर, पर्यावरण प्रबंधन पर कार्यकलाप समिति की सात बैठकें उत्कृट प्रचालनात्मक पद्दतियों के आदान प्रदान तथा सुधार के लिए आयोजित की गई थीं ।

11.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) – रूपये 8.20 करोड़ का अनुदान

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक तकनीकी निदेशालय है जिसको मानक तैयार करने, पेट्रोलियम उद्योग में सुरक्षा जांच के माध्यम से सुरक्षा स्तर को बढ़ावा देने तथा इस उद्योग में निहित सहज जोखिम को कम करने हेतु इसके कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के मानक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की सभी गतिविधियों यथा अन्वेषण एवं उत्पादन, रिफाइनिंग, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण पर्यावरण इत्यादि को समाविष्ट करती है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां स्व–नियमन के आधार पर कार्यान्वित करती हैं। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के मानकों में इन गतिविधियों से संबंधित ले–आउट, परिचालन, अनुरक्षण, निरीक्षण, आन्तरिक सुरक्षा जांच, अग्नि–शमन इत्यादि समाविष्ट है। नवीनतम प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा उद्योग के अनुभव की समाविष्ट करने की दृष्टि से इन मानकों का समय–समय पर पुनरीक्षण एवं अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन की जांच करने तथा सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुधारने के उद्देश्य से तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय नियमित रूप से अन्वेषण एवं उत्पादन संस्थापन, समुद्रीय तथा तटीवर्ती दोंनो परिष्करण शाला गैस प्रचालन संयंत्र, एलपीजी संयंत्र, पीओएल डिपो/टर्मिनल तथा क्रॉस कन्ट्री पाइपलाइन, इत्यादि के **बाह्य सुरक्षा जांच (ईएसए)** करता है। जांच के दौरान दिये गये सिफारिशों/सुझावों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की जाती है ताकि यह सुनिशिचित हो सके कि सुझाव समय पर कार्यान्वित हो जिससें कि सुरक्षा का स्तर बढ़े तथा जोखिम कम हो। नयी रिफाईनरी परियोजना एवं विपणन संस्थापनों के कार्यरत होने से पूर्व की **प्री–कमिशनिंग जांच** की जाती है।

देश भर के तेल/गैस संस्थानों के कार्मिकों के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय नियमित रूप से सुरक्षा कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि अर्जित अनुभव, नवीनतम तकनीकी विकास का आदान–प्रदान एवं सुरक्षा संबंधी सूचना का प्रचार–प्रसार हो सके।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय पेट्रोलियम उद्योग में घटित बड़ी घटनाओं की जांच करती है तथा दुर्घटनाओं की डेटा–बेस रखती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार हेतु ओआईएसडी तेल कंपनियों की सुरक्षा निष्पादन का भी मूल्याकंन करती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओआईएसडी को अपतटीय सुरक्षा का काम भी सौंपा है जिसके लिए ओआईएसडी ने पीएसए–नार्वे, एचएसई–यूके और एमएमएस–यूएसए के साथ अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग का कार्य प्रारम्भ किया है। अपतटीय सुरक्षा नियम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2008 में जून 2008 को राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा जारी किए जा चुके हैं और इनके कार्यान्वयन के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1.0 मानकीकरण

ओआईएसडी के प्रमुख कार्यों में से मानकीकरण एक है। विकसित देशों में हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग उद्योग में सुरक्षा एवं अग्नि शमन के क्षेत्रों में लागू नवीनतम डिजाइन एवं प्रचालन कार्यपद्धतियों की जानकारी रखने के लिए मानकीकरण आवश्यक है ताकि ऐसे मानक एवं कोड विकसित किए जा सकें जो भारत में विद्यमान परिस्थितियों में अनुकूल हों। जिन क्षेत्रों में मानकों/संस्तुत कार्यपद्धतियों/मार्गनिर्देशों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है उन्हें ओआईएसडी में विकसित दुर्घटना डेटा–बेस का विश्लेषण तथा सुरक्षा परिषद और संचालन समिति, बैठकों में किए गए विचार विमर्श के आधार पर निर्धारित किया जाता हैं। तत्पश्चात, संचालन समिति द्वारा नामित कार्यकारी समिति मानकीकरण का कार्य प्रारम्भ करता है। निरन्तर कार्य प्रक्रिया के रूप में मानकीकरण के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। वर्ष के दौरान, तीन नये मानक विकसित किये गये व दो प्रचलित मानकों को हटाया गया। वर्ष के दौरान 10 ओआईएसडी मानकों में संशोधन/परिशोधन पूरे किए गए इसके अतिरिक्त 5 ओआईएसडी मानकों को सुरक्षा परिषद के सदस्यों के पास टिप्पणी के लिए भेजा गया। 31 मार्च 2011 तक 112 मानकीकरण प्रकाशित एवं वितरित हो चुके हैं।

मानकों की पुनर्वलोकन/संशोधन

सामान्यतः ओआईएसडी मानकों का प्रथम प्रकाशन का हर 4 वर्ष बाद पुनरावलोकन किया जाता है ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकी परिवर्तनों एवं उनके कार्यान्वयन में अर्जित अनुभवों को समाविष्ट किया जा सके तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार इन्हें अद्यतन किया जा सके। वर्ष के दौरान 10 प्रचलित मानकों की पूर्ण समीक्षा की गई।

31 मार्च, 2011 को मानकीकरण की समग्र स्थिति निम्नलिखित है :–

मानकों/संस्तुत कार्यप्रणालियों/पहचाने गए दिशा निर्देशों की कुल संख्या	113
(क) प्रकाशित एवं वितरित	112
(ख) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत मानक	01
कुल	**113**

2.0 अपतटीय सुरक्षा नियम–कार्यान्वयन

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा) नियम, 2008" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेजों की जांच के बाद निदेशालय द्वारा 33 बाह्य संस्थापनों (मोबाइल एवं स्थिर) तथा एस.पी.एम. को आपरेशन के लिए सहमति दी गई है।

3.0 बाह्य सुरक्षा जाँच (ईएसए)

वर्ष के दौरान 64 ऑन लैंड अन्वेषण एवं उत्पादन संस्थापन, 4 रिफाइनरी, 2 गैस प्रचालन संयंत्र, 24 एलपीजी बॉटलिंग प्लॉट/पीओएल डिपो टर्मिनल, 2128 किलोमीटर का क्रॉस–कन्ट्री पाईपलाइन की बाह्य सुरक्षा जाँच की गई।

आकस्मिक सुरक्षा जाँच

वर्ष के दौरान 4 रिफाइनरयों, 2 गैस प्रकरण संयंत्रों में आकस्मिक सुरक्षा जाँच की गई।

प्री– कमिशनिंग सुरक्षा जाँच :

वर्ष के दौरान रिफाइनरी की 15 परियोजनाओं, 7 एलपीजी बॉटलिंग प्लॉट, 2 पीओएल डिपो टर्मिनल और 982 किलोमीटर क्रास–कन्ट्री पाईपलाइन, एसपीएम की 2 तथा 20 कि.मी. अपतटीय पाइपलाइन की प्री– कमिशनिंग बाह्य सुरक्षा जाँच की गई।

4.0 बाह्य सुरक्षा जाँच के सिफारिशों की मॉनिटरिंग

बाह्य सुरक्षित जाँच की रिपोर्ट को संबंधित तेल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कार्यान्वयन हेतु भेजा गया है। ओआईएसडी ने अपनी ओर से इन जाँच सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की ।

5.0 तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार

स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्षगाँठ के अवसर पर, 1987 में बनाई गई सुरक्षा पुरस्कार योजना के माध्यम से तेल उद्योग में संगठनों के सुरक्षा निष्पादन का नियमित रूप से मूल्याँकन किया जा रहा है। यह सुरक्षा निष्पादन मूल्याँकन शामिल इकाईयों एवं उत्पाद नियंत्रित मानवशक्ति, आग, दुर्घटनाओं तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निर्धारण पर आधारित संस्थापनों की जटिलता को ध्यान में रख कर किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा की महत्वता की ओर संवेदनशील तथा अभिप्रेरक बनाने के लिए यह भी निर्णय लिया गया था कि पांच प्रत्येक कर्मचारियों/संविदा कामगरों को, जिन्होंने कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सार्थक अंशदान किया है, उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाएं। तेल उद्योगो में तेल/गैस संस्थापन में सुरक्षा निष्पादन के लिए वर्ष 2009–10 की अवद्यि में 6 श्रेणियों में 26 पुरस्कार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राालय द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं।

6.0 दुर्घटना की रिपोर्ट, जांच एवं विश्लेषण

सभी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होने के तुरन्त बाद तत्संबंधी सूचना उद्योग द्वारा ओआईएसडी को दी जाती हैं। संगठन मंत्रालय को इन दुर्घटनाओं के बारे में सूचित करता है और कुछ मामलों में तुरन्त दुर्घटनास्थल का अध्ययन करती है व घटना की गम्भीरता/क्षति के आधार पर जांच में शामिल होता है। स्वतंत्र रूप से की गई जांच के परिणामस्वरूप की गई सिफारिशों को परामर्श नोट्स के रूप में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता हैं ताकि दुर्घटनाओं की पुर्नावृत्ति को रोका जा सके। वर्ष के दौरान ओआईएसडी द्वारा 5 दुर्घटनाओं की जांच की गई है।

7.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ

अवधि के दौरान ओआईएसडी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित की गईं :

- 14–15 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में 'हाइड्रो प्रौसेसिंगः हाइप्रेशर सिस्टम' तथा रिफाइनरी में H_2S हैंडलिंग एवं गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया।
- 24–25 फरवरी 2010 को नई दिल्ली मे बी.ओ.ई.एम.आर.ई. के सहयोग से, 'ई एंड पी सेक्टर में एसेट इंटेग्रिटी' पर दो दिवसीय कार्यशाला।

8.0 सुरक्षा संबधी सूचना का प्रचार–प्रसार

यह ओआईएसडी का एक सतत कार्य है, जिसमें सम्पूर्ण उद्योग के प्रतिष्ठानों में होने वाले अग्नि काण्ड, दुर्घटनाओं तथा चूक होते–होते बचने वाले मामलों संबंधी विवरण त्रैमासिक आधार पर प्राप्त होता है और उन्हें कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस में संग्रहित किया जाता है। विश्लेषण के उपरान्त, साख्यिकीय रूझानों,

चिन्ता के क्षेत्र, प्रमुख सिफारिशें इत्यादि को संचालन समिति की बैठक, कार्यशलाओं तथा ओआईएसडी की पत्रिका **पेट्रोसेफ** के जरिये उद्योग को सूचित किया जाता है। ओआईएसडी विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से एक **"न्यूजलेटर"** का प्रकाशन भी करती है। ओआईएसडी अपनी वेबसाइट www.oisd.gov.in पर भी सुरक्षा सम्बंधी जानकारी को वितरित करती है।

11.5 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) – 10.95 करोड़ रूपये का अनुदान

1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरान्त तेल समन्वय समिति को खत्म कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकार की सहायता करने तथा कुछ कार्यों जो कि पहले तेल समन्वय समिति द्वारा किए जा रहे थे, को करने के लिए एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की स्थापना की गई। सरकार के निर्देशानुसार, प्रकोष्ठ के खर्चों का वहन तेउवि बोर्ड द्वारा अनुदान के माध्यम से किया जाता है।

पीपीएसी के मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता का प्रशासन, दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए भाड़े पर राजसहायता का प्रशासन, आपात और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए सूचना आंकड़ा बैंक और संचार प्रणाली का रखरखाव, अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू मूल्यों में प्रवृतियों का विश्लेषण करना, पेट्रोलियम आयात और निर्यात प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान और मूल्यांकन करना है।

वर्ष के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड ने पीपीएसी को वर्ष 2010–11 में व्यय के लिए 10.95 करोड़ रूपये का अनुदान दिया। वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार है:

(क) ओएमसी के कम वसूली के दावों का भुगतान

वर्ष 2010–11 के दौरान, पीपीएसी द्वारा किए गए दावे पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल तथा घरेलू एलपीजी पर आर्थिक सहायता और दूर–दराज क्षेत्रों के लिए भाड़ा शुल्क सहायता पर क्रमशः रूपये 2904.26 करोड़ तथा 22.33 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

(ख) ओएमसी के निम्न पुर्नप्राप्ति दावों का निपटारा

वर्ष 2010–11 के दौरान, एमएस, एचएसडी, घरेलू एलपीजी एवं पीडीसी मिट्टी के तेल पर रूपये 78,190 करोड़ के कुल अल्प–पुनर्लाभ दावों की संवीक्षा की गई तथा इसके बाद क्षतिपूर्ति–प्रक्रिया तैयार की गई। बोझ सांझा मैकेनिजम के तहत, छूट के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम कंपनियों

द्वारा 30,297 करोड़ रूपये का योगदान दिया गया और सरकार द्वारा नकद सहायता के रूप में 41,000 करोड़ रूपये प्रदान किए गए।

(ग) डाटा प्रबंधन पर अध्ययन

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) द्वारा तेल एवं गैस क्षेत्र हेतु डाटा प्रबंधन प्रणाली पर और डाटा गुणवत्ता मार्गनिर्देशों व मैनुअलों को तैयार करने के लिए दिनांक 22.9.2009 को आईएसआई, कोलकाता के साथ पीपीएसी का एक समझौता हुआ। इस परियोजना की सभी समावेशी लागत 50 लाख रूपये है। परियोजना के स्कोप में अन्य बातों के साथ–साथ प्रभावी संग्रह और आंकडों के प्रसार हेतु पीपीएसी के अधिकारियों के लिए वर्तमान डाटा प्रणाली के मूल्याकंन और सुधार के क्षेत्रों की पहचान एवं मार्गनिर्देशों व मैनुअलों की तैयारी शामिल हैं। आईएसआई ने कार्य के दो चरण पहले ही पूरे कर लिए हैं जिसमें स्थापना के समय की रिपोर्ट एवं प्रारंभिक मूल्याकंन रिपोर्ट की प्रस्तुति सम्मिलित है। डेटा प्रणाली के अगले कार्य से संबंधित ड्राफ़्ट अन्तिम चरण में है।

(घ) एशियाई उर्जा दृष्टिकोण

एशियाई पेट्रोलियम उत्पादन और उपभोक्ता देशों द्वारा एशियाई उर्जा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनोमिक्स, जापान (आईईईजे) ने एक संयुक्त परियोजना आरंभ की है। इसमें एशियाई उर्जा दृष्टिकोण को विकसत करने के लिए एशियाई देशों जिसमें चीन, भारत, साउदी अरब, कोरिया आदि जैसे मुख्य देश शामिल हैं, से उर्जा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस विषय पर आईईईजे ने विभिन्न देशों में कार्यशालाएं आयोजित कीं । चौथी कार्यशाला नई दिल्ली में दिनांक 23 सितम्बर 2010 को आयोजित की गई। कार्यशाला की मेजबानी पीपीएसी द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 23 सितम्बर 2010 को की गई। वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान तेउविबो ने पीपीएसी को व्यय के लिए 10.95 करोड़ रूपये का अनुदान दिया।

11-ख अनुसंधान एवं विकास अनुदान

11.6 तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) – 0.29 करोड़ रूपये का अनुदान

ओएनजीसी हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं दोहन में कार्यरत हैं। अन्वेषण के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलने के दृष्टिगत ओएनजीसी के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थान अपस्ट्रीम क्षेत्र में अन्वेषण, वेधन, भण्डारों के प्रबंधन, उत्पादन, इंजीनियरिंग तथा सुरक्षा आदि अनुसंधान एवं विकास कार्यों में कार्यरत हैं। तेउविबो चयनित परियोजनाओं के लिए गतिविधियों हेतु अनुदान सहायता प्रदान कर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के ओएनजीसी के प्रयासों का समर्थन करता रहा है।

सामान्यत सुरक्षित एवं सतत उर्जा आपूर्ति के साथ–साथ जीवाश्म ईंधन की बढती मांग को व्यवस्थित करने तथा विकसित करने तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और जनसंख्या को ध्यान में रखकर रॉक कैवर्न शैल कंदरा और पृथ्वी के उपर पारंपरिक स्टील टेंकों की अपेक्षा कार्यनीतिक भंडारण किया जाना विवेकपूर्ण माना गया।

इसे ध्यान में रखते हुए तेउविबो ने भारत में सॉल्ट कैवर्न में "कच्चे तेल के कार्य नीतिक भण्डार" स्थापित करने हेतु 6.14 करोड़ रूपये की लागत का 75 प्रतिशत "विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट" तैयार करने के लिए केडीएमआइपीई, देहरादून को अनुदान हेतु स्वीकृत किया। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आपूर्तियों में बाधा आने पर तथा समय–समय पर तेल मूल्यों में आकस्मिक बढ़ोतरी होने पर आने वाली समस्याओं से निपटकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

परियोजना पूरी हो चुकी है तथा ओएनजीसी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सौंप दी गई। तेउविबो ने वर्ष 2010–11 के दौरान 0.29 करोड़ रूपये का अनुदान इस परियोजना के लिए जारी किया गया।

11.7 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान(आईआईपी) देहरादून–रिटेल आउटलेट्स(आरओ) – रूपये 0.56 करोड़ का अनुदान

तेउविबो द्वारा आईआईपी देहरादून को उनके संस्थान में "आधुनिक उत्सर्जन मापन सुविधा स्थापित" करने हेतु अनुदान दिया। प्रारंभ में तेउविबो ने कुल अनुदान का 75 प्रतिशत परियोजना की आरंभिक लागत रूपये 17.13 करोड़ जारी किया है। शेष 25 प्रतिशत सीएसआईआर/आईआईपी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तेउविबो ने परियोजना की लागत में 1.18 करोड़ पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति दी है।

परियोजना–हैवी ड्यूटी डीजल इंजन के लिए आधुनिक उत्सर्जन मापन सुविधा को स्थापित करने के उद्देश्य से लगाई गई। सुविधा में ट्रांशिंयट डायनमोमीटर टेस्ट बेड पूर्ण व आंशिक फ्लो डाइल्यूशन टनल प्री एण्ड पोस्ट कैट एनिमिशन ऐनेलिसिस प्रणाली, फ्यूल कंडिशनिंग इनटेक एयर कंडिशनिंग तथा तापन व आद्रता नियंत्रण के लिए सेंट्रल एयर कंडिशनिंग का टेस्ट सेल शामिल है। इस सुविधा द्वारा निम्न अध्ययन किये जा सकते हैं:–

- यूरो-IV या भारत स्टेज-IV एंमिशन नार्म्स के अन्तर्गत हैवी ड्यूटी डीजल इंजन की परफार्मेंस तथा एमिशन का अध्ययन।

- हल्के, मध्यम तथा भारी ड्यूटी के गैसोलीन तथा डीजल इंजनों के अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्यों के लिए इंजन प्रर्दशन तथा रॉ एमिशन का अध्ययन।

यह सुविधा विभिन्न प्रणाली के ऑटोमोटिव इंजन के नए जेनेरेशन फ्यूल के एमिशन काम्पलाइसिस, आर एवं डी कार्य, लूब्रीकेंटस तथा इंजन, हैवी डयूटी इंजन के मास एमिशन सर्टीफिकेशन तथा इंजन परफार्मेंस एवं फ्यूल इकोनामी के अध्ययन के लिए जांच में प्रयोग की जाएगी।

11.8 भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) बोम्बे – रूपये 1.80 करोड़ का अनुदान

भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई के भू–विज्ञान संकाय ने अपस्ट्रीम क्षेत्र की हाइड्राकार्बन उद्योगों तथा 2005–2006 में डीजीएच द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र के विभिन्न परिचय सम्मेलन द्वारा पेट्रोलियम भू–विज्ञान से संबंधित अध्ययन व अनुसंधान आरंभ किया है। नए आरंभ किए गए एम–टेक के विद्यार्थीयों के लिए कार्बनिक भू–रसायन का अध्ययन तथा इस विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान सुविधा को विकसित करना इस विभाग की पहल का एक हिस्सा था। आईआईटी बोम्बे ने इस क्षेत्र में एक संकाय तथा प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना की। डीएसटी अनुदान की सहायता से एक जीसी–एमएस प्राप्त किया गया तथा नए स्थापित प्रयोगशाला को मजबूती देने के लिए तेउविबो ने रॉक इवेल पइरोलाइजर स्वीकृत किया। जीसी–एमएस तथा रॉक ऐवल पायरोसि की संयुक्त सुविधा एक शैक्षणिक विभाग के लिए अद्वितीय होगी तथा देश के पेट्रोलियम अन्वेषण में कार्यरत स्नातकों की सस्टेंड प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी।

वर्तमान अनुसंधान परियोजना 2010 में स्वीकृत की गयी थी तथा अनुसंधान की पहली किश्त 29 जनवरी 2011 को प्राप्त हुई। परियोजना का उद्देश्य पश्चिम भारत के पॉलिगन लिगनाइट तथा कार्बोशियस शैल के पोटेनशियल को हाइड्रोकार्बन के स्रोत के रूप में मूल्यांकित करना है।

11.9 भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडू–रूपये 0.50 करोड़ का अनुदान

ओआईडीबी ने भारतीदासन विश्वविद्यालय को उसकी परियोजना भारत के चुनिंदा सीमांत घाटियों में तेल एवं गैस रिसाव से संबंधित मिट्टी सुरंग एवं भू रसायनिक विसंगतियों से हाइड्रोकार्बन स्थाकनों को लक्षित करने के लिए एकीकृत रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजीज के लिए 4.98 करोड़ रुपये का अनुदान अनुमोदित किया है ।

"आरईएस–ऑयल" परियोजना के प्रस्ताव का उद्देश्य कुडप्पा, डक्कन सिन्सलाइज और भारत–गंगा मैदानों नामक तीन प्रमुख घाटियों में निम्नलिखित के माध्यम से संभावित हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों का पता लगाना है :

(i) जीआईएस आधारित गुरुत्वाकर्षण के 3 डी दृश्य, हवाई चुंबकीय और वेधनछिद्र चट्टानों की रचना अश्मविज्ञानी संबंधी डेटा और तहखाने भूवैज्ञानिक संरचनाओं दोष की पहचान

(ii) एसआरटीएम के माध्यम से उनकी सतह कनेक्टिविटी की स्थापना और डिजिटल उपग्रह छवि संसाधित व्युत्पन्न सतह आकृतियों और ऐसी उजागर गहरी स्थापित संरचनाओं दोषों के बीच भूगर्भिय और जल निकासी विसंगतियों का उपयोग कर सक्रिय विवर्तनिकी के क्षेत्रों का पता लगाना

(iii) उपसतह और सतह भूवैज्ञानिक मापदंडों का जीआईएस एकीकरण और नीचे इन तीन सीमांत घाटियों में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए क्षेत्रों को संकीर्ण करना और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की मिट्टी विगैसीकरण और सूक्ष्म रिसावों के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सतह रसायनिक अन्वेषण करने हेतु परीक्षण स्थलों परीक्षण खिड़कियों का चयन ।

(iv) उपसतह और सतह भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ भू रसायन डेटा के जीआईएस एकीकरण और उन दोनों के बीच संबंध का विश्लेषण

(v) डिजिटल संसाधित बहु वर्णक्रमीय एवं हाईपरस्पट्राल उपग्रह डेटा से हाइड्रोकार्बन के मिट्टी विगैसीकरण और सूक्ष्य रिसावों से संबद्ध मिट्टी की सुरंग (Detection of soil tonal) और वनस्पति विसंगतियों एवं परिवर्तन क्षेत्रों का पता लगाना ।

(vi) ऊपर के सभी डेटा का जीआईएस एकीकरण और आगे के विस्तृत अध्ययन के लिए अनुकूल हाइड्रोकार्बन स्थानों (लोकेल) को पहचानना

परियोजना "RESOIL" चौथे चरण तक पहुंच गया है और पांचवे व छठे चरण की ओर प्रगति पर है। ओआईडीबी द्वारा अभी तक 3.41 करोड़ रुपये की राशि परिकल्पित गतिविधियों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को वितरित की जा चुकी है जिसमें 2010–2011 में वितरित की गई 0.50 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

11.10 उत्तरी–पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी)

(पूर्व में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला) : 0.11 करोड़ रूपये का अनुदान

परियोजना का मुख्य उद्देश्य "उच्च शक्तिशाली प्रोपेन्ट्स" जो सर्वाधिक शक्तिशाली एवं 3 प्रतिशत एच एफ एवं 12 प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल में न्यूनतम घुलनशील हो, को बनाने के लिए प्रक्रिया का विकास करना है । यह उच्च गुणवत्ता वाले सिन्टर बॉक्साइट पाउडर के साथ उपयुक्त रेजिन परत चढाने से ही

संभव हो सकेगा । विभिन्न प्रकार के बॉक्साइट नमूनों उच्च प्रोपेन्ट्स प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया गया । पेलेटाइजर इनरिच मिक्सर द्वारा पाउडर बॉक्साइट पदार्थ से विभिन्न आकारों के हरे पेलेट्स तैयार किया गया । इन हरे पेलेट्स को सुखाया, कैल्सिनाइड किया गया और संबंधित बॉक्साइट पदार्थ में रसायनिक संगठनों के अनुसार 1300 डिग्री सं. से 1650 डिग्री सं. के बीच उच्च ताप पर सिन्टर किया गया और उसके उपर फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड का परत चढ़ाया गया। रेजिन परत चढ़ा इन प्रोपेन्ट्स को एपी आई अनुसंशा के अनुसार मूल्यांकित किया गया तो अम्ल में घुलनशीलता की कमी का प्रभाव देखा गया। आगे की प्रगति तदनुसार निर्धारित तय कार्यक्रम समय के अनुसार जारी है। "रेजिन परत चढ़ा प्रोपेन्ट्स तैयार करने की विधि" शीर्षक पर पेटेन्ट फाईल करने की तैयारी की जा रही है ।

तेउविबो द्वारा इस परियोजना के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान 0.11 करोड़ रूपये की राशि जारी की है।

11.11 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) : रूपये 2.77 करोड़ का अनुदान

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की स्थापना 1964 में हुई। दस वर्षों में यह भारत की एक सबसे बड़ी वाणिज्यिक उद्यम के रूप में उभर कर आई। यह कंपनी सही मायनों में परिशोधन, विपणन तथा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में देश की अग्रणी कंपनी है। इंडियन ऑयल का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र डाउन स्ट्रीम क्षेत्र के लिए देशी तकनीक के विकास के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। सरकार ने इंडियन ऑयल के अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र को, क्रमशः 20000 किमी. व 40000 किमी. तक के नियंत्रित फील्ड परीक्षण का संचालन कर मोटरसाइकिलों तथा गाड़ियों पर 10 प्रतिशत इबीपी के मूल्यांकन का कार्य सौंपा था। ईंधन गुणॉ की जाँच के फील्ड परिक्षणों के दौरान, 5 डिग्री से0 तथा 45 डिग्री से0 पर कोल्ड एंड हॉट स्टार्टेबिलिटी तथा वाहन ड्राइव–योग्यता, ईंधन मितव्यय, बहुमात्रा–उत्सर्जन, प्रयोग किए गए इंजन ऑयल का विश्लेषण तथा पदार्थ अनुकूलता परिक्षण किए गए।

इंडियन ऑयल अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन संतोषजनक वाहन प्रदर्शन, ईंधन मितव्यय तथा पेट्रोल की तुलना में 10 प्रतिशत इबीपी उत्सर्जन दर्शाते हैं। एसआईएएम द्वारा दिए गए धात्विक तथा अधात्विक जांच कूपनों के पदार्थ अनुकूलता के सम्बन्ध में, 10 प्रतिशत इबीपी से निओप्रीन प्रकार के रबर पर कुछ प्रभाव दिखाई दिए हैं। परियोजना के लिए तेउविबो द्वारा कुल मंजूर की गई राशि रूपये 386 लाख है। तेउविबो वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 2.77 लाख जारी किए। परियोजना पूरी हो चुकी है।

11.12 राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद(एनजीआरआई) : 3.05 करोड़ रूपये का अनुदान

राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन है। "भारत हाइड्रोकार्बन विजन 2005 के अन्तर्गत हाइड्रोकार्बन के सतही भू–रसायनिक सर्वेक्षण के लिए तकनीकों का विनियोजन जिसमें सूक्ष्म जैविक, प्रतिदीप्ति चिन्ह, फिंगर प्रिंटिग, मृदा लवण और विटून आदि की स्थापना" परियोजना स्थापित की गई। परियोजना 2008 में पूरी हो गई तथा उसमें संबंधित रिपोर्ट तेउविबो को सौंप दी गई है।

वर्ष 2010–11 में उपरोक्त सुविधा का प्रयोग करते हुए निम्न अध्ययन /सर्वेक्षण किए गए।

(i) डीजीएच के लिए राजस्थान बेसिन में तेल तथा गैस अन्वेषण के लिए सतही भू–रसायनिक सर्वेक्षण।

(ii) डीजीएच के लिए बंगाल बेसिन में अन्वेषण तथा अवशोषित भूमि गैस सर्वेक्षण के लिए हाइड्राकार्बन अनुसंधान का अन्वेषण।

(iii) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया (गेल) के लिए बीकानेर नागपुर बेसिन में नेल्प–VI ब्लॉक RJ-ONN-2004/I में भू रसायनिक सर्वेक्षण।

11.13 सेन्ट्रल इंस्ट्टियूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) : 2.75 करोड़ रूपये का अनुदान

सेन्ट्रल इंस्ट्टियूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) : 1968 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चैन्नै में स्थापित किया गया था। सिपेट भारत के प्रधान राष्ट्रीय संस्थान है, जो प्लास्टिक्स एवं संबंद्ध उद्योगों हेतु शैक्षिक, प्रौद्योगिकी सहायता एवं अनुसंधान (एटीआर) के लिए समर्पित है। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास परामर्श एवं सलाहकारी सेवाओं में सिपेट द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार है। सभी सिपेट प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलिब्रेशन लेबोरेटरीस (एनएबीएल), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा परीक्षण एवं अंशाकन प्रत्यायन प्राप्त है।

सिपेट के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी संपत्ति है जिसका अपने विकासात्मक प्रयासों का सुधार एवं विस्तार करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

सीपेट की स्थापना प्लास्टिक तथा एलाइट प्रौद्योगिकी मैन पावर, डेप्लैंपमेंट, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई। जोकि डिजाइन, सीडीए/सीएएम, टूलिंग प्लास्टिक प्रक्रिया, जाँच, विशेषीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणिकता की सभी नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है।

ओआईडीबी द्वारा दिसम्बर 2010 को लबोरटरी फॉर अडवान्स रिसर्च इन पॉलिमरिक मटेरियल्स (एलएआरपीएम), सिपेट भुवनेश्वर, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम ऑन डिविलेपमेंट ऑफ लाइट वेयर फ्युअल एफिशियंट पॉलिओलिफिन नानाकॉम्पोसिट्स फॉर एप्लिकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर शीर्षक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य विश्वभर के परिवहन बाजार के हाई टेक मेटेरियलों के विभिन्न घटकों के प्रतिक्रिया एवं कार्यनिष्पादन के संरचनात्मक, मेटेरियल एंड मापदण्ड के प्रभाव के मूल्याकंन करना है। उपरोक्त परियोजना परिवहन सेक्टर में नये नैनोमेटेरियल के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। लक्ष्यों के अनुसार परियोजना प्रगति में है एवं राष्ट्र के नैनोविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संभाव्य विषयों का समाधान भी करेगा। आगामी वर्षों में इन गतिविधियों की प्रगति पर कई प्रकाशन व पेटेंट आवेदन दिये जायेंगे।

11ग भारत सरकार तेउविबो द्वारा प्रायोजित योजनाएँ परियोजनाएँ

11.14 हाइड्रोजन कॉपर्स फंड (एचसीएफ) : रूपये 10.00 करोड़

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस गतिशील क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से तथा लगातार संयोजन के साथ काम करना होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों/तेउविबो के निम्नलिखित अंशदान से 100 करोड़ रूपये का हाइड्रोजन कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है :

1	तेउविबो	40 करोड़ रूपये
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रूपये प्रत्येक
3	एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल.	6 करोड़ रूपये प्रत्येक

तेउविबो निधि खाते का रखरखाव करती है। तेउविबो ने अब तक कॉर्पस में 20 करोड़ रूपये की राशि का अंशदान किया है। मैसर्स आईओसीएल एवं ओएनजीसी, ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ पहले ही प्रारंभ कर चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों को रूपये 41.51 करोड़ की अनुमानित लागत की 9 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का अनुमोदन वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा किया गया। मार्च 2011 तक इसके लिए एचसीएफ से 1.29 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। मार्च 2011 के अंत में हाइड्रोजन कॉपर्स फंड का 87.32 करोड़ रूपये था।

11.15 राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) : रूपये 0.75 करोड़ का अनुदान

परिसर के प्रथम चरण के निर्माण का कार्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदनों के बाद अगस्त 2010 में आरम्भ हो चुका है। परियोजना परामर्श सलाहकार के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) कार्यरत है। परिसर के प्रथम चरण प्लान के अन्तर्गत 13.5 लाख वर्गफीट के निर्माण में निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित हैं:–

(i) संकाय तथा कार्मिकों के लिए आवासीय ब्लॉक

(ii) छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा।

(iii) शैक्षिणक भवन जिसमें संकाय खंड तथा व्याख्यान कक्ष आदि शामिल हैं।

(iv) आगन्तुक छात्रावास, चिकित्सा यूनिट तथा वाणिज्यिक केन्द्र शामिल हैं।

परियोजना 30.4.2013 तक पूरी की जानी है 180 करोड़ रूपये की लागत से प्रमुख सिविल तथा अवसंरचना कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च 2011 तक कुल प्रगति 24.5 प्रतिशत रही। विद्युत, सिविल संबंधी कार्य फिनिशिंग तथा अन्य संबंधित कार्यो जैसे आग से बचाव, प्लम्बिंग, वातानुकूलित आदि का निविदा दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 में 0.75 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

11.16 राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) असम : रूपये 2.93 करोड़ का अनुदान

आरजीआईपीटी के असम केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य–सर्टिफिकेट,डिप्लोमा तथा एडवांस डिप्लोमा स्तर, इन्टीग्रेटिड डयूल डिग्री (बीएससी/एमएससी) पर स्किल्ड कायक्रम में हायर टैकनिकल मैन पावर के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। डिप्लोमा कार्यक्रम में यांत्रिकी इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी तथा संयंत्र प्रौद्योगिकी शामिल होंगे। एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रम में ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी, पाइपलाइन इंजीनियरिंग तथा पेट्रोलियम ऑपरेशन होंगे।

आरजीआईपीटी ने 2010 में शिवसागर में सरकारी जमीन में से 100 एकड की भूमि खरीदी है। असम केन्द्र परिसर का निर्माण कार्य 24 महीने की समयावधि में पूरा करने लिए परियोजना परामर्श सलाहकार के रूप में मैसर्स ईआइएल कार्य कर रहा है। परिसर निर्माण कार्य में निम्नलिखित कार्य किया जा चुका है।

- साइट सर्वेक्षण कार्य तथा भू प्रौद्योगिकी जांच का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- चरण–I की साइट ग्रेडिंग मार्च 2011 में आबंटित की जा चुकी है।
- 3.671 लाख वर्ग फिट में निर्माण कार्य की निविदा सिविल तथा संरचना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। जिसमें 1.19 लाख वर्ग मीटर का शैक्षणिक खण्ड, 0.69 लाख वर्ग मीटर का संकाय खण्ड, 0.78 लाख का छात्रावास काम्प्लैक्स तथा प्रशासनिक केन्द्र, राजीव गांधी प्लाजा, ऑडोटोरियम तथा एमैनीटीज़ के लिए शेष क्षेत्र होगा।

11.17 स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण–II हेतु पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन : रूपये 2.20 करोड़ का अनुदान

तेल उद्योग विकास (ओआईडी) बोर्ड ने 3 अगस्त, 2009 को हुई अपनी 77वीं बैठक में इस पर सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन किया था और केंद्र सरकार ने 12 फरवरी, 2010 के अपने पत्र के माध्यम से स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण–II हेतु पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

इस संबंध में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 235 लाख रुपये + कर शुल्क पर तकनीकी रूप से उपयुक्त साइटों का पता लगाने और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य सौपा गया।

पीएफआर के कार्यक्षेत्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों दोनों के लिए भंडारण सुविधाएं बनाने हेतु साइटों का चयन के साथ–साथ भंडारण की प्रकृति तथा प्रत्येक चुनिंदा साइट में भंडारण की अधिकतम संभावित क्षमता का कार्य शामिल है। इन भंडारण सुविधाओं के लिए तीन अलग–अलग भंडारण प्रणालियों अर्थात भूमिगत अनलाइन्ड रॉक कैवर्न, सोलुशन माइन्ड साल्ट कैवर्न और भूमिगत कंक्रीट टैंकों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में देश में कार्यान्वयन हेतु नई भंडारण प्रौद्योगिकियां अपनायी जा रही हैं।

ईआईएल द्वारा कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं संबंधी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का ड्राफ्ट 30 अगस्त , 2010 को सौंप दिया गया तथा उत्पाद भंडारण सुविधाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट 30 सितंबर, 2010 को सौंपी गई।

अध्याय - III

अन्य गतिविधियां

12. वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां

(i) तेल उद्योग विकास बोर्ड सूखा राहत न्यास (ओआईडीबी – डीआरटी)

अप्रैल से जून 2000 के दौरान आकस्मिक सूखे ने कुछ राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात को प्रभावित किया। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री की अपील के प्रत्युत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मई 2000 के दौरान इन राज्यों के सूखा प्रभावित गांवों में पीने के पानी के लिए परिवहन व्यवस्था पर डीजल के खर्चे के मूल्य की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। इस कार्य हेतु तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से दिनांक 1.6.2000 को एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में तेउविबोर्ड सूखा राहत न्यास की स्थापना की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, न्यास के पदेन अध्यक्ष हैं तथा मंत्रालय के अपर सचिव न्यास के पदेन प्रबंधन न्यासी और सचिव, तेउविबो न्यास के सचिव हैं तथा विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों के प्रतिनिधि इसके अन्य न्यासी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कॉर्पस के लिए 20.60 करोड़ रूपये का योगदान दिया है, अब तक रूपये 17.61 करोड़ विभिन्न राज्य सरकारों/प्रधान मंत्री राहत कोष व अन्य कल्याणकारी संस्थाओं को दिए गए। 31 मार्च 2011 तक तेउवि बोर्ड सूखा राहत न्यास में ब्याज सहित लगभग 13.71 करोड़ रूपये की निधि शेष थी। ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत दिनांक 31.3.2011 तक छूट प्रदान की गई है। चूँकि ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देश्य बहुत व्यापक है तथा ये अन्य हितकारी कल्याणकारी उपायों के लिए भी इससे वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकती है अतः यह निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट का नाम तेउविबोर्ड सूखा राहत न्यास से बदल कर तेउविबोर्ड राहत न्यास कर दिया जाए।

(ii) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अक्षरा, एक्स–पी, अंकुर तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की सुविधा उपलब्ध है। तेउविबो के सभी नियम द्विभाषी हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन नीति के प्रभावी अनुसरण के लिए तेउविबो में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति सचिव महोदय की अध्यक्षता में कार्यरत है। यह समिति राजभाषा नीति के नियमानुसार किए जा रहे कार्यों की तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रगति व कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये गए, जैसे कि –

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 1 सितम्बर, 10 से 30 सितम्बर, 10 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया।

- हिन्दी माह के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें समाचार लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी तथा हिन्दी भाषा ज्ञान प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया । विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

- तेउविबो द्वारा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो हिन्दी में प्रवीण हैं, निर्देश जारी किए गए कि वे अपने सभी कार्य केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत करें।

- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही/छमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई।

- राजभाषा नियमानुसार पुस्तकालय हेतु हिन्दी की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं पर्याप्त मात्रा में खरीदी गई जो तेउवि बोर्ड के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सहायक पुस्तकें जैसे हिन्दी तकनीकी शब्दावली, हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गए।

- वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रभावी प्रसार के लिए तेउविबो में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजन की गई। जिनमें से कई महत्वपूर्ण विशयों आदि सम्मिलित किए गए। जैसे "अपनी वेबेसाइट को अद्यतन कैसे रखें", "कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें" आदि।

- तेउविबो अपनी वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन प्रतिवर्ष करता है। इस अंक में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं यात्रा के संस्मरण से वांछित लेख प्रकाशित किए गए हैं पत्रिका का उद्देश्य हिन्दी लेखन को प्रेरित करने के साथ–साथ हिन्दी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कार्यान्वित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, अन्य बातों के साथ–साथ, लोक प्राधिकारियों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, प्रबंधक (ऐस्टेट) तथा अनुभाग अधिकारी को क्रमशः अपील अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है।

वर्ष 2010–11 में सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत अपीलों सहित कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए आवेदनों में से 6 अपीलों सहित 5 आवेदनों का निपटान किया गया है। बाकी आवेदनों और अपीलों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम में विनिर्धारित की गई समय–सीमा के अंदर किया जाएगा।

13. आंतरिक स्रोतों से निधि में वृद्धि

तेल उद्योग विकास बोर्ड ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति एवं अल्पकालिक निवेश के माध्यम से आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करता है। निधि में वर्ष 2009–10 के 347.21 करोड़ रूपये की तुलना में, वर्ष 2010–11 के दौरान 329.83 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि हुई। पिछले उनत्तीस वर्षो में निधि में इसी तरह की वृद्धि से संबंधित स्थिति को ग्राफ में दर्शाया गया है:–

तेल उद्योग विकास निधियों में वृद्धि

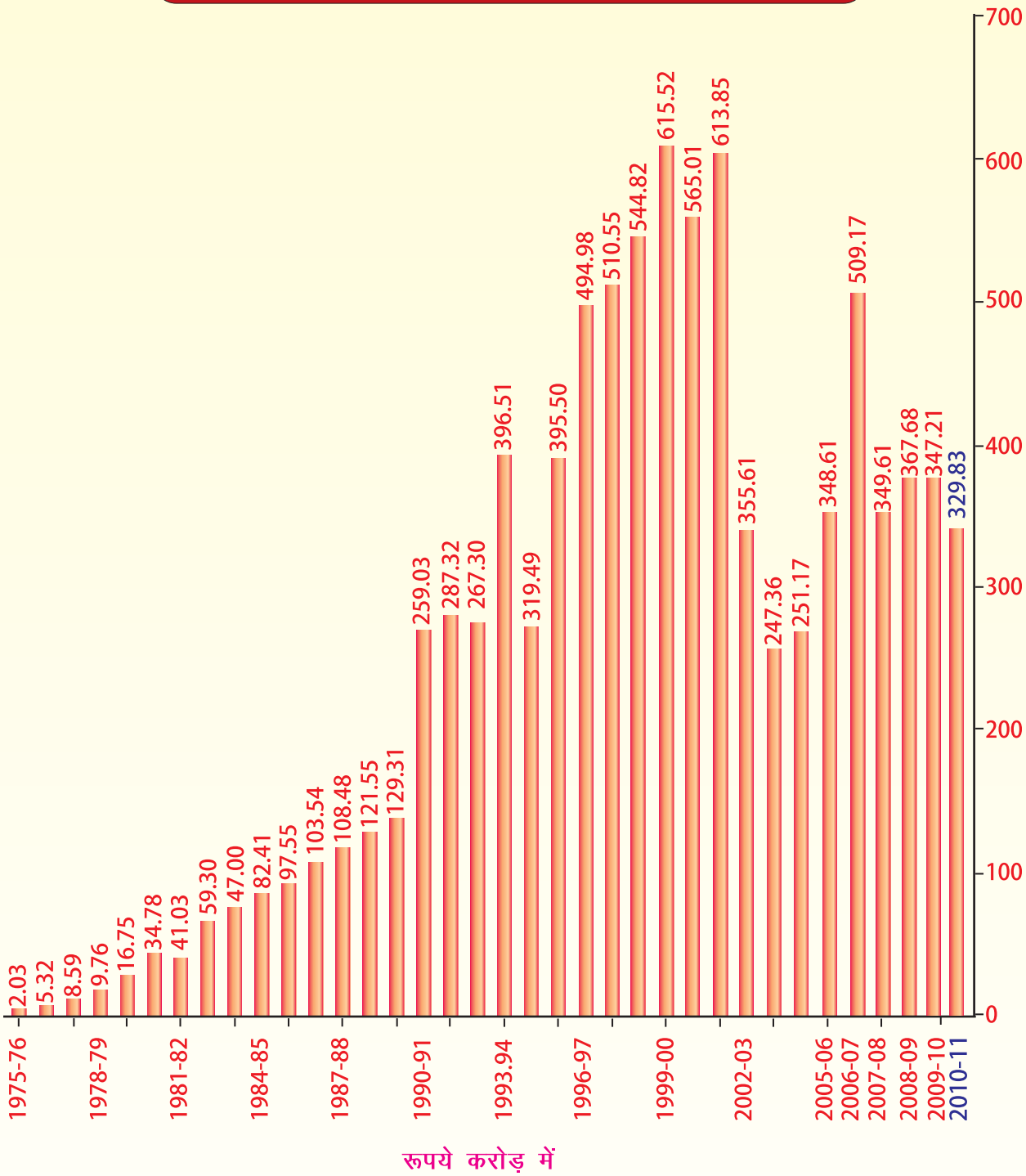

रूपये करोड़ में

14. वार्षिक लेखे एवं संपरीक्षा

बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी प्रकार के वित्तीय कार्यों का लेखा–जोखा बनाये रखना जारी रखा। रिपोर्ट के साथ संलग्न लेखों में तेउविबोर्ड के एकमात्र लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूर्ण रूप से लेखा परीक्षत आय व व्यय के लेखे तथा तुलन पत्र की रिपोर्ट भी शामिल है।

अनुलग्नक

केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आबंटित की गई धनराशि से संबंधित स्थिति

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह किया गया उपकर	संग्रह प्रभार	संग्रह की निवृत्त राशि	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1.	1974-75	30.82	0.62	30.20	16.01
2.	1975-76	50.05	1.00	49.05	62.27
3.	1976-77	52.88	0.53	52.35	48.19
4.	1977-78	63.72	0.64	63.08	50.10
5.	1978-79	68.89	0.69	68.20	20.00
6.	1979-80	69.70	0.70	69.00	140.00
7.	1980-81	60.40	0.60	59.80	25.01
8.	1981-82	138.97	1.39	137.58	142.92
9.	1982-83	268.83	2.69	266.14	100.00
10.	1983-84	812.80	8.13	804.67	-
11.	1984-85	850.12	5.70	844.42	-
12.	1985-86	897.66	6.01	891.65	-
13.	1986-87	981.50	6.57	974.93	-
14.	1987-88	1806.60	12.10	1794.50	-
15.	1988-89	2013.64	13.49	2000.15	63.09
16.	1989-90	2914.57	19.53	2895.04	50.00
17.	1990-91	2785.15	18.65	2766.50	89.81
18.	1991-92	2500.64	16.76	2483.88	95.00
19.	1992-93	2207.61	14.70	2192.91	-
20.	1993-94	2175.46	14.57	2160.89	-
21.	1994-95	2566.16	17.19	2548.97	-
22.	1995-96	2819.52	18.89	2800.63	-
23.	1996-97	2558.03	17.14	2540.89	-
24.	1997-98	2528.74	16.95	2511.79	-
25.	1998-99	2448.18	16.40	2431.78	-
26.	1999-00	2589.44	17.35	2572.09	-
27.	2000-01	2582.21	17.31	2564.91	-
28.	2001-02	2722.79	18.24	2704.55	-
29.	2002-03	4873.17	32.65	4840.52	-
30.	2003-04	4919.49	32.96	4886.53	-
31.	2004-05	5033.97	33.73	5000.24	-
32.	2005-06	4857.58	32.55	4825.03	-
33.	2006-07	6875.53	46.06	6829.47	-
34.	2007-08	6854.00	45.92	6808.08	-
35.	2008-09	6680.94	44.76	6636.18	-
36.	2009-10	6637.13	43.47	6593.66	-
37.	2010-11*	7671.44	51.40	7620.04	-
	कुल	**95968.33**	**648.03**	**95320.30**	**902.40**

ते.उ.वि. बोर्ड द्वारा उपकरण आंकड़े ओएनजीसी, ओआईएल तथा डीजीएच से एकत्रित किये जात हैं।

अध्याय - IV

तेल उद्योग विकास बोर्ड
एक परिदृश्य

तेल उद्योग विकास बोर्ड एक परिदृश्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
I.	**भारत सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर**	6829.47	6808.08	6636.18	6593.66	7620.04
II.	**संसाधन**	-	-			
	क सरकार द्वारा एकत्रित उपकर में से आवंटन	-	-		-	-
	ख ऋण की उगाही से प्राप्ति	540.42	1860.77	1290.33	2601.71	1429.18
	ग ब्याज तथा अन्य प्राप्तियाँ	906.59	716.60	789.36	863.81	741.55
	घ अंतिम शेष	1636.90	1816.99	170.75	96.41	26.03
	ड़ इक्विटी में निवेश	(90.80)	-	-	-	-
	च ते.उ.वि. निधि खाते में अंतरित अधिशेष	509.17	349.61	367.68	349.39	329.83
III.	**वित्त पोषण कार्यकलाप**					
	i. योजनागत परियोजनाओं के लिए सहायता					
	क स्वीकृति	1885.00	1982.10	3043.00	2779.00	1388.41
	ख वितरित	1827.90	1982.10	3043.00	2779.00	1388.41
IV.	**गैर-योजनागत परियोजना हेतु सहायता सहित अन्य सहायता**					
	क स्वीकृति	-	-	-	-	-
	ख वितरित	-	-	-	-	-
	i) भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा चलित योजनाओं सहित अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-
	क स्वीकृति	225.91	109.57	141.08	151.65	128.77
	ख वितरित	211.45	105.80	135.94	151.63	128.77
	ग आईएसपीआरएल की इक्विटी में निवेश	36.80	57.50	179.29	67.65	0.00
	घ राज्य सरकार को रायल्टी	29.11	30.62	16.00	8.30	54.89
	ड़ ते.उ.वि.बो. के खर्च जिसमें पूंजीगत व्यय तथा संविदा कक्ष के खर्च शामिल है।	11.01	27.17	62.53	100.89	100.92
	च अग्रिम	36.56	8.43	15.80	270.64	567.31
	छ आय कर भुगतान	188.15	185.66	273.37	161.76	147.58
V.	**आय कर भुगतान**	**2223.90**	**2382.66**	**3776.61**	**2930.65**	**1517.18**
VI.	**वर्ष के दौरान कुल स्वीकृत निधियां**	**3977.88**	**4214.27**	**3895.07**	**3465.53**	**2170.73**
VII.	**वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियां इक्विटी/आयकर राशि में निवेश सहित कुल समुपयोजित निधियां**	**2340.98**	**2397.28**	**3724.32**	**3269.25**	**1820.57**
VIII.	**बकाया ऋण (तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कम्पनी (वर्ष के अंत में)**	**6879.78**	**7001.10**	**8753.79**	**8931.08**	**8890.31**

अध्याय - V

वार्षिक लेखे

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

कॉपर्स पूंजीगत निधि एवं देयताऐं	अनूसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष 31.03.2010
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	2	927226	894243
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	60410	42207
योग		**1077876**	**1026690**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ (निवल ब्लॉक)	8	1955	1956
प्रगतित कार्य	8	13986	12492
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	35882	35882
चालू परिसम्पतियों, ऋण, अग्रिम आदि	11	1026053	976360
विविध खर्चे (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)		0	0
योग		**1077876**	**1026690**
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	26		

(टी एस बालासुबामण्यिन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

(अरूण कुमार)
सचिव

दिनांक: 19 जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि रूपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
ब्रिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सिडी	13	0	0
फीस / अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा ब्रिक्री से आय	16	3250	2174
अर्जित ब्याज	17	67458	71042
अन्य आय	18	2	23
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोतरी / (कमी)	19	0	0
योग (क)		**70710**	**73239**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	317	358
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	379	90
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	12877	15163
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	9386	7441
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		0	0
फ्रिज लाभकर		0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)		10	6
योग (ख)		**22969**	**23058**
खर्च पर आय के अधिक्य का शेष (क–ख)		47741	50181
आयकर के लिए प्रावधान		14758	15460
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉपर्स / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**32983**	**34721**
विशेष लेखा नीतियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां	26		

बालासु

(टी एस बालासुबामण्यिन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

(अरूण कुमार)
सचिव

दिनांक: 19 जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोडें : कॉपर्स / पूँजीगत निधि में योगदान	-		-	
जोडें / (घटाएं) : आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	-		-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ				
1. **पूंजीगत आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
2. **पुर्नः मूल्यांकन आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
3. **विशेष आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
4. **सामान्य आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	894243		859304	
वर्ष के दौरान जमा	32983		34721	
जोडे : पिछले वर्षो में अतिरिक्त कर भुगतान का प्रतिदेय	0	-	218	
योग :	**927226**	-	**894243**	

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनूसूची 3 चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण					योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में परिवर्धन (i) दान / अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य						
योग (क+ख)							
ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्चे **(i) पूँजीगत खर्चे** - अचल परिसम्पत्तियाँ - अन्य योग : **(ii) राजस्व खर्चे** - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्चे योग :	शून्य						
योग : (ग)	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष : (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-	-

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 4, आरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
4. बैंक	**शून्य**	
क) आवधिक ऋण		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्त राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	**शून्य**	
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्त राशि

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 6 – अस्थगित जमा देनदारियाँ		
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बधंक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	**शून्य**	
ख) अन्य		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्त राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिशोध्य	-		-	
ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	10508		6611	
ख) आर कर / टीडीएस / वर्कस कॉनट्रेक्ट देय कर	23		215	
ग) ठेकेदारों को भुगतान	62		264	
घ) अन्य	141		250	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमआई के साथ	129		120	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दरें (ठेकेदारों के कारण)	240	11103	200	7660
योग (क) :		**11103**		**7660**
ख. प्रावधान				
1. करों के लिए		49242		34484
2. ग्रेज्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		63		63
5. व्यापार वारंटी / दावे		-		-
6. अन्य (लेखापरीक्षकों के परिश्रमिक के लिए प्रावधान)		2		0
योग (ख)		49307		34547
योग (क+ख)		**60410**		**42207**

तेल उद्योग विकास बोर्ड 31.03.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनुसूची 8

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	01.04.10 से आरंभ वर्ष में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटोतियाँ	31.03.11 वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	01.04.10 वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटोतियाँ	31.03.11 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.03.11 को चालू वर्ष के अन्त में	31.03.10 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
a) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) पट्टे पर	1915	0	0	1915	0	0	0	0	1915	1915
2 भवन										
a पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b पट्टे वाली भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) स्वामित्व मकान / परिक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	14	1	0	15	17	18
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. वाहन	12	0	0	12	8	1	0	9	3	4
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	21	0	0	21	19	0	0	19	2	2
6. कार्यालय उपस्कर	41	2	0	43	31	2	0	33	10	10
7. कम्प्यूटर / बाह्य उपकरण	35	7	0	42	28	6	0	34	8	7
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चालू वर्ष का योग :	**2056**	**9**	**0**	**2065**	**100**	**10**	**0**	**110**	**1955**	**1956**
गत वर्ष :	**2022**	**61**	**27**	**2056**	**119**	**6**	**25**	**100**	**1956**	**1903**
ख. पूंजीगत चालू कार्य	**12492**	**1494**	**0**	**13986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13986**	**12492**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 9 – चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ 3. शेयर 4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम 6. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग	-	-

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 10 – अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लारी लिमिटेड	1758	1758
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम आई एस पी आर एल	34124	34124
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग :	**35882**	**35882**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि				
क चालू परिसम्पत्तियाँ				
1. इन्वेनटारी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगतित कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. **फुटकर देनदारी**				
क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदरियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. **कुल नकद शेष (इसमें चैक / ड्राफट / अग्रदाय साहित)**		1		1
4. **बैक शेष**				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	0		0	
- बचत खातों पर	2602	2602	9640	9640
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	-		-	
- बचत खातों पर	-	-	-	-
5. **डाक घर – बचत खाते**		-		-
योग (क) :		**2603**		**9641**

(रूपये लाख रूपये में)

ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. ऋण				
क) स्टाफ	53		30	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	889031		893108	
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
2. अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्त है		**889084**		**893138**
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल की इक्विटी तथा ठेकेदारों को चल अग्रिम के लिए अग्रिम)	62076		17857	
ख) पूर्व भुगतान	23		-	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर/टीडीएस एमएम सैल प्रतिभूति जमा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है)	52082	**114181**	37451	**55308**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित / अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	3		3	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2720		2717	
घटाएं : संदिगध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षो में किया)	2714		2714	
घ) अन्य	47	**56**	0	**6**
4. वसूली योग्य दावे				
(i) विरोध के तहत भुगतान किया गया कर	20123		18261	
(ii) प्राप्त राशि	6	**20129**	6	**18267**
योग (क)		**1023450**		**966719**
योग (क+ख)		**1026053**		**976360**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 12 – ब्रिक्री / सेवाओं से आय		
1. ब्रिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओ से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / सम्पत्ति) ड.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 13 – अनुदान / सहायता (अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एंजेंसियाँ 4) संस्थान / कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 14 – शुल्क / अभिदान		
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 15 – निवेशों से आय				
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) म्यूचुअयल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य – एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश	शून्य			
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में अंतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय		
1. रायल्टी से आय	1	10
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच तथा अन्य द्वारा डेटा बिक्री से आय	1399	2173
– आई ओ सी (अनु. एवं वि.) से प्राप्तियाँ	1850	0
योग :	**3250**	**2174**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 17 – अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	226	-
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	289	72
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	2	1
ख) तेल कम्पनियाँ	66940	68775
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) चल अग्रिम पर ब्याज	1	10
ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	2184
योग :	**67458**	**71042**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	6714	9674

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 18 – अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों के ब्रिक्री / निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पतियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफत में प्राप्त परिसम्पत्तियां		
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	
4. विविध आय	2	23
योग :	**2**	**23**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि / कमी		
क) अन्तिम स्टॉक		
- तैयार माल	शून्य	शून्य
- कार्यगत राशि		
ख) घटाएं : स्टॉक		
- तैयार माल		
- कार्यगत राशि		
निवल जमा (घटा) (क+ख)	-	-

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 20 – स्थापना खर्चे		
क) वेतन एवं मजदूरी	122	133
ख) भत्ते एवं बोनस	33	29
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	22	49
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	11	9
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	2	18
छ) अन्य (संविदा प्रकोष्ठ के साथ)	127	120
योग :	**317**	**358**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय	0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे	0	0
ग) गाडी तथा भाडा	0	0
घ) विद्युत तथा बिजली	120	1
ड0) जल प्रभार	3	2
च) बीमा	3	1
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	25	7
ज) उत्पाद कर	0	0
झ) किराया, दरें तथा कर	104	39
त्र) गाडियों का चलन एवं रखरखाव	5	4
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार	3	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री	9	7
ड) विविध खर्चे	5	8
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चें	0	2
ण) अभिदान खर्चें	0	0
त) शुल्क पर खर्चें	0	0
थ) लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक	2	1
द) आतिथ्य खर्चा	1	2
ध) व्यावसायिक प्रभार	8	9
न) संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान	0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चें	0	0
फ) पैकिंग प्रभार	0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे	0	0
भ) संवितरण खर्चें	0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार	0	2
अन्य	91	0
योग :	**379**	**90**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		
क) संस्थानों / संगठनों को जारी अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	11289	14569
ख) सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए (अनुलग्नक III–बी)	1588	594
योग :	**12877**	**15163**
टिप्पणी – अनुलग्नक **III** (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान /सब्सीडी राशि इंगित की गई है।		
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज		
क) स्थिर ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग :	0	0
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 24 – राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान		
अरूणाचल प्रदेश सरकार	4198	2283
गुजरात सरकार	2964	5158
असम सरकार	2224	0
कुल	**9386**	**7441**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

1. **लेखाकरण व्यावहारिक रीति**

वित्तीय विवरणपत्र सिर्फ अनुदान को छोड़कर जमा के आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. **निवेश**

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. **स्थाई आस्तियॉ**

स्थाई आस्तियॉ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं, निर्माण, संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. **मूल्यह्रास**

4.1 मूल्यह्रास से आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार "ह्रासित मूल्य" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को इसी वर्ष में पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया जाता है।

5. **सरकारी अनुदान/सब्सिडी –**

अनुदान भुगतान वर्ष आधार पर लेखागत किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों/को देय रायल्टी को छोड़कर जो कि सरकार के आदेशानुसार भुगतान दिया जाता है के अतिरिक्त है।

6. **आय**

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर देय आय 90 दिन के बाद प्राप्य नहीं रहता है।

7. **विदेशी मुद्रा व्यापार**

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. **लीज़**

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये के व्यय में दर्शाया जाता है।

9. **सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवर्षत्ति योजना की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जाएगी

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है जो कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉं

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियॉं

1. **आकस्मिक देयताएं:–**

(क) तेउविबो भवन की निर्माण संबंधी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पार्टियों के रूपये 694 लाख (गत वर्ष रूपये 36 लाख) के दावों पर न तो विचार किया गया और न ही उनका प्रावधान किया गया।

(ख) लेखा वर्ष 2008–09 के टीडीएस के खाते में रूपये 30.10 लाख (गत वर्ष शून्य) की मांग के खिलाफ अपील, आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित है।

2. **वचन बद्धताएँ**

पूंजीगत

क) बचे हुए अनुबंधों की अनुमानित लागत रूपये 1607 लाख (गत वर्ष रूपये 3347 लाख) है जिन्हें पूंजीगत लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया। ।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस (आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) द्वारा "कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारण" के निर्माण की अनुमानित संशोधित लागत रूपये. 2763900 (गत वर्ष रूपये 239700 लाख रूपये) लाख है। सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की सम्पूर्ण लागत के लिए निधियां तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना का कार्य मार्च 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

(ii)तेउविबो ने मार्च 2011 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस (आईएसपीआरएल) को मार्च 2011 के अंत तक रूपये 96200 लाख (गत वर्ष 51981 लाख) इक्विटी में निवेश के लिए

दिये। कंपनी पहले ही रूपये 34124 लाख तक के शेयर आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 62076 लाख की राशि 31 मार्च तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. तेउविबो भवन की पूंजीगत लागत

तेउविबो भवन की निर्माण गतिविधियां अभी भी पूर्णता के चरण में थी, अतः वर्ष के दौरान इसका पूंजीकरण नहीं किया गया। पूंजीगत कार्य प्रगति पर है के प्रावधानों के मद में रूपये 13979 लाख लिए गये हैं, जिनमें विभिन्न ठेकेदारों से देरी तथा कमी आदि के कारण ठेके के प्रावधानों के अनुसार वसूले गए, रूपये 23.68 लाख रूपये शामिल हैं।

4. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) प्रबंधन के विचार में चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम का वसूली मूल्य सामान्य कारोबारी दशाओं में कम से कम, तुलन पत्र में दर्शाए गए, बीको लारी लिमिटेड में निवेश (इक्विटी रूपये 17.58 लाख, ऋण रूपये 32.76 करोड़ और ऋण पर ब्याज)को छोड़कर, कुल मूल्य के समान है। सरकार द्वारा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र सं0.25011/4/2005–मार्किट(पार्ट) दिनांक 4 मई 2011 के द्वारा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है, जिसमें बीको लॉरी लिमिटेड को बीआरपीएसई ने मजबूती, आधुनिकीकरण, पुर्नउत्थान, पुनर्निमाण की संस्तुति की है। जिसमें निम्न दिशा निर्देश दिए हैं :–

i) तेउविबो के 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी की इक्विटी में बदल कर बीको लॉरी लिमिटेड की वर्तमान पूंजी 42 करोड़ रूपये को बढ़ाकर 74.76 करोड़ रूपये करना।

ii) कंपनी के संकलित ह्रास रूपये 59.60 करोड़ को सेटिंग ऑफ कर कंपनी की इक्विटी पूंजी को 74.76 करोड़ रूपये से घटाकर 15.16 करोड़ रूपये करना।

क) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निर्देशों पर कार्यवाही करनी आरंभ हो गई है। तेउविबो ने वर्तमान निवेश तथा ऋण व उसके उपर ब्याज का मूल्यह्रास होना पूर्वानुमानित किया है। हालांकि कुल हानि की मात्रा इस स्थिति में निश्चित नहीं है। तेउविबो द्वारा इस लेखे में होने वाली सकल हानि को वर्ष 2011–12 में निर्धारित किया जाएगा तथा उस पर तेउवि बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही विचार किया जाएगा तथा उसे लेखों में सम्मिलित किया जाएगा।

ख) आय में डीजीएच डेटा की बिक्री क रूपये 1399 लाख तथा आईओसीएल द्वारा एनजीएचपी अभियान-I कार्यक्रम की अनुपातिक मूल्य द्वारा में प्राप्त रूपये 1850 लाख शामिल हैं।

ग) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड के दिये ऋण व अग्रिम पर वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2446 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख है। कैनफिना, तेउवि बोर्ड के नाम खरीदी गई प्रतिभूतियों के शुद्ध वसूली मूल्य को, जिस पर अभी मुकदमेबाजी चल रही है, जब कभी भी वसूला जाएगा, उसे तेउविबो को देने को तैयार है। जब कभी प्रतिभूति का मूल्य वसूला जाएगा, उस राशि को वसूली योग्य ब्याज में समायोजित कर दिया जाएगा। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध रही है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

घ) वसूली योग्य अग्रिम में सीएचटी से रूपये 509 लाख (गत वर्ष रूपये 993 लाख) 2 लाख रूपये ठेकेदारों से तथा आईएसपीआरएल से 3 लाख रूपये भी शामिल हैं।

5. **कर निर्धारण**

क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। लाभ तथा हानि लेखे **(अनुलग्नक I)** आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए प्राधिकृत संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

ख) आयकर अपील प्राधिकरण (ITAT) में अपने आदेश दिनांक 31 मार्च 2009 में तेउविबो के लिए वित्त वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 के दावों को स्वीकार तथा अनुदान को राजस्व खर्चे के रूप में स्वीकृत किया। आईटीएटी के आदेश दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008 के अनुदान को राजस्व खर्चे के रूप में स्वीकृत करने की अपील प्रथम अपील प्राधिकारी CIT(A) के पास लंबित है। आयकर अधिकरण से रू0. 18261 लाख की राशि वापस प्राप्त होगी। निर्धारण अधिकारी द्वारा 1862 लाख के अतिरिक्त कर की समाप्ति की अपील (निर्धारण वर्ष 2008–09) भी लंबित हैं।

6. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों व ऑपरेटरों, को रॉयल्टी का देय भुगतान तेउविबोर्ड वहन करेगी। इस खर्च को तेउवि बोर्ड का खर्च माना जाएगा। तदानुसार, मंत्रालय के निर्देशानुसार तेउविबो द्वारा रूपये 5849 लाख (गत वर्ष रूपये 7441 लाख) का पूर्वलम्बित भुगतान

राज्य सरकारों को किया गया। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010–11 के अंत तक रॉयल्टी भुगतान के लिए 7890 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

7. तेउविबोर्ड द्वारा रूपये 85 लाख (गत वर्ष रूपये 45 लाख) के भुगतान के दावे, सरकारी योजनाओं पर अनुदान/खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित संस्थाओं /प्राधिकरणों की ओर से स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित थे।

8. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए परिवहन, दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है। वर्ष के अंत तक अभी भी तेउविबो भवन निमार्णाधीन है अतः आईएसपीआरएल से किराया वसूली के प्रभार पर विचार नहीं किया गया।

9. सरकार के निर्देशानुसार, गैस तथा तेल की विभिन्न कंपनियों की सहभागिता से "हाइड्रोजन कॉपर्स फंड"(एचसीएफ) नाम से एक अलग कॉपर्स निधि का गठन, हाइड्रोजन से संबंधित आवश्यक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए किया गया है। इस निधि को तेउविबो द्वारा अलग से संचालित किया जा रहा है। कॉपर्स के लिए तेउवि बोर्ड ने चिन्हित 40 करोड़ रूपये में से अब तक रूपये 20 करोड़ का प्रतिदान दिया है।

10. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने वर्ष के दौरान दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये सेवारत कर्मचारियों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दिनांक 31.03.2011 तक सेवानिवृत्ति एवं ग्रेज्युटी की पूर्ण देयताएं ले ली गई हैं।

(iii) तेउवि बोर्ड द्वारा आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी में अपनी दो योजनाआओं क्रमशः"तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

11. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरण का जहां लागू हो अनुपालन किया है।

12. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

13. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के ऑकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

(टी.एस. बालासुब्रामणियन)
वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0अधिकारी

(अरूण कुमार)
सचिव

दिनांक : 19 जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-I
(सन्दर्भ : अनुसूची 25 नोट सं 5(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	अनूसूची	2010-11	2009-10
आय			
ब्याज आय	17	67458	71042
निवेश से आय	15	0	0
इक्विटी की बिक्री से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	3252	2197
योग		**70710**	**73239**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	22263	22604
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	317	358
प्रशासनिक खर्चे	21	379	90
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास	8	10	6
फ्रिंज बेनेफिट कर		0	0
योग		**22969**	**23058**
वर्ष के लिए लाभ		**47741**	**50181**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**47741**	**50181**
घटाएं – कर के लिए प्रावधान		**14758**	**15460**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**32983**	**34721**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

(टी एस बालासुबामण्यिन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

(अरूण कुमार)
सचिव

दिनांक: 19 जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-**II**
(सन्दर्भ : अनुसूची **11** बी)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2011 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(राशि लाख रूपये में**)**

क्रम. सं	कम्पनी का नाम	**01.04.2010** को आंरभिक शेष	वर्ष 2010–11 के दौरान संवितरित ऋण	तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान वापस किए	**31.03.2011** को अंतिम शेष
1	ओ आई एल	3750	0	1625	2125
2	गेल	50038	48400	3438	95000
3	आईओसीएल/बीआरपीएल	604922	10500	102937	512485
4	बीपीसीएल/केआरएल	92137	7700	12662	87175
5	एचपीसीएल	54800	30000	9625	75175
6	सीपीसीएल	71709	0	10321	61388
7	एनआरएल	3989	6500	798	9691
8	बी सी पी एल	0	28300	0	28300
9	डीएनपी लि.	8100	0	1125	6975
10	बीको लॉरी लि.	3276	0	0	3276
11	बीएल की बीएलएफसी	387	0	387	0
12	गेल गैस लिमिटेड	0	7441	0	7441
	कुल	**893108**	**138841**	**142918**	**889031**

अनुलग्नक : **111** (ए)
सन्दर्भ : अनुसूची **22**

वर्ष 2010–11 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(राशि लाख रूपये में**)**

क्रम. सं		संस्थान का नाम	2010-11	2009-10
	क	नियमित अनुदानी संस्थान		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	5135	5867
2		पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	1858	6070
3		उच्च प्रोद्यिगिकी संस्थान	1198	718
4		पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	1095	965
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	820	640
		योग (क)	**10106**	**14260**
	ख	अनुसंधान एवं विकास अनुदान		
6		तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	29	144
7		आयॅल इंडिया लिमिटेड	0	0
8		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	180	0
9		राष्ट्रीय भूभैतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	305	0
10		भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	56	10
11		डेल्टा स्टडीज संस्थान, आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0	0
12		राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम विभाग	0	0
13		एन ई आई एस टी (आरआरएल), जोहराट	11	5
14		भारतीदासन विश्वविद्यालय	50	50
15		केन्द्रीय प्लास्टिक अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	275	0
16		इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	277	100
		योग (ख)	**1183**	**309**
		योग (क+ख)	**11289**	**14569**

अनुलग्नक :
111 (बी)
सन्दर्भ : अनुसूची **22**

भारत सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2010–11 के दौरान व्यय

(राशि लाख रूपये में**)**

क्रम. सं	संस्थान का नाम	**2010-11**	**2009-10**
1	राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम	1000	0
2	जन केरोसिन परियोजना	0	68
3	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	75	345
4	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	293	100
5	टेरी द्वारा एसपीआर के लिए आर्थिक विश्लेष्ण	0	13
6	ईआईएल द्वारा पूर्व साध्यता अध्ययन	220	26
7	परियोजना व्यय (एसएस प्राकृतिक गैस)	0	42
	कुल योग (सी)	**1588**	**594**

अध्याय - VI

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट

तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का लेखा प्रमाणपत्र।

हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2011 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) के साथ पढ़ा गया। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लागू नियम तथा लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धांतों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

2. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) हमारी राय में जैसाकि हमारे प्रशिक्षणों में लगा कि निम्नलिखित को छोड़कर लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
तुलनपत्र **निवेश (अनुसूची 10) अन्य : – 358 करोड़** **चालू परिसम्पत्ति ऋण एवं अग्रिम –** **: 102,34.50 करोड़** **(क)** इसमें बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी शेयर के रूप में निवेशित रूपये 17.58 करोड शामिल हैं। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है एवं कंपनी का कुल संचित हानि	

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
31.3.2010 को 44.86 करोड रूपये थी जो कि बीएलएल की पूंजीगत निधि तथा रिजर्व निधि से ज्यादा हो गयी थी जिससे कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया।	बीएलएल के पुर्नस्थान के संबंध में इकोनोमिक अफेयर पर केबिनेट कमेटी के फैसले को मई 2011 में तेउविबो को बताया गया था। बीएलएल द्वारा अनुपालन के लिए कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक बीएलएल के शेयर धारकों द्वारा बकाया राशि 32.36 करोड़ के ऋण को ही इक्विटी में बदलने के लिए सहमति प्रदान की है। आगे, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत बीएलएल की इक्विटी पूंजी को 74.76 करोड़ रूपये से रू0.59.60 करोड़ रूपये संचित ह्रास को समाप्त करते हुए घटा कर 15.16 करोड़ रूपये करने का कार्यान्वयन बाकी है। तेउविबो के बीएलएल में निवेश का सटिक मूल्य हास का वर्तमान में अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है तथा कंपनी की संचित हानि 59.60 करोड़ रूपये से कम है।
(ख) भारत सरकार ने (मई 2011) में निम्न निर्णय लिए कि: (i) 32.76 करोड़ रूपये के तेउविबो द्वारा बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए ऋण को इक्विटी में बदल दिया जिसमें उसकी शेयर पूंजी 42.00 करोड़ रूपये से 74.76 करोड़ रूपये हो गई और तब (ii) बीको लॉरी लिमिटेड की इक्विटी पूंजी को 74.76 करोड़ रूपये में से संकलित ह्रास 59.60 करोड़ रूपये को बट्टे खाते में डालते हुए 15.16 करोड़ कर दिया।	
जैसाकि लेखा मानक 13 के अनुसार खातों में 17.58 करोड़ रूपये के निवेश का मूल्य ह्रास करने का प्रावधान अस्थाई न होने के कारण अतिरिक्त रूप से किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार बीएलएल से न वसूल किए जाने वाले 32.76 करोड़ रूपये के ऋण तथा अग्रिम पर तेउविबो द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए थी ताकि उचित प्रावधान किए जा सकें।	
हालांकि जैसाकि लेखा परीक्षा के दौरान अनुमान लगाया गया है कि निवेश में मूल्य ह्रास तथा वसूल न किए जाने वाले ऋण क्रमशः 14.02 करोड़ रूपये तथा 26.12 करोड़ रूपये होंगे।	मूल्य ह्रास का वर्तमान में सटिक अनुमान लगाना मुश्किल है अतः अनुसूची 26 के नोट 4 में इसे समुचित रूप में दर्शाया गया है।
आकस्मिक देयताएं **अनुसूची 26 (क) विविध पार्टीयों के दावे : 6.94 करोड़ रूपये**	तेउविबो की देयता, कार्य आदेश के मूल्य तथा ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य तक ही सीमित हैं। वर्तमान मामले में

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
तेउविबो ने आर्बिट्रेटर के पास 1.8 करोड़ रूपये के लम्बित दावों में से आकस्मिक देयताओं में केवल 0.51 करोड़ का प्रावधान रखा है जिसके कारण आकस्मिक देयताओं में 1.29 करोड़ रूपये की कमी आई।	आकस्मिक देयता किए गए कार्य का मूल्य व भुगतान तथा कान्ट्रेक्चुअल प्रावधान के अनुसार लगाए गए जुमाने के बाद ही निश्चित होगी। आबरिट्रैट के सम्मुख ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 1.80 करोड़ के दावे के प्रत्युत्तर में तेउविबो ने 3.80 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया है। जिस पर निर्णय किया जाना लंबित है।

(iii) पिछले अनुच्छेद में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा इस रिपोर्ट के साथ ठीक तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(iv) इस रिपोर्ट में लगे अनुलग्नक में बताए महत्वपूर्ण अनुबंध मामलों की ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया है।

(v) हमारे विचार व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं व उनपर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ii) में महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष विचार प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक कि इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2010 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र मामले में हैं।

(ख) जहां तक कि इसका संबंध उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों से है, व्यय से अधिक आय को कापर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह0/–
(अर्चना पी. शिरश्षट),
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा–परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड–II मुम्बई

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 21 नवम्बर, 2011

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तेउविबो (तेउविबो) की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर्ड एकांउटेंटस फर्मो द्वारा कराई गई। हालांकि, आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियत्रंण की पर्याप्ता और प्रभावशीलता पर कोई औपचारिक आश्वासन शामिल नहीं है।	भविष्य के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग नोट कर ली गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग में आगे से पर्याप्त व प्रभावशीलता पर आश्वासन लिया जाएगा।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क) तेउविबो द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जिसमें किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के संबंध में उसे और बेहतर करने तथा अनुदानी संगठनों द्वारा बनाई गई विद्यमान परिसंपत्तियों जिनके लिए तेउविबो द्वारा अनुदान जारी किया गया है, को और मजबूत बनाना है। ख) तेउविबो को सामान्य वित्त नियमों के नियम 212 के सन्दर्भ में संस्थानों/एजेंसियों जिन्होंने तेउविबो से अनुदान प्राप्त किया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्धि–सह– निष्पादन रिपोर्ट नहीं दी है, के लिए अपने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रणाली में तथा शेष धन की वापसी यदि कोई हो तो उसे सुनिश्चित करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है।	अनुदानी संस्थानों द्वारा बनाई गई संपत्तियों की सूची के संकलन के लिए तेउविबो द्वारा संबंधित संस्थानों के सहयोग से आवश्यक कदम उठाया जाएगा। भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
3. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार बोर्ड, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी है, के लिए सहायता प्रदान कर सकता है।	वास्तविक

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
हालांकि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि :	
(i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों को अपने नियमित खर्चों के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान तेउविबो द्वारा संवितरित अनुदान तेउविबो द्वारा जारी कुल अनुदान का 94 प्रतिशत था। अन्य संस्थानों को इसी अवधि में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए जारी अनुदान 6 प्रतिशत था।	तेउविबो, नियमित अनुदानी संस्थान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ भी करती हैं। तेउविबो द्वारा जारी अनुदान का उपयोग इन संस्थानों द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के अतिरिक्त इन संगठनों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के लिए भी किया जाता है।
(ii) इन संगठनों के आवती अनुदान उपलब्ध कराने की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था, जैसाकि– हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय तथा पेट्रोलियम योजना एवं आकलन प्रकोष्ठ को उनके नियमित खर्चे करने के लिए आवर्ती आधार पर, अनुदान देता है जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय बजटीय नियंत्रण में अपारदर्शिता तथा विमुखता आती है और वहीं उन्हें सरकारी लेखा परीक्षा के दायरे से भी बाहर रखती है। इसके अतिरिक्त तेउविबो निधियों से दो निदेशालय अर्थात डीजीएच तथा ओआईएसडी को अनुदान देना एक असामान्य प्रक्रिया है जिसे तत्काल मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहिए।	तेउवि अधिनियम 1974 की धारा 22 तथा 24 के अनुसार तेउविबो द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् नियमित अनुदानी संस्थानों को अनुदान जारी किया जाता है। कोई टिप्पणी नहीं दो निदेशालय को तेउविबो द्वारा दी जाने वाली निधियों पर की गई टिप्पणी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में आवश्यक दिशानिर्देश के लिए भेजा जाएगा।
4. तेउविबो के वित्तीय हितों को तेउवि अधिनियम 1974 की धारा 7(2) के अन्तर्गत संरक्षित नहीं किया गया। जैसे : (i) एक कंपनी अर्थात बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को ऋण दिया गया जबकि उस पर लम्बे समय से ऋण देय था तथा उससे वसूली की संभावनाएं धूमिल हैं तथा :	

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
(ii) बीएलएल के नकारात्मक निवल मूल्य के बावजूद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मई 2011) में निर्णय लिया कि :– (क) तेउविबो द्वारा बीएलएल को दिए गए 32.76 करोड़ रूपये के मौजूदा ऋण को बाद में इक्विटी में बदल कर उसकी इक्विटी को 42 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 74.76 करोड़ करना तथा (ख) इसके बाद बीएलएल के घाटे को कम करने के लिए उसकी इक्विटी को घटाकर 15.16 करोड़ रूपये करना।	तेउविबो अधिनियम 1974 की धारा 22 के अनुसार बोर्ड को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना है। तत्काल मामलों में केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का लेनदेन के मामलों में तेउविबो द्वारा अनुपालन किया जाता है।
5. भारत सरकार द्वारा तेउविबो अधिनियम 1974 के अन्तर्गत एकत्र की गई उत्पाद कर वसूली से तेउविबो को निधियों का आबंटन न किया जाना। तेउविबो की स्थापना तेल उद्योगों के विकास हेतु की गई। केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल पर उपकर और उससे संबंधित मामले में उगाही कर उन्हें एकत्रित करना तेउवि अधिनियम 1974 की धारा 15 के अन्तर्गत किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि को विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबन्धित करे तो संग्रहण के खर्चो की कटौती के पश्चात् बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से, तेउवि अधिनियम 1974 के प्रयोजनों के लिए अनन्यतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो वह ठीक समझे। हांलाकि लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि समय–समय पर केन्द्र सरकार उत्पाद कर पर दरें	मार्च 2011 तक कुल एकत्रित उपकर रूपये 95320.30 करोड़ है।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
बढाती रही है तथा अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद कर के रूप में 31 मार्च 2011 तक 95,371.37 करोड़ की पर्याप्त राशि के रूप में एकत्रित कर चुकी है। परन्तु सरकार द्वारा तेउविबो को 1991–92 तक केवल 902.40 करोड़ (जोकि कुल एकत्रित राशि का मात्र 0.94 प्रतिशत है) दिया है तथा उसके बाद से तेउविबो को कोई निधियां नहीं दी। तेउविबो की स्थापना के उद्देश्य तथा तेउवि अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पाद कर पर की गई उगाही के अनुरूप नहीं है।	वास्तविक तेउवि अधिनियम, तेल उद्योगों के विकास के लिए निधि को उपलब्ध करता है। सरकार चाहे तो तेल उद्योगों का विकास स्वयं कर सकती है या तेउविबो के माध्यम से करवा सकती है।
6. **अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन** पुस्तकों (अंचल संपत्ति रजिस्टर) के सन्दर्भ में वास्तविक सत्यापन आयोजित किया जाता है, हांलाकि वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई।	वास्तविक स्थिति, लेकिन भविष्य में रिकोर्डों के उद्देश्य से नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
7. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
8. **सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता** तेउविबो ऋण तथा अनुदान के कार्य करता है और जिसके लिए उससे संबंधित साफ्टवेयर स्थापित किए गए हैं।	भविष्य में तेउविबो की गतिविधियों के लिए जिसमें सभी क्षेत्र समाहित होंगे एक नया अनुकूल उपयोगी साफ्टवेयर प्रणाली लगाने की संभावना है।

अध्याय - VII

इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजंर्वस लिमिटेड

(ते.उ.वि.बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व आधीन)

क) बोर्ड के निदेशक

ख) निदेशक रिपोर्ट

ग) लेखापरीक्षक रिपोर्ट

च) भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियाँ

छ) वार्षिक लेखे

बोर्ड के निदेशक

श्री जी सी चतुर्वेदी	अध्यक्ष	(11 मई 2011 से आगे)
श्री एस सुन्दरेशन	अध्यक्ष	(02 मई 2011 तक)
श्री सुधीर भार्गव	निदेशक	(19 मई 2010 से आगे)
श्री अरुण कुमार	प्रभारी-निदेशक	
श्री एल एन गुप्ता	निदेशक	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव

श्रीमती सुधा वेंकट वरदन

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी,
चार्टेड एकांउटेन्टस
फ्लेट नं. 303, डीडीए एचआईजी मल्टी स्टोरी, ब्लाक 1, रानी झाँसी काम्प्लेक्स
देश बंधु गुप्ता रोड़, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110 055

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा,
विजया बिल्डिंग, 17 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली 110 001

कार्पोरेशन बैंक
एम-41 कनॉट सर्कस
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली-110 001

प्रशासनिक कार्यालय

ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर - 73, नोएडा- 201301, उ.प्र.
फोन : 91-120-2594641, फैक्स : 91-120-2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई-मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय :
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्-530 005
फोन : 0891-2574059, फैक्स : 0891-2573503

मैंगलोर परियोजना कार्यालय :
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मैंगलोर–574 509
फोन : 0824-3006100, फैक्स : 0824-3006111

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी-574 106, कर्नाटक
फोन : 0820-2576683, फैक्स : 0820-2576629

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

बोर्ड के निदेशकों की ओर से, मैं कंपनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखा–विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कंपनी :– एक परिदृश्य

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल) दिनांक 16 जून, 2004 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में निगमित हुई। कंपनियों के रजिस्ट्रार से कार्य आरंभ करने का प्रमाण–पत्र दिनांक 17.03.2006 को प्राप्त हुआ। कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई 2006 को अधिगृहित कर ली गई है। दिनांक 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी तथा निर्गमित /अभिदत्त / प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2,397 करोड़ और 961.99 करोड़ रुपये है (442.74 करोड़ रुपये प्रलंबित आबंटन समाविष्ट है)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के भंडार का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना तथा कच्चे तेल की रिलीज एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवाल, गोदाममालिक, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयारी, और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।

कार्य–निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी को 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल क्षमता वाले भंडार स्थापित करने का आदेश हुआ है। कार्यनीतिक आरक्षितियों के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विशाखपट्टनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत लगभग 2763 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें जून 2011 में अनुमोदित 1038 करोड़ रुपये विशाखापट्टनम परियोजना की संशोधित लागत एवं सितंबर 2005 के मूल्यों पर मैंगलोर व पादुर परियोजना लागतें भी शामिल हैं। मैंगलोर व पादुर की परियोजना लागतें संशोधनाधीन हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) संपूर्ण निर्माण लागत के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा। इन निमार्ण लागतों में कच्चे तेल की कीमत शामिल नहीं है जो संबंधित कैवर्न के भरे जाने के लिए तैयार होने पर सरकार द्वारा तय किए गए वित्तीय पैटर्न पर प्रचलित बाजार दरों पर जुटाया जाएगा।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अनेक कदम उठाए हैं और 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि की परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति निम्न प्रकार है:–

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक 68 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार से इसका अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है ।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शटन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक 18.74 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। भूतल से ऊपर की भूमि संबंधी कार्य दिनांक 30.11.2009 को मैसर्ज आईओटीआईईएसएल को दिया गया था। दिनांक 31.03.2011 को कच्चे तेल की क्रूड सबमर्सिबिल पंपों एवं सीपेज वाटर पंपों आदि जैसे प्रमुख संवेदनशील मदों की खरीदी के लिए आदेश दे दिया गया है। साईट पर सामग्री पहुंचना आरंभ हो गई है तथा स्थल ग्रेडिंग काम प्रगति पर है। दिनांक 31.03.2011 को परियोजना की कुल प्रगति 74.1 प्रतिशत है। परियोजना के यांत्रिक (मैकेनिकल) कार्य को पूरा करने की अनुसूचित तिथि अक्टूबर, 2011 है और कमीशन करने की तिथि अप्रैल 2012 है। परंतु, कैवर्न ए में वेज फेलयुअर की घटना होने से कार्य पूरा करने के निर्धारित समय पर प्रभाव पड़ा है। मरम्मत/एवं पूर्व अवस्था में लाने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

2. मैंगलोर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। मैंगलोर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 100 एकड़ भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहित कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली गई है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्ति कर ली गई है ।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्ज एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटीजेवी) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक कुल 22.65 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई कार्य में से कुल 3.04 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया है जो कुल 8.6 किलो मीटर सुरंग कार्य में से 3.9 किलो मीटर सुरंग कार्य के अनुरूप है। नियोजित 232.4 मीटर में से कुल 45 मीटर शाफ्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि के ऊपर के कार्य के लिए, 4 निविदाकारों को तकनीकी वाणिज्यिक (टेक्नो कमर्शियल) आधार पर स्वीकार्य पाया गया और उनकी प्राइज्ड बिड 3 फरवरी, 2011 को खोली गईं। चूंकि मूल्यांकन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक भारतीय निविदाकार ने दो मुद्राओं में अपनी दरें दर्शाई थीं, इसलिए 31.03.2011 तक टेंडर को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका। यांत्रिक कार्य का समापन

भूमि के ऊपरी कार्य के लिए अवार्ड देने पर निर्भर करेगा। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 33.6 प्रतिशत रही है ।

MSEZ के भीतर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (**FTWZ**) के सह–विकासक के रुप में मैंगलोर परियोजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन 12 अगस्त, 2010 को प्राप्त हुआ।

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियक्त किया गया है। अक्टूबर 2008 में कर्नाटक सरकार पादुर/हेरुरु ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर चुकी है। पादुर में लगभग 182 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) के माध्यंम से किया जा रहा है जिसमें से 101.815 एकड़ भूमि का कब्जा मई 2010 में कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था ।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया है । भाग ए का कार्य मैसर्ज एचसीसी को 374. 66 करोड़ रुपये में तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को 375.92 करोड़ रुपये में दिनांक 29.12.2009 को 36 माह की अवधि में पूरा करने के लिए सौंपा गया। चूंकि, 29 मई, 2010 को केआईएडीबी द्वारा जमीन आईएसपीआरएल को सौंपी गई और इसलिए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29 मई, 2010 मान ली गई। ईआईएल द्वारा भूमि के ऊपरी कार्य के टेंडर को अंतिम रुप दिया गया और कार्यआदेश शीघ्र ही प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर हैं। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 26 प्रतिशत रही है ।

मैंगलोर–पादुर पाइपलाइन के लिए प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, डीसी, मैंगलोर तथा डीसी, उडुप्पी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (**SLAO**), कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया है। आरओयू अर्जन का काम केआईएडीबी के द्वारा किया जा रहा है और जनवरी 2011 में 3(1) अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्येक भूस्वामी को सूचना भेज दी गई है ।

दिनांक 31.03.2011 और निदेशक रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:–

(i) मैंगलोर भूमि के ऊपरी कार्य के लिए कुल 329.979 करोड़ रूपये की लागत पर प्रतिवर्ती नीलामी प्रक्रिया के बाद मैसर्ज पुंज लॉयड को आदेश दिया गया। (आदेश जुलाई 2011 में दिया गया)

(ii) फेस II में 4 लोकेशनों अर्थात पादुर, राजकोट, चंडीखोल और बीकानेर में 12.5 एमएमटी क्षमता के भंडारण के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 करोड़ रूपये की लागत का आदेश ईआईएल का दिया गया। (आदेश जुलाई 2011 में दिया गया)

(iii) अगस्त 2010 में मैंगलोर में निःशुल्क् व्यापार वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्यूजैड) के सह–विकास बनने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन लेने के बाद एसईजैड अनुमोदन बोर्ड ने 19.09.2011 को हुई अपनी 48 वीं बैठक में मैंगलोर परियोजना के लिए प्राधिकृत प्रचालन को अनुमोदित

किया और अब परियोजना एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहनों के दावे करने का हकदार है ।

(iv) जुलाई 2011 में पादुर परियोजना को एफटीडब्यूजैड के रुप में घोषित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। एसईजैड अनुमोदन बोर्ड ने 19.09.2011 को आयोजित अपनी 48 वीं बैठक में एफटीडब्यूजैड के रुप में पादुर परियोजना को भी अनुमोदित किया। एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन एफटीडब्यूजैड के पात्र होने के नाते पादुर परियोजना के लिए राजकोषीय लाभों का लाभ उठाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं पर कार्य किया जा रहा है ।

(v) जुलाई 2011 में पादुर में 42 एकड़ अतिरिक्ति भूमि के अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई।

(vi) पादुर में भूमि के ऊपरी कार्य को प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ती नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) दिनांक 29.11.2011 को की गई और मैसर्ज लिंडे इंजिनियरिंग इंडिया प्रा. लि. को 354.25 करोड़ रुपये की बोली मूल्य पर एल 1 बोली लगाने वाले के रुप में पाया गया ।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	रूपये (लाखों में)		तुलन–पत्र के संदर्भ में
(क)	1 अप्रैल, 2010 को प्रचालन–पूर्व व्यय का आरंभिक शेष		48115.28	**अनुसूची 3** –31.3.2010 को अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन–पूर्व व्यय		42294.32	**अनुसूची 3** 31.3.2011 को व्यय के अंतिम शेष तथा 1.4.2010 को व्यय के आरंभिक शेष के बीच का अंतर
(ग)	**स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि**			**अनुसूची 2** – "वर्ष के दौरान हुई वृद्धि" कॉलम से
	स्थायी परिसंपत्ति–भूमि	2138.11		
	अन्य स्थायी परिसंपत्ति	3.59		
	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		2141.70	
(घ)	वर्ष के दौरान विविध व्यय (हटाए न जाने तक)	-	-	तुलन पत्र का संकेत संख्या ख (3)
(ड0)	लाभ एवं हानि लेखा		920.25	
(च)	**निवल चालू परिसंपत्तियॉ**			
	(1) चालू परिसंपत्तियॉ, ऋण तथा अग्रिम	6200.01		**अनुसूची 4**

	(2) चालू देयताएं तथा प्रावधान	9911.18		अनुसूची 5 चालू देयताओं के लिए तथा मुख्य तुलन–पत्र के संकेत संख्या ख (2) के प्रावधानों के लिए
	निवल चालू परिसंपत्तियॉ (i-ii)		-3711.17	
	कुल व्यय(क+ख+ग+घ+ड0+च)		89760.38	

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पात्र इनपुटों पर दिए गए करों पर आईएसपीआरएल भविष्य में देय करों के प्रति सेनवेट (CENVAT) क्रेडिट प्राप्त करने का पात्र है। मैंगलोर और पादुर परियोजनाओं के इनपुट पर भी भुगतान किए गए कर एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन रिफंड के लिए पात्र होंगे। तदनुसार, 4694 लाख रुपये का सेनवेट क्रेडिट (31 मार्च 2010 तक 2499 लाख रुपये सहित) 2010–11 के दौरान संचित किया गया है जिसका उपयोग भविष्य की कर देयताओं की प्रतिपूर्ति / रिफंड के लिए एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन किया जाएगा।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की रिपोर्ट दी है, जो इसके साथ संलग्न है।

सी एंड ए जी ने, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 2 टिप्पणियां दी हैं। प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ सी एंड ए जी की टिप्पणियों को यहां संलग्न किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व्यय पर कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 217 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वास्तविक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः ऊर्जा शक्ति, ईंधन खपत तथा उत्पादन पर प्रति यूनिट खपत से संबंधित सूचना शून्य है। समीक्षा के अधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन/ व्यय नहीं हुआ।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) तथा उसके अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों की विवरण संबंधी सूचना शून्य है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो।

3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए थे।

निदेशक मंडल

वर्तमान में आई एस आर पी एल बोर्ड में चार–अंश कालिक गैर–कार्यकारी निदेशक (पदेन) हैं जो इस प्रकार हैं:–

1. **श्री जी सी चतुर्वेदी**, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
2. श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक
3. श्री अरूण कुमार, सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड – प्रभारी निदेशक
4 श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

1 अप्रैल 2010 से कंपनी के निदेशकों में बदलाव निम्नानुसार है।

1. श्री एस.सुंदरेशन, अध्यक्ष–(02.05.2011 तक)
2. श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष–(11.05.2011 से)
2. श्री सुधीर भार्गव, निदेशक–(19.05.2010 से)

निदेशक मंडल, श्री एस सुन्दरेशन के द्वारा अपनी पदावधि के दौरान बोर्ड में दी गईं मूल्यवान सेवाओं की निष्ठावान सराहना करता है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0

(अरूण कुमार)

प्रभारी निदेशक

दिनांक : 25.10.2011

स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के शेयरधारकों को

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखा परीक्षण किया।

कंपनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा कार्य अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

भारत में प्रचलित मान्य लेखा मानकों के आधार पर हमने लेखा परीक्षा की। इन मानकों के द्वारा यह अपेक्षित है कि लेखा परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस तरह से करें ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि वित्तीय ब्यौरे आर्थिक त्रुटि रहित है। लेखापरीक्षा का तात्पर्य जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में प्रभारित राशि तथा इसके खुलासे के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रमाण की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त विचार का उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं :

1 जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के सन्दर्भ में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 4 व 5 के उल्लिखित विषयों पर अपना वक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं।

2 उपरोक्त अनुलग्नक में दिए गए अपने वक्तव्यों के सन्दर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) हम वे सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी ।

(ii) जैसा कि इन पुस्तिकाओं की जॉच से हमें प्रतीत हुआ, हमारे मत में कानून की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी की लेखा–पुस्तिकाएं रखी गई हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए जिन शाखाओं में हम नहीं जा पाए उन शाखओं से उचित व पर्याप्त विवरण प्राप्त कर लिया गया है।

(iii) इस रिपोर्ट में प्रदत्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे तथा नकद प्रवाह विवरणी का विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

(iv) हमारे विचार से इस रिपोर्ट में प्रदत्त कंपनी के तुलन पत्र का विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लेखित मान्य लेखा नीतियों के अनुरूप है ***सिर्फ लेखा मानक – 15 द्वारा अपेक्षित सेवा निवृति हितलाभ के अप्रावधान, जिसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है, को छोड़कर क्योकिं वर्तमान में कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों (अनुसूचि 7 के संदर्भ सं 12) द्वारा संचालित की जा रही है।***

(v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना नं0–जीएसआर 829 (ड॰) दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) के तहत ''प्रकटन'' की आवश्यकता नहीं है ।

(vi) हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये लेखे लेखा सिद्धातों तथा टिप्पाणियों के अनुसार हैं तथा ***अग्रणी परामर्शदाता की राय के आधार पर वर्ष के दौरान 4694 लाख रुपये (मार्च 2010 तक 2499 लाख रुपये सहित) की सेनवेट क्रेडिट की पात्रता के संबंध में अनुसूची 7 की नोट संख्या 9 के अधीन है, हालांकि कंपनी जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकारियों के यहां रजिस्टर्ड थी*** को छोडकर कंपनी अधिनियम 1956 की अनिवार्यताओं के अनुसार जानकारियां देते हैं तथा ये भारत में स्वीकृत सामान्यतः लेखा नीतियों के अनुसार सही स्थिति और समुचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलन पत्र में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में कंपनी के कार्यकलापों का विवरण।

ख) लाभ हानि लेखों में उस तिथि पर समाप्त वर्ष पर हुई हानि का विवरण।

ग) नकद प्रवाह विवरणी में उस तिथि पर समाप्त वर्ष में नकद प्रवाह का विवरण।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–87370

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13/9/2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के सन्दर्भ में अनुलग्नक

(31 मार्च 2011 वर्ष के लिए समाप्त इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी सम तिथि की रिपोर्ट का पैरा 1 देखें)

1 (क) कंपनी ने अपनी स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रस्थिति तथा संख्यात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते अभिलेखों को सही ढंग से रखा हुआ है।

(ख) जैसा हमें बताया गया है कि वित्त वर्ष के अंत में स्थाई परिसम्पत्तियां प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांची गई हैं, हमारे विचार में कंपनी के आकार तथा स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) हमारे विचार में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसम्पत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है ।

2 (क) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

(ख) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद (iii)(b),(iii)(c),(iii)(d),(iii)(e),(iii)(f) तथा (iii)(g) लागू नहीं हैं।

3 हमारे विचार में तथा हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरे किए गए कंपनी के लेखा–जोखा के हमारे परीक्षण के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में निरंतर मिल रही किसी भी असफलता का ना तो हमें संयोगवश पता लगा, ना ही हमें सूचित किया गया।

4 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार ऐसा कोई लेन–देन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के संदर्भ में बनाए गए रजिस्टर में दर्शाने की आवश्यकता हो।

5 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58क तथा 58कक या कोई अन्य संबंधित प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी ने सामान्य जनता से कोई जमा (डिपोजिट) नहीं लिया है ।

6 हमारी राय में, कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली है जिसे इसके आकार एवं इसके व्यापार की प्रक्रति के अनुरुप बनाने हेतु उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ।

7 (क) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार, हमारे विचार में, कंपनी भारत के उपयुक्त प्राधिकरणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी देय राशि, आयकर सहित कानूनी देय राशि जमा कराने में नियमित है। हालंकि स्रोत पर कर कटौती रूपये राशि 0.08 लाख निर्विवाद रूप से कानूनी देय है, जो कि पिछले 6 महीनों से बकाया है। यह वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन देय होगी।

(ख) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार कंपनी में बिक्रीकर, आयकर, धन कर, सेवा कर तथा उपकर की कोई देय राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के तहत जमा नहीं करवाया गया।

8 हमारे विचार में 31 मार्च 2011 को कंपनी की संचित हानि निवल मूल्य (नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत से कम है। कंपनी द्वारा उस तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एवं तत्काल पूववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि उठाई है।

9 कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी तरह का ऋण नहीं लिया है तथा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किये गये हैं।

10 अभिलेखों की हमारी जाँच तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों, तथा अन्य सुरक्षाओं को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर किसी तरह का ऋण तथा/या अग्रिम राशि नही दी है।

11 हमारे विचार में कम्पनी शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नही कर रही है।

12 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों के अलावा किसी अन्य द्वारा लिए ऋणों की गारंटी नहीं दी है।

13 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

14 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र के एक संपूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि में जुटाई गई रकम का प्रयोग दीर्धावधि निवेशों के लिए नहीं किया गया है।

15 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार बनाए हुए रजिस्टर में शामिल पार्टियों या कंपनियों के शेयर का, प्राथमिकता के आधार पर, कंपनी द्वारा आंबटन नही किया गया है। कंपनी, तेल उद्योग विकास बोर्ड की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है ।

16 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया।

17 वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इशू द्वारा कोई रकम नहीं जुटाई है।

18 वर्ष के दौरान, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धातों के अनुसार पूरे किए गए लेखा खातों तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, हमारे सामने न ही कंपनी के विरूद्व धोखाधड़ी की कोई घटना आई न ही कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई सूचना या खबर मिली, न ही हमें प्रबंधन की ओर से इस तरह की सूचना दी गई है।

19 कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) के खंड 4(ii)(a),(ii)(b),(ii)(c),4(viii) तथा 4(xiii) या तो लागू नहीं हैं या लेनदेन शून्य है, क्योंकि ऐसी कोई विस्तृत जानकारी/टिप्पणी सामने नहीं आई है।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–087370

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13/9/2011

वार्षिक लेखे

2010-2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	राशि रूपये में 31.03.2011	राशि रूपये में 31.03.2010
क. निधि स्रोत			
शेयर धारक निधि :			
– शेयर पूँजी :	1	9,619,975,833	5,196,434,004
कुल		**9,619,975,833**	**5,196,434,004**
ख. निधि के अनुप्रयोग			
1. स्थिर परिसंपतियाँ			
– सकलखंड	2	898,556,903	684,386,408
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		40,449,127	1,165,199
		858,107,776	**683,221,209**
– प्रगति में निमार्ण कार्य	3	9,040,959,867	4,811,527,820
		9,040,959,867	**4,811,527,820**
2. चालू परिसंपतियां, ऋण एवं पेशगियां	4		
– नकद एवं बैंक शेष		7,469,709	1,560,494
– ऋण एवं पेशगी		612,531,735	330,779,820
		620,001,444	**332,340,314**
घटाएं : चालू देयताएँ एवं प्रावधान			
– चालू देयताएँ	5	991,118,882	655,045,545
– करों के लिए प्रावधान		-	422,018
		991,118,882	**655,467,563**
शुद्ध चालू परिसंपति		**(371,117,439)**	**(323,127,249)**
3. लाभ तथा हानि लेखे			
– लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार		92,025,629	24,812,223
कुल		**9,619,975,833**	**5,196,434,004**
– महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6		
– लेखाओं पर टिप्पणी	7		

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(डी के अग्रवाल)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(एल एन गुप्ता)
निदेशक

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2011

31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाता

	राशि रूपयों में चालू वर्ष	राशि रूपयों में गत वर्ष
आय	-	-
कुल	-	-
व्यय		
सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	184,750	96,275
आंतरिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	75,000	-
कार्यालय व्यय	2,012,403	510,263
मूल्य ह्रास / परिशोधन	39,549,061	255,593
आरओसी खर्चे	3,000	6,000
संपत्तियों की बिक्री पर हानि	160,682	-
प्रारंभिक खर्चे	-	23,944,092
स्टॉम्प डयूटी	25,276,234	-
योग	**67,261,130**	**24,812,223**
वर्ष में हुई हानि	(67,261,130)	(24,812,223)
घटाएं : पूर्व अवधि करों के लिए समायोजन	47,724	0
पूर्व अवधि के करों के बाद की हानि	(67,213,406)	(24,812,223)
जमा : पूर्व वर्ष से लिया गया शेष	(24,812,223)	0
तुलन पत्र में स्थानान्तरित अवधि की निवल हानि	**(92,025,629)**	**(24,812,223)**
बुनियादी अर्जन (बेसिक अर्निंग) प्रति शेयर	(0.13)	(0.07)
मंद अर्जन (डाइलयूटिड अर्निंग) प्रति शेयर	(0.07)	(0.05)
महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6	
लेखों पर टिप्पणी	7	

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0 ह0 ह0

(सुधा वेंकट वरदन) **(डी के अग्रवाल)** **(राजन के. पिल्लई)**

कंपनी सचिव ह0 मुख्य वित्त अधिकारी ह0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(एल एन गुप्ता)
निदेशक

(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2011

दिनांक 31 मार्च 2011 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां		
विवरण	राशि रूपयों में **31.03.2011** को	राशि रूपयों में **31.03.2010** को
अनुसूची–1 **शेयर पूँजी** - प्राधिकृत पूँजी (2,397,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू.10/–रूपये) (पूर्व वर्ष 1,000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू.10/–रूपये)	23,970,000,000	10,000,000,000
- निगर्मित, अभिदत्त एवं प्रदत्त (519,254,076 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10/–) (पूर्व वर्ष 341,243,476 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10/–)	5,192,540,760	3,412,434,760
- शेयर अनुप्रयोग राशि (लम्बित आबंटन)	4,427,435,073	1,783,999,244
कुल	**9,619,975,833**	**5,196,434,004**
तेल उद्योग विकास बोर्ड और इसके नामित 100 प्रतिशत निगर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी धारण करते हैं ।		

अनुसूची-2

क्र.सं.	विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खंड (WDV)	
		01.04.10 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.11 को	01.04.10 को	वर्ष के दौरान	समायोजन	31.03.11 को	31.03.11 को	31.03.10 को
1	पट्टे पर भूमि (मैंगलोर)	413,105,000	-	-	413,105,000	-	17,518,883	-	17,518,883	395,586,117	413,105,000
2	पट्टे पर भूमि (विशाखापट्टनम)	269,005,498	-	-	269,005,498	-	9,963,167	-	9,963,167	259,042,331	269,005,498
3	पट्टे पर भूमि (पादुर)	-	213,811,500	-	213,811,500	-	11,775,133	-	11,775,133	202,036,367	-
4	कंप्यूटर	1,216,409	675,268	103,745	1,787,932	771,321	195,899	86,887	880,334	907,599	445,088
5	कार्यालयी उपकरण	581,458	153,050	22,200	712,308	171,166	72,212	3,879	239,499	472,809	410,292
6	फर्नीचर व फिक्सचर	414,988	-	343,378	71,610	204,258	17,563	174,367	47,454	24,156	210,730
7	पुस्तकें	24,359	-	-	24,359	6,388	2,500	-	8,888	15,471	17,971
8	डिप मीटर	38,696	-	-	38,696	12,066	3,704	-	15,770	22,926	26,630
	कुल	**684,386,408**	**214,639,818**	**469,323**	**898,556,903**	**1,165,199**	**39,549,061**	**265,133**	**40,449,127**	**858,107,776**	**683,221,209**
	पिछला वर्ष	**684,386,408**	**261,900**	**-**	**684,386,408**	**909,606**	**1,165,199**	**-**	**1,165,199**	**683,221,209**	**684,386,408**

अनुसूची–3	राशि रूपयों में **31.03.2011** को	राशि रूपयों में **31.03.2010** को
निमार्ण कार्य प्रगति में (अनअलोकेटिड पूंजीगत व्यय, स्थल पर सामग्री सहित)		
<u>विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना</u>		
भूमिगत सिविल कार्य	3,854,128,383	3,035,840,119
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	746,622,030	–
परियोजना प्रबंधन परामर्श	762,903,802	600,097,601
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	17,367,914	17,367,914
अन्य परियोजना व्यय	12,212,934	6,630,077
प्रधान कार्यालय व्यय	78,610,536	58,377,530
<u>पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना</u>		
भूमिगत सिविल कार्य	1,270,084,862	–
परियोजना प्रबंधन परामर्श	615,591,253	469,646,370
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	13,873,430	13,336,681
अन्य परियोजना व्यय	2,994,084	1,527,156
प्रधान कार्यालय व्यय	14,854,729	7,728,144
<u>मैंगलोर कैवर्न भंडारण परियोजना</u>		
भूमिगत सिविल कार्य	1,103,214,586	193,142,121
परियोजना प्रबंधन परामर्श	513,281,017	380,205,390
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	14,963,137	14,353,931
अन्य परियोजना व्यय	4,575,693	3,839,457
प्रधान कार्यालय व्यय	15,681,478	9,435,329
कुल	**9,040,959,867**	**4,811,527,820**

अनुसूची–4	राशि रूपयों में **31.03.2011** को	राशि रूपयों में **31.03.2010** को
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
नगद व बैंक बकाया		
– हस्तगत रोकड़ा	15,783	23,670
– अनुसूचित बैंक के पास बकाया (चालू खाते में)	7,453,926	1,536,824
	7,469,709	**1,560,494**
ऋण और अग्रिम (असुरक्षित मानी जाने वाले)		
भूमि के लिए अग्रिम (पादुर)	111,400,000	325,211,500
डीजल के लिये अग्रिम (पादुर परियोजना)	9,973,822	—
सुरक्षा जमा	10,397,644	2,047,820
सेवा कर सेनवेट क्रेडिट	469,460,689	—
अग्रिम झब्बे लाभ कर	—	408,380
अग्रिम आय कर	218,965	143,733
नगद में या वस्तु के रूप में वसूलीयोग्य अग्रिम	11,080,616	2,968,387
कुल	**612,531,735**	**330,779,820**

अनुसूची–5	राशि रूपयों में **31.03.2011** को	राशि रूपयों में **31.03.2010** को
वर्तमान देयताए तथा प्रावधान		
वर्तमान देयताएं		
वस्तुओं और खर्चों के लिए विविध लेनदार	739,702,922	526,868,267
सुरक्षा / बयाना राशि जमा	566,417	266,761
स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान	26,209,234	933,000
अन्य देयताएं	224,640,310	126,977,517
कुल	**991,118,882**	**655,045,545**

अनुसूची–6

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **(क) लेखाकरण का आधार**

वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3C) में निर्दिष्ट, भारत के सनदी लेखाकर संस्थान (Institute of Chartered Accountants) द्वारा निर्गमित लेखाकरण मानकों के अनुसार तथा लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के आदेशो का अनुपालन कर तैयार किया गया है ।

(ख) प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरुप तैयार किया गया है जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग को प्राकलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह प्रस्तुत वर्षों के राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों तथ वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करता है।

(ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ

स्थायी परिसंपत्तियॉ

सभी स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य, लागत में से संचित मूल्य–ह्रास को हटाकर बताए जाते हैं। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिष्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने तक का खर्च शामिल है ।

भूमि का स्थायी पटटे पर तथा साथ ही साथ 99 वर्षो के पट्टे पर अधिग्रहण पूर्ण स्वामित्व भूमि माना गया है । 99 वर्ष से कम की अवधि तक पटटे पर भूमि अधिग्रहण को पटट्राधृति भूमि माना गया है ।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ मानी जाती हैं यदि :

– यह संभावना हो कि भविष्य के आर्थिक हितलाभ, जो कि परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे।
– परिसंपत्तियों का लागत/उचित मूल्य विश्वसनीय रुप से आँका जा सके।

(घ) अवमूल्यन (मूल्य-ह्रास)

मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

भूमि की लागत पटटे की बाकी अवधि में परिशोधित की जाती है।

(ड०) राजस्व मान्यता ; निर्माण कार्य प्रगति तथा खर्चो का आंबटन एवं संविभाजन

(i) स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्वस् के लिए परियोजना कार्यान्वयनाधिन है और कम्पनी ने अभी व्यावसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है। कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त आस्तियों पर जारी लेखा मानक 26 के आधार पर लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार स्थाई आस्तियों, परियोजना पर आरोपित खर्चे लाभ तथा हानि लेखे में दर्शाये गए हैं।

(ii) परियोजना विकास, साध्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फीस, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, (भूमिगत/भूमि के ऊपर) सिविल ठेकेदारों को किए गए भुगतान, विज्ञापन खर्चे, बीमा किश्त, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई डीजल की कीमत आदि व्यय निमार्ण कार्य प्रगति खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

(iii) अप्रत्यक्ष / प्रासंगिक खर्चे (प्रधान कार्यालय के खर्चों सहित) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वहन किए गए प्रत्यक्ष खर्च के अनुपात में सभी तीनों परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में संविभाजित हैं ।

(च) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय

कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसा न हो की तुलना में इसकी अधिक संभावना हो कि ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विश्वसनीय रुप से ऑका जा सके। प्रावधानों के मूल्यों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती तथा वर्ष अंत में दायित्व की राशि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनका पुनर्वालोकन किया जाता है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्गत हुईं हैं तथा जिनके होने की पुष्टि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं बल्कि भविष्य की घटनाओं के घटित होने या ना होने के द्वारा की जाएगी। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है, जहॉ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहॉ दायित्वों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन ना किया जा सकता हो।

जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो तब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होने पर कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।

(छ) परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधक वर्ग समय समय पर बाह्य तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहाँ किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविष्य नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग तथा उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते है। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का,व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूलीयोग्य राशि के

निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि विपरीत रूप ले लेती है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव लागत, रखाव राशि को जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन घटाकर पार नही करती। जो कोई भी क्षतिगत हानि न होने पर, निवल तथा परिशोधन का निर्धारण करेगी।

(ज) पट्टे

प्रचालनात्मक पट्टे (ऑपरेटिंग लीज़)

पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्टे पर देने वाले के पास होती हैं, ऑपरेटिंग लीज मानी जाती हैं। ऑपरेटिगं लीज के खर्चे को कंप्युटिंग परिशोधन विधि के आधार पर निमार्ण कार्य में प्रगति शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है।

2. कर्मचारी हित लाभ

आज की तिथि में कम्पनी के वेतनपत्रक पर कोई कर्मचारी नही है। इसलिए "कर्मचारी हित लाभ" पर लेखाकरण मानक–15 के प्रावधान लागू नही होते ।

3. विदेशी मुद्रा व्यवहार

विदेशी मुद्रा में लेन–देन, लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए जातें हैं। विदेशी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया मुद्रा मद (Monetary Item), तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर, में अनुवादित किए जातें हैं। विदेशी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसम्पत्तियो से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से उद्गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित किया जाता है।

4. कराधान

आयकर में वर्तमान कर, आस्थगत कर और अनुषंगी हितलाभ कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं, विवकेशील विचार के अधीन अवधि अंतर के भविष्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर दर से आँकी जाती हैं। विवेकपूर्ण मूल्याँकन से कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।

5. प्रतिशेयर अर्जन

मूल अर्जन प्रति शेयर का परिकलन अवधि के दौरान इक्विटी शेयर बकाया का भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को आरोग्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि से भाग करके किया जाता है । तनूकृत अर्जन प्रति शेयर के परिकलन के उद्देश्य के लिए अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि तथा बकाया शेयरों के आरोप्य औसत संख्या सभी तनूकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभाव हेतु समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची–7

लेखाओं का टिप्पणी प्रपत्र भाग

1. पृष्ठभूमि

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड 16 जून 2004 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर, तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे।

सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार, कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के भंडार का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना तथा कच्चे तेल की रिलीज एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवाल, गोदाममालिक, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयारी, और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।

2. आकस्मिक देयता और वचनबद्धता

क. पूंजीगत वचनबद्धता

विवरण	31.3.2011 को (रूपये लाखों में)	31.3.2010 को (रूपये लाखों में)
संविदा की अनुमानित राशि, पूँजीगत लेखा (निवल पेशगी) पर निष्पादन के लिए शेष	1,52,679 (लगभग)*	1,89,900 (लगभग)*

* मुख्यतः परियोजना निष्पादन गतिविधियों के साथ निम्नलिखित के लिए कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य संविदाओं से उद्गत शेष प्रतिबद्धताएं समाविष्ट करता है :

- मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड परियोजना प्रबंधक परामर्श हेतु
- विशाखापटट्नम, मैंगलोर एवं पादुर परियोजनाओं में भूमिगत सिविल कार्य हेतु ठेकेदार
- विशाखापटट्नम में भू–उपरी प्रकियाओं के ठेकेदार
- डीजल आपूर्ति हेतु मै. एमआरपीएल और आईओसीएल (शेष मात्रा की आपूर्ति करने के लिए वर्तमान उत्पाद दर पर)
- विशाखापटट्नम भूमि, विकास आदि के लिए वार्षिक पट्टा किराया

ख. आकस्मिक देयता

विवरण	31.3.2011 को (रूपये लाखों में)	31.3.2010 को (रूपये लाखों में)
आकस्मिक देयता	8,137	7,000

- मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन संशोधित भूमि लागत
- मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन में दो लेन बाई पास रोड का मार्ग बदलना
- पादुर में 2.6 किलो मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सडक का निमार्ण
- हरित मैदान क्षेत्र का विकास

ग. जून, 2011 में, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने रुपये 67,183 लाख (सितंबर 2005 कीमतों पर) अनुमानित लागत के प्रति विशाखापट्टनम परियोजना के लिए रुपये 103800 लाख अनुमानित संशोधित लागत अनुमोदित की थी । लागत में संशोधन का कारण कीमतों में वृद्धि, विनिमय दर में भिन्नताएं, क्षमता में वृद्धि, स्थल की स्थितियों एवं तकनीकी सुधारों को ध्यान में रखकर किए गए परिवर्धन/विलोप, वैधानिक करों में वृद्धि, मालिकों की लागत आदि हैं लेकिन इसमें विशाखापटट्नम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की लागत शामिल नहीं है।

3. निर्माण की प्राक्कलित राशि

i. निर्माण की प्राक्कलित राशि का निर्धारण भूमिगत सिविल, भू–ऊपरी तथा पाईपलाईन संबंधी कार्यो के लिए हस्ताक्षरित संविदाओं के तहत परियोजनाओं के पूर्ण होने तक के प्रत्याशित खर्चे पर निर्भर है जिसमें भूमि, सामग्री सेवाऐं और अन्य संबंधित उपरिव्यय सम्मिलित हैं।

ii. तुलन पत्र की तारीख अर्थात 31 मार्च, 2011 को विशाखापट्टनम, मैंगलोर तथा पादुर परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं। तुलन पत्र की तारीख तक वहन किए गए प्रत्यक्ष खर्च और विनियोज्य लागत निर्माण कार्य प्रगति के अधीन दिखाई गई है । वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए खर्चे जो परियोजनाओं का आरोप्य नहीं है, उन्हें लाभ हानि खाते में डाल दिया गया है ।

4.

i. कर्नाटक सरकार के खानन एवं भू–विज्ञान विभाग ने कंपनी को पादुर एवं मैंगलोर परियोजनाओं के लिए नियमों के अनुसार विभाग को जागीदरादी शुल्क/स्वामित्व शुल्क के भुगतान करने के बाद उपयुक्त खरीदारों को उत्खनन पदार्थ बेचने की अनुमति दे दी थी। मैंगलोर एवं पादुर परियोजनाओं में उत्खनन के लिए कोई उत्खनन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। जागीरदारी शुल्क / स्वामित्व शुल्क का भुगतान खरीदारों द्वारा किया जाऐगा।

ii. कंपनी ने पादुर के उत्खनन पदार्थ के डिसपोजल संबंधी कार्य देने हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिए हैं। परन्तु मैंगलोर में बोली लगाने वाले एक व्यक्ति द्वारा रिट याचिका दायर करने पर माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के मैंगलोर स्थल से चट्टान के डिसपोसल के लिए मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन द्वारा उसे अनुमति दी गई है और उसके बाबत उसने स्थल के निकट एक क्रेशर इकाई की स्थापना की थी। कोर्ट के स्टे को खाली कराने के लिए कंपनी प्रक्रिया में है।

5. विशाखापट्टनम भूमिगत उत्खनन कार्य को अप्रेल 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन विभिन्न कारणों से इस लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः इसे पूरा करने का समय बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2011 कर दिया गया है। कैवर्न ए में 7 अप्रेल 2011 को हुए रॉक वेज फेलयोर के कारण जिसमें एक घातक दुर्घटना भी हुई विशाखापट्टनम कार्य में होने वाली प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। मरम्मत और बहाली का काम शुरु कर दिया गया है और नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर उपलब्ध है ।

6

i. भूमि की कीमत जिस पर सभी तीनों स्थलों पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं, पूंजीकृत किया गया है। परन्तु, पट्टा विलेखों को अभी कार्यान्वित किया जाना है। पट्टे की भूमि का पिछले वर्ष तक परिशोधन नहीं किया गया था। कंपनी ने फैसला लिया कि भूमि की कीमत का अमॉरटाईजेशन किया जाए और लाभ व हानि खाते में दिखाया जाये।

ii. विशाखापट्टनम में दिनांक 23.05.2011 के पत्र द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से प्राप्त् प्रतिबद्ध 38 एकड़ भूमि में से कंपनी ने लीज पर ली गई 1 एकड़ व्यर्थ भूमि वापिस की है। कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि वीपीटी ने स्वीकार कर ली है। तथपि, वीपीटी ने अभी तक कोई भी वापसी राशि नहीं दी है । राशि जिस वर्ष वीपीटी से वास्तव में प्राप्त होगी, उस वर्ष के लेखा पुस्तकों में इसे दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईओटीआईईएसएल ने अपने अस्थायी साईट कार्यालय की स्थापना के लिए आईएसपीआरएल के माध्यम से वीपीटी से 1.98 एकड़ भूमि प्राप्त की है जिसके लिये सुरक्षा जमा व अन्य खर्च IOTIESL ने वहन किये हैं।

iii. पादुर परियोजना के लिए कंपनी ने 140.65 एकड़ भूमि अर्जन के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के पास 3252.11 लाख रुपये जमा किए थे जिन्हें पूर्व वर्ष में अग्रिम के रुप में माना गया था। केआईएडीबी ने पहले ही 101.815 एकड़ भूमि सुपुर्द कर दी थी जिसे केआईएडीबी द्वारा दर्शाए अनुसार 21 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 2138.11 लाख रुपये की कीमत पर पूंजीकृत किया गया है जिसमें परियोजना विस्थापित परिवारों को दी गई राहत और पुनर्वास सहायता भी शामिल है। रुपये 1,114 लाख रुपये का उपलब्ध बकाया शेष भूमि के प्रति अग्रिम के रुप में समझा जाएगा जिसे केआईएडीबी के माध्यम से अर्जित किया जाना है, जिसे इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना गया है ।

7. रुपये 96,199 लाख की कंपनी की शेयर पूंजी में मई 2010 में आबंटित 51,925 लाख के इक्विटी शेयर और 31 मार्च 2011 को रुपये 44,274 लाख के लंबित आवंटन शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों के लिए शेयर प्रमाणपत्र अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने का निर्णय 31 मार्च 2011 के बाद लिया गया है।

8. प्रबंधन की राय थी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अधीन कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है, पिछले वित्तीय वर्ष तक कंपनी ने निष्पादित किए जाने वाले पट्टा विलेख पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी देने एवं शेयरों को जारी करने का प्रावधान नहीं रखा था। वर्तमान वर्ष के दौरान, शेयर प्रमाण पत्रों और पट्टा विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए कंपनी ने रुपये 262 लाख का प्रावधान किया है। वास्तवविक भुगतान संबंधित मुद्रांकन प्राधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद किया जाएगा।

9. कंपनी, भारत में विभिन्न स्थानों पर विकसित की गई सुविधाओं में कच्चे तेल के लिए भंडारण सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी सेवा कर प्राधिकारी के साथ जनवरी 2011 में पंजीकृत की गई और इसलिए, यह सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है। एक अग्रणी परामर्शदाता की राय के आधार पर, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान रुपये 4694 लाख (31 मार्च 2010 तक के 2499 लाख रुपये सहित) की राशि को सेनवेट क्रेडिट अर्जित किया है और सेनवेट क्रेडिट प्राप्य (अनुसूची 4 देखें) के रुप में ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित परंतु प्राप्य माने जाना) शीर्ष के अधीन दिखाया है।

10. मैंगलोर में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्यूजैड) के सह–विकासक बनने हेतु अगस्त 2010 में वाणिज्य् मंत्रालय ने अनुमोदन दिया था । अधिकृत संचालन / निर्माण गतिविधियों हेतु माल सूची व उपयोग की गई सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन की प्राप्ति के बाद कंपनी द्वारा राजकोषीय लाभ उठाया जा सकता है जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अनुमोदनों की प्रतीक्षा है। कंपनी ने पादुर में एफटीडब्यूजैड बनने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

11. अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रुपये 1650 लाख प्रतिधारण राशि (रिटेन्शन मनी) परिवर्तनीय मदों के लिए किए गए कार्य की कीमत के 5 प्रतिशत के बराबर है, जिसका भुगतान ठेकों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। प्रतिधारण राशि (रिटेन्शन मनी) खातों में ''देय'' के दिखाई गई है।

12. 31 मार्च 2011 को कंपनी का दैनिक कार्य प्रतिनियुक्ति पर लिए गए 13 कार्मिकों एचपीसीएल(6), ओएनजीसी(3), आईओसीएल(1), गेल(1) एवं ओआईडीबी(2) द्वारा संभाला गया और उनका छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान की अदायगी उनके दावों की प्राप्ति पर मूल कंपनियों को आनुपातिक आधार पर की जाती है।

13. प्राप्त होने वाले वसूलीयोग्य पेशगी, नकदी या वस्तु या सममूल्य, जिनमें दूसरी कंपनी द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है की राशि शून्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य)

14. (क) कंपनी ने वर्ष 2010–11 में लधु–अवधि मियादी जमा राशियों पर 4.44 लाख रूपये का ब्याज अर्जित किया। यह ब्याज 2009–10 में शून्य था।

(ख) 395.49/– लाख रूपये की मूल्याह्रास राशि (जिसमें तीनों प्रोजेक्टों की जमीन का अर्मोटाईजेशन शमिल है) को वर्ष 2010–11 में लाभ–हानि खाते में डाला गया है। यह राशि वर्ष 2009–10 में 2.55/– लाख रूपये थी।

15. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक

	31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)	**31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)**
सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क (सेवा कर सहित)	1,65,450*	82,725
योग	**1,65,450**	**82,725**

*आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को छोड़कर

16. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएं अपेक्षित हैं।

क. विदेशी मुद्रा में अर्जन

	31.03.11 को समाप्त वर्ष भारतीय रूपये के समतुल्य	**31.03.10 को समाप्त वर्ष भारतीय रूपये के समतुल्य**
विदेशी मुद्रा में अर्जन	0	0

ख. विदेशी मुद्रा में खर्च

	31.03.11 को समाप्त वर्ष में भारतीय रूपये के समतुल्य	**31.03.10 को समाप्त वर्ष में भारतीय रूपये के समतुल्य**
विदेश यात्रा	29,26,731	8,35,231
मैंगलौर में भूमि संबंधी ठेकेदार मैसर्स SKEC & KCT JV को अमेरिकी डॉलर में अदा की गई राशि	25,28,76,315	3,13,79,020
कुल	**25,58,03,046**	**3,22,14,251**

ग. आयात का सी आई एफ मूल्य

	31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)
आयात का सी.आई.एफ मूल्य	4026 लाख*	शून्य

* IOTIESL द्वारा कंपनी के परेषित (Consignee) रूप में आयात किये गये सामान का सीआईएफ मूल्य (सामग्री में अप्रैल एवं मई 2011 में लैन्ड किया)

17. आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझे गए हैं। इसके अतिरिक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भी स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि परिसंपत्ति समायोजना के लिए भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होने की विश्वासोत्पादक सबूत के साथ कोई निश्चितता नहीं है।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act), 2006 नामक एक अधिनियम प्रख्यापित किया है जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी को सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यमों की पहचान करना तथा उन पर विनिर्दिष्ट समयावधि से, उनके प्रादयकों के साथ हुए प्रबंधन का लिहाज किए बगैर, देय पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। कंपनी ने इस तरह के उद्यमों/प्रदायकों को लिखकर पहल कर दी है और उसे अपने प्रदायकों से एक सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यम होने की पुष्टि अभी तक नहीं मिली है। अतः इस मामले में कंपनी प्रदायकों के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए देयताएँ शून्य/नगण्य हैं।

19. संबधित पक्ष व्यवहार

क. संबंधित पक्ष और संबधों की सूची

i इकाईयों अथवा मुख्य प्रबंधन कार्मिक, जो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;

- तेल उद्योग विकास बोर्ड, कंपनी में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण करता है।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरर्पोरेशन लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं)

ii. मुख्य प्रबंधन कार्मिक (निदेशक मंडल)

- श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष (11 मई 2011 से)

· श्री एस सुन्दरेशन, अध्यक्ष (02 मई 2011 तक)

· श्री सुधीर भार्गव, निदेशक (19 मई 2010 से)

· श्री अरूण कुमार, प्रभारी निदेशक

· श्री एल एन गुप्ता, निदेशक

iii. निदेशक मंडल का पारिश्रमिक शून्य है (गत वर्ष–शून्य)

iv. श्री राजन के पिल्लई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक

रूपये लाखों में

विवरण	**31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)**	**31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)**
वर्ष 2010–11 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक (जिसमें एचपीसीएल नामे/डेबिट नोट्स में लिखी राशियों तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हैं।)	32,00,000 (लगभग)	27,00,000 (लगभग)

(ख) **बकाया शेष/संबधित पक्ष के साथ लेन–देन :**

रूपये में

विवरण	तेल उद्योग विकास बोर्ड		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरशन लि. *	
	31.3.2011 को समाप्त वर्ष	**31.3.2010 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2011 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2010 को समाप्त वर्ष**
1.वर्ष के दौरान लेनदेन कंपनी की ओर से किये गये व्यय	43,71,829	38,93,238	1,11,55,710	23,47,875
2. वर्ष के अंत में शेष	442,74,35,073	178,39,99,244	29,24,591	40,12,851
योग	443,18,06,902	178,78,92,482	1,40,80,301	63,60,726

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्यों के वेतन के लिए एचपीसीएल की अदायगी।

(ग) वर्ष 2010–11 के दौरान किसी भी समय निदेशकों अथवा अधिकारियों द्वारा कोई भी देय राशि शून्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य थी।)

20. लघु उद्योग उपक्रमों को कोई भी भुगतान देय राशि नही है। डेबिट/क्रेडिट में ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के खाते, पुष्टि, सुलह और तत्संबंधी परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के अधीन हैं।

21. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292A के अनुसार कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित संघटन के साथ गठित की है (19 मई 2010 को हुई बोर्ड की बैठक के दौरान पुनर्गठित)

श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री अरूण कुमार, सचिव, तेउविबो – सदस्य

श्री एल एन गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य

22. ठेकेदारों की बकायी राशि पुष्टि के अधीन है।

23. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक है वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से सरल तुलना के लिए पुर्नव्यवस्थित कर दिया गया है। इस साल में किये गये खर्चे प्रत्यक्ष रूप से जो प्रोजेक्टों में अरोप्य नहीं पाये गए हैं का जो लाभ हानि खातों में डाल गया है।

अनुसूची 1 से 7 तुलनपत्र और लाभ व हानि खाते का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0 ह0 ह0

(सुधा वेंकट वरदन) **(डी के अग्रवाल)** **(राजन के. पिल्लई)**

कंपनी सचिव ह0 मुख्य वित्त अधिकारी ह0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(एल एन गुप्ता) **(अरूण कुमार)**

निदेशक प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2011

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि **VI** के पार्ट – **IV** को अनुवर्ती सूचना

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 1 2 6 9 7 3 राज्य कोड: 5 5

तुलनपत्र तिथि: 3 1 0 3 2 0 1 1

II. वर्ष के दौरान पूँजी मे बढ़ोतरी (हजार रूपये की राशि में)

सार्वजनिक निर्गम	अधिकार निर्गम
0	0
बोनस निर्गम	**निजी स्थानन**
0	1 7 8 0 1 0 6

III. जुटाव स्थिति तथा निधि का परिनियोजन (हजार रूपये की राशि में)

कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्तिया
9 6 1 9 9 7 5	9 6 1 9 9 7 5

निधि स्त्रोत (हजार रूपये की राशि में)

प्रदत्त पूँजी	आरक्षित व अधिशेष	शेयर आवेदन धन
5 1 9 2 5 4 0	0	4 4 2 7 4 3 5
प्रतिभूति ऋण	**अप्रतिभूत ऋण**	
0	0	

निधि आवेदन पत्र (हजार रूपये की राशि में)

निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	निवेश
8 5 8 1 0 7	0
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	**प्रचालन–पूर्व व्यय (लंबित आवंटन)**
(3 7 1 1 1 7)	9 0 4 0 9 5 9
विविध खर्च	
0	

IV. कंपनी के कार्य निष्पादन (हजार रूपये की राशि में)

कुल बिक्री	कुल व्यय
0	(6 7 2 6 1)
लाभ / हानि (कर से पहले)	**लाभ / हानि (कर से पश्चात्)**
(6 7 2 6 1)	(6 7 2 1 3)
प्रति इक्विटि शेयर अर्जन	**लाभांश**
(0 . 1 3)	0

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंक्ट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(डी के अग्रवाल)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(एल एन गुप्ता)
निदेशक

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775 एन
ह0
(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0 – 087370
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.9.2011

नकदी प्रवाह विवरण– वित्तीय वर्ष 2010–11 (अप्रत्यक्ष पद्धति)

		राशि रूपयों में	राशि रूपयों में
	नकद और बैंक का आरंभिक शेष- (1)		**1,560,494**
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	निवल हानि	(67,213,406)	
	समायोजन		
	मूल्य ह्रास	39,283,929	
	ब्याज आय	448,187	
	निर्माण कार्य प्रगति खर्च में वृद्धि	(4,196,274,493)	
	चालू देयताओं में वृद्धि	**335,651,320**	
	वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रचालन व्ययों की अदायगी	(33,605,740)	
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(3,921,710,204)**
ख	निवेश गतिविधियां		
	स्थायी परिसंपत्तियों, निवेशों की खरीद	(214,170,495)	
	तृतीय पक्ष को दिए गए अग्रिम राशि/ऋण	(281,751,915)	
	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(495,922,410)**
ग	वित्तीय गतिविधियां		
	नकद हेतु शेयर पूंजी, डिबेंचर निर्गमन	**4,423,541,829**	
	वित्तियों गतिविधियों से नकद प्रवाह		**4,423,541,829**
	कुल नकद प्रवाह (2)		**5,909,215**
	नकद एवं बैंक का अंतिम शेष		**7,469,709**

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31, मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय ढ़ांचे के अनुसार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक परीक्षक की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपने प्रोफेशनल बॉडी भारतीय चार्टड अकाउन्टेट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एंवम् आश्वासन मानकों के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा करके अपना विचार व्यक्त करना है। उनके द्वारा दी गई 13 सितंबर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूरा किया जा चुका है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की ओर से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय बयान के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रुप से सांविधिक लेखा परीक्षण के आधार पत्र के बगैर किया गया है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षण तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ व लेखाकरण के कुछ अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये अनुपुरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं, मेरे संज्ञान में आये निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को, जो इन वित्तीय विवरिणियों और उससे संबधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए आवश्यक है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उजागर करना चाहती हूँ:–

तुलन पत्र :

स्थायी परिसंपत्तियां (सकल खण्ड)	**89.86 करोड़ रुपये**
चालू देयताएं	**99.11 करोड़ रुपये**

(i) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की अतिरिक्त लागत के प्रति 18.29 करोड़ रुपये की एक स्थिर देयता खातों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार, चालू देयताएं एवं अचल संपत्तियां (सकल खण्ड) दोनों 18.29 करोड़ रुपये कम दर्शायी गई हैं। इसके कारण पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन 0.40 करोड़ रूपये कम हुआ है।

(ii) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की प्रारंभिक कीमत के प्रति 0.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिशोधन हुआ है ।

उपर्युक्त के परिणाम स्वरुप, वर्ष की हानि 0.48 करोड़ रुपये (0.88 करोड़ रुपये0.40 करोड़ रुपये) से अतिरंजित हुई है ।

सी.एण्ड.ए.जी. के लिए और सी.एण्ड.ए.जी की ओर से

ह0

(नैना ए. कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.10.2011

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के खातों पर सीएंडएजी की टिप्पणियां एवं उनके ऊपर प्रबंधन के उत्तर।

सीएंडएजी की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
तुलन पत्र स्थायी परिसम्पत्तियां (सकल खण्ड) : 89.86 करोड़ रूपये (i) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की अतिरिक्त लागत के प्रति 18.29 करोड़ रुपये की एक स्थिर देयता खातों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार, चालू देयताएं एवं अचल संपत्तियां (सकल खण्ड) दोनों 18.29 करोड़ रुपये कम दर्शायी गई हैं। इसके कारण पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन 0.40 करोड़ रूपये कम हुआ है।	16.08.2011 को सचिव, पेट्रोलियम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरुप, हरित पट्टी क्षेत्र को छोड़कर बाकी भूमि के हिस्से के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान करना है। आईएसपीआरएल की वास्तविक देयता लगभग 60 करोड़ रुपये है जिसमें से 41.31 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और खातों में पूंजीकृत हो गया है । क्योंकि वास्तविक देय राशि की पुष्टि हाल ही में हुई है, आईएसपीआरएल शेष भूमि की कीमत की राशि के लिये वास्तविक आधार पर वर्ष 2011–12 में प्रावधान करेगा।
(ii) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की प्रारंभिक कीमत के प्रति 0.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिशोधन हुआ है । उपर्युक्त के परिणाम स्वरुप, वर्ष की हानि 0.48 करोड़ रुपये (0.88 करोड़ रुपये0.40 करोड़ रुपये) से अतिरंजित हुई है ।	कब्जा लेने और स्थल पर सुविधाओं के निर्माण प्रारंभ करने हेतु अंतिम आधार पर भूमि की कीमत के प्रति मैंगलोर एसईजैड लिमिटेड (एमएसईजैडएल) को शुरु में अनुमानित आधार पर किए गए 41.31 करोड़ रुपये के भुगतान को पूंजीकृत कर दिया गया है। भूमि की कीमत के प्रति शेष देय राशि तुलन पत्र को अंतिम रुप देने की तिथि तक प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं के रुप में दर्शायी गई है। परिशोधन के लिए आकस्मिक देयता को भी शामिल करने की गलती हुई है और जैसाकि इंगित किया गया है, अतिरिक्त परिशोधन वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान समायोजित किया जाएगा ।

अध्याय - VIII

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6 (1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (ट) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना :

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना,

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य असीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना:

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना दी जाएगी ।

(ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरो, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी आध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्थियों के भाग रूप रखे रहना:

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिवेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में केन्द्रीय सरकार या उसके अनुमोदन से ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना:

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना:

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल सेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(घ) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड़) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुषांगिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल सेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस में तत्स्थानी प्रवृष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (2500 रु. प्रति टन दिनांक 1.3.2006 से)

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादकर्ता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा (1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क क उदगृहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

धारा–15 के अधिन उद्‌गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17–केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18(1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(घ) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

(क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए,

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।